पंचम माला, खंड 43, अंक 30
Fifth Series, Vol. XLIII, No. 30

शुक्रवार, 30 अगस्त, 1974/8 भाद्र, 1896 (शक)
Friday, Aug. 30, 1974/Bhadra 8, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 43 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XLIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

PARLIAMENT LIBRARY
No. B. 282(10)
DATE. 1.4.75

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 30—शुक्रवार, 30 अगस्त 1974/8 भाद्र, 1896 (शक)

No. 30—*Friday*, 30 *August* 1974/8 *Bhadra*, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
569	राज्य व्यापार निगम के पास रसायनों का इकट्ठा हो जाना	Piling up of Chemicals with STC	1–2
571	स्लिप प्रणाली के लागू होने के बाद एयर इण्डिया को हुई हानि	Loss suffered by Air India after Introducing Slip System	2–8
572	नेपाल के बैंकों में कालाधन जमा करके भारतीय व्यापारियों द्वारा कर अपवंचन किया जाना	Evasion of Taxes by Indian Businessmen by Depositing Black Money in Nepal Banks	8–11
573	विदेश व्यापार में वृद्धि	Increase in Foreign Trade	11–13
577	घाटे की अर्थव्यवस्था	Deficit Financing	13–14
578	व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा निर्यात	Exports by Trade Development Authority	14–15

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
570	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण	Credit by Nationalised Banks	15–17
574	कोचीन सीमा-शुल्क राजकोष में सरकारी धन का दुर्विनियोजन	Misappropriation of Government money in Cochin Customs Treasury	17
575	भारतीय पर्यटन विकास निगम को हुई हानि	Losses sustained by ITDC	17–18
576	विभिन्न राज्यों में अनधिकृत विद्युत् चालित करघे	Unauthorised powerlooms in various States	18
579	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्यों को ऋण	Credits by Nationalised Banks to States	18

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
580	विश्व बैंक द्वारा ऋण देने तथा ऋण लेने संबंधी नीतियों में परिवर्तन	Charges in World Banks Lending and Borrowing Policies .	19
581	रुपये के मूल्य में गिरावट	Fall in value of Rupee . . .	19
582	काले धन को बरामद करने के लिए मारे गए छापों के दौरान पाये गए करेंसी नोट	Currency Notes found during Raids to Unearth Black Money	20
583	आयकर अधिकारियों द्वारा बम्बई में छापे मारे जाना . .	Raids by Income Tax Authorities in Bombay	20
584	जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी होल्डरों को धनराशि का वितरण	Distribution of money by LIC to Policy Holders . .	20–21
585	नई बैंक दर के परिणामस्वरूप मुद्रा-स्फीति पर रोक	Inflation Curbed as a result of New Bank rate . . .	21
586	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को जनता से ऋण लेने की अनुमति का न दिया जाना	Refusal of permission by RBI to Madhya Pradesh Audyogik Vikas Nigam Limited for Public borrowing . . .	21
587	विश्व निर्यात व्यापार में भारत का अंश	India's contribution to World Export Trade . . .	22
588	आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Authorities	22
589	राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना	Opening of Branches of Nationalised Banks	23

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
4013	कोका कोला निर्यात निगम	Coca Cola Export Corporation	23–24
4014	सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान	Payment of D.A. to Government Employees	24
4015	रुपये के भुगतान वाले देशों से आयात	Imports from Rupee Payment countries	24–25
4016	वित्तीय प्रशासन में प्रस्तावित परिवर्तन के परिणामस्वरूप राज्यों के लिये अतिरिक्त शक्तियां	Additional powers to States as a result of proposed change in Financial Administration .	25–26
4017	मई, 1974 के दौरान बैंक की जमा-राशियों का कम होना	Decline in Bank deposits during May 1974	26

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4018	चुनीदा औद्योगिक परम्परागत एवं अपरम्परागत वस्तुओं का निर्यात	Export of Selected Industrial Traditional and Non-Traditional Goods . . .	26–27
4019	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का जापान का दौरा	Visit by Marine products Export Development Authority to Japan	27
4020	ऋण नियंत्रण को सख्त बनाना	Tightening of Credit Squeeze .	27–28
4021	पश्चिम बंगाल में अलाभप्रद चाय बागान	Uneconomic Tea Estates in West Bengal	28
4022	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देना	Encouraging production of Silk in Fifth Five Year Plan .	28–29
4023	आयकर निर्धारण के लिये लम्बित मामले	Pending Cases for Income Tax Assessment	29
4024	चिदम्बरम के निकट एक मोटर नौका से निषिद्ध वस्तुओं को बरामद करना	Seizure of Contraband Articles from a Motor Boat near Chidambaram . . .	29
4025	अरबी नाव से तस्करी के सामान का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled goods from Arabian Boat . . .	30
4026	1974-75 में आयात किया गया अखबारी कागज	Newsprint Imported in 1974-75	30
4027	"काटन ग्रोअर्ज सत्याग्रह एक्रास मध्यप्रदेश. महाराष्ट्र बोर्डर"	"Cotton Growers" Satyagraha across M. P. Maharashtra Border	30
4028	चाय की खेती के क्षेत्र का विस्तार करना	Expansion of acreage under tea	30–31
4029	गुजरात को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Gujarat	31
4030	अफीम के मूल्य को बढ़ाने की मांग	Demand for increased prices of opium . . .	31
4031	सिले-सलाये वस्त्रों का निर्यात	Export of Ready Made Garments	31–32
4032	केन्द्र का राज्यों की ओर बकाया ऋण	Central Loan Outstanding against States . . .	32
4033	जयपुर के भूतपूर्व राजघराने पर करों की बकाया राशि	Arrears of taxes against former ruling family of Jaipur .	32
4034	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी	Central Excise Collectorate .	33
4035	स्टेट बैंक आफ इंडिया की भद्रक-शाखा, जिला बालासोर उड़ीसा में बकाया ऋण	Loans Outstanding in the SBI Bhadrak Branch , District Balasore (Orissa) . .	33–34

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4036	संसाधनों की स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता	Meetings with representatives of State Governments to review resources position	34
4037	मध्य प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों का विकास तथा होटलों का निर्माण	Development of tourist centres and construction of hotels in Madhya Pradesh	34
4038	मध्य प्रदेश को सहायता देने के लिए केन्द्रीय अध्ययन दल की सिफारिशें	Recommendations of Central Study Team for Assistance to Madhya Pradesh	34–35
4039	रूई के मूल्य में गिरावट	Decline in Cotton Prices	35
4040	पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्ति के लिए अनुग्रह अनुदान हेतु दावों की जांच	Verification of claims for Ex-gratia grants for properties left in Pakistan	36
4041	चमड़ा उद्योग के लिए मशीन का आयात करने के लिए लाइसेंस देना	Grant of Licences for Import of Machinery for Leather Industry	36
4042	स्क्रेप अभ्रक का निर्यात	Export of Scrap Mica	36
4043	बैंकों में चोरी, डाकाजनी और दुर्विनियोग	Theft, Dacoity and Misappropriation in Banks	36–37
4044	नियंत्रित कपड़ा	Controlled cloth	37–38
4045	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुआ लाभ	Profits and losses of public Sector undertakings	38
4046	कंट्रोल का कपड़ा बेचने के लिए लाइसेंस देना	Grant of Licences for sale of controlled cloth	39
4047	लौह तथा लौह अयस्क की सप्लाई	Supply of Iron and Iron ore	39
4048	कोका कोला निर्यात निगम द्वारा भारत से बाहर भेजी गई विदेशी मुद्रा के रूप में राशि	Foreign Exchange Repatriated by Coca Cola Export Corporation	39–40
4049	विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क-मुक्त दुकानें	Duty Free Shops at International Airports	40
4050	सुती कपड़ा उद्योग का विस्तार	Expansion of Cotton Textile Industry	40
4051	अन्य देशों के साथ व्यापार करार	Trade Agreements with other Countries	41–42
4052	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित लौंग और सुपारी	Clove and Betelnuts Imported by STC	42

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4053	इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया द्वारा अपने कर्मचारियों को विभिन्न होटलों में ठहराने के लिए व्यय की गई राशि	Amount paid by Indian Airlines and Air India for stay of their Employees in various Hotels .	42–43
4054	भटिण्डा उर्वरक परियोजना के लिए ऋण के लिए जापान के साथ करार	Agreement with Japan for loan for Bhatinda Fertilizer Project	43
4055	मध्य प्रदेश में सांची के समीप 'सिक्योरिटी पेपर मिल' की स्थापना	Security paper Mill near Sanchi, M.P.	43
4056	शर्करीय (सैक्रीन) का निर्यात	Export of Saccharine . .	43–44
4057	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पड़े उच्च पदों का भरा जाना	Filling up of top posts lying vacant in Public Sector Undertakings	44–45
4058	यूगोस्लाविया को वैगनों का निर्यात	Export of Wagons to Yugoslavia	45
4059	राजस्थान सीमा पर तस्करी की घटनायें	Smuggling incidents on Rajasthan Border . . .	45
4060	बी-6 की तस्करी रोकने के लिए कार्यवाही	Steps to check Smuggling of B-6	46
4061	सरकारी उपक्रमों में विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts in Public Sector Undertakings . . .	47
4062	केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों से प्राप्त राजस्व	Revenue from Central Excise Duties	47
4063	एयर इंडिया द्वारा फलों और सब्जियों का ढुलाई भाड़ा	Transportation Charges for Fruits and Vegetables by Air India	47–48
4064	काफी का निर्यात	Export of Coffee . . .	48
4065	डीगा में युवा पर्यटक आवास स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to set up Youth Tourist Lodge at Digha . . .	48–49
4066	चीनी का निर्यात	Export of Sugar . .	49
4067	दिल्ली में जाली करेन्सी नोटों का पकड़ा जाना	Seizure of Forged Currency in Delhi	49
4068	हथकरघा-प्रधान समेकित कपड़ा नीति	Handloom oriented Integrated Textile Policy . . .	50
4069	उड़ीसा में दूसरी जूट मिल का स्थापित किया जाना	Setting up of a Second Jute Mill in Orissa	50
4070	कलकत्ता स्थित भारतीय तेल निगम द्वारा आयकर की चोरी	Evasion of Income Tax by Indian Oil Corporation, Calcutta	50–51

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE S
4071	औद्योगीकृत राज्यों को बैंक ऋण	Bank Credit to Industrialised States	51
4072	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा क्रेश फायर टैंडरों के लिये ऋयादेश	Orders for Crash Fire Tenders by International Airports Authority of India	51–52
4073	पेन्टस पर उत्पाद शुल्क	Excise Duty on Paints	52–53
4074	पोंग बांध के कारण वहां से हटाये गये व्यक्तियों की पंजाब नेशनल बैंक में जमा की गई धनराशि	Deposits Attracted by Punjab National Bank from Oustees of Pong Dam	53
4075	हरितालय नगर (हिमाचल प्रदेश) में फौस्सिल पार्क विकास का प्रस्ताव	Proposal to Develop Fossil Park at Haritalyangar (Himachal Pradesh)	53
4076	पालम हवाई अड्डे पर एक व्यापारी की गिरफ्तारी	Arrest of a Businessman at Palam Air Port	54
4077	राजस्थान नहर के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से ऋण	Loan from IDA for Rajasthan Canal	54
4078	एयर इंडिया की सेवाओं में व्यवधान	Disruption in Services of Air India	54–55
4079	राज्य व्यापार निगम के पास पड़ा अखबारी कागज का स्टाक	Newsprint Stocks piled up with STC	55
4080	आयकर दोषी	Income Tax Defaulters	55–56
4081	कलकत्ता में दम-दम के निकट निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने संबंधी प्रस्ताव	Proposal for a Free trade Zone near Dum Dum in Calcutta	56
4082	कलकत्ता में निर्बाध व्यापार क्षेत्र के प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल के साथ चर्चा	Discussion on West Bengal proposal for a free Trade Zone in Calcutta	56–57
4083	मजूरी और परिलब्धियों का पुनरीक्षण	Revision of Wages and Emoluments	57
4084	जूट उद्योग को दी गई वित्तीय राहत	Financial Relief given to Jute Industry	57–59
4085	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये कृषि ऋण	Agricultural loans given by Nationalized Banks	59–60
4086	राष्ट्रीयकृत बैंकों में ब्याज दर	Rate of Interest in Nationalised Banks	60
4087	राज्यों को ऋण तथा अनुदान	Loans and Grants to States	60–61
4088	एयर इंडिया में विमान चालकों के वेतन और भत्ते	Pay and Allowances of Pilots in Air India	61–62

तारां० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4089	अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन से ब्याज मुक्त ऋण	Interest Free Loans from IDA	62.
4090	छोटी बचतों में राज्यों का हिस्सा	States Share in Small Savings .	62–63
4091	कपड़ा उद्योग का विकास	Development of Textile Industry	63
4092	पश्चिम बंगाल में नियंत्रित कपड़े का वितरण	Distribution of controlled cloth in West Bengal	63–64
4093	झालावाड़ (राजस्थान) में हवाई पट्टी के रखरखाव पर खर्च	Expenditure on maintenance of Air Strip at Jhalawar (Rajasthan)	64
4094	एयर इंडिया में तकनीकी कर्मचारी संघ को मान्यता	Recoginition of Union of Technical Staff in Air India .	64
4095	बैंकों में अधिकारी-संगठनों के पदाधिकारियों के बारे में एक श्रमिक संघ का अभ्यावेदन	Representation made by a Trade Union re: Office bearers of Officers Associations in Banks	64–65
4096	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	Post Matric Scholarship for S.C. and S.T.	65
4097	रुपये का मूल्य	Value of Rupee . . .	65
4098	बैंकों में जमा राशि पर ब्याज की दर में वृद्धि	Increase in Rate of Interest on Bank Deposits . . .	65–66
4099	जाली करेंसी नोटों का पकड़ा जाना	Seizure of Fake currency notes	66
4100	जीवन बीमा निगम प्रशासन और ब्लिट्स बाम्बे वीकली के बीच समझौता	Deal between the LIC Establishment & Blitz Bombay Weekly.	66–67
4101	एयर इंडिया में 'स्लिप सिस्टम' के विरुद्ध आन्दोलन	Agitation against Slip System in Air India . .	67
4102	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers . .	67
4103	स्टेट बैंक आफ इंडिया की दिल्ली छावनी शाखा में जालसाजी का मामला	Fraud Case in Delhi Cantonment Branch of State Bank of India	68
4104	अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Essential Commodities Act.	68–69
4105	इंडियन एयरलाइंस की बम्बई-कराड और बम्बई-कोल्हापुर सेवाएं	Bombay-Karad and Bombay-Kolhapur services of Indian Airlines	70
4106	पालम हवाई अड्डे पर अन्तर्देशीय यात्रियों के लिए परिवहन सेवा	Transport service for domestic passengers at Palam Airport	70–71

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4107	वाड़ी बंदर बम्बई में पड़े अखबारी कागज के भंडार	Newsprint Stocks lying uncleared at Wadi Bunder, Bombay ..	71
4108	आदिवासी क्षेत्रों में कपड़े का वितरण	Distribution of cloth to Adivasi areas	71–72
4109	सरकारी उपक्रमों को घाटा	Losses by public sector undertakings	72–74
4110	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्विलोकन समिति	Central Excise Review Committee	74
4111	ब्रुक बांड और लिपटन कम्पनियों की चालू पूंजी	Working capital of Brooke Bond and Lipton Companies .	74–75
4112	आल इंडिया डिफेंस एकाउन्टस एम्पलाइज एसोसिएशन, कलकत्ता को मान्यता देना	Recognition to All India Defence Accounts Employees Association, Calcutta . .	75
4113	पटना में फाइव स्टार होटल का निर्माण	Construction of Five Star Hotel in Patna	75
4114	एयर इंडिया के विमान चालकों द्वारा हड़ताल	Strike by Pilots of Air India .	76
4115	काश्मीर घाटी जाने वाले पर्यटक	Tourists visiting Kashmir Valley	76–77
4116	मद्रास में प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by enforcement authorities in Madras . . .	77
4117	अकबर होटल दिल्ली के 'स्वीमिंग पूल' की सदस्यता	Membership of swimming pool of Akbar Hotel, Delhi . .	78
4118	विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण	Indianisation of foreign companies.	78
4119	विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जाना	Compliance of provisions of Foreign Exchange Regulations Act by Foreign Companies	79
4120	रेशमी धागे की खरीद के सौदे में घाटा	Loss in Silk Yarn Purchase Deal	79–80
4121	नये सिक्के बनाना	Minting of New Coins	80
4122	बैंक ऑफ बरोडा द्वारा अपने पार्लियामेंट स्ट्रीट भवन के अहाते में कारों के खड़ा करने के लिए स्थान न बनाने के लिए नयी दिल्ली नगरपालिका को दी गई राशि	Payment made by Bank of Baroda to NDMC to provide Parking Space for Cars in its Parliament Street premises . .	80–81

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4123	आय-कर अधिकारियों द्वारा कोयला खान के एक मालिक के घर में डाले गए छापे के दौरान पाई गई नकदी और जेवरात	Cash and Jewellery found by Income Tax authorities during raid on the House of a Coal-mine Owner . . .	81–82
4124	सीमा शुल्क विनियमों के उल्लंघन के मामले	Cases of violation of Customs Regulations . . .	82
4125	चीनी का निर्यात	Export of Sugar	82
4126	भारत के पूर्वोत्तर भाग में बागानों का बन्द किया जाना	Closure of Tea Plantations in North-Eastern Region of India	82–83
4127	ग्रामोफोन कम्पनी, कलकत्ता द्वारा कर अपवंचन	Evasion of Taxes by Gramophone Company, Calcutta .	83
4128	वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यों को सहायता दिया जाना	Assistance to States by Financing Institutions	83–84
4129	मध्य प्रदेश द्वारा लिया गया ओवर ड्राफ्ट	Overdraft by Madhya Pradesh .	84
4130	प्राइवेट खान मालिकों को दी गई रियायतों का बंद किया जाना	Discontinuance of Concession given to Private Mine Owners	84
4131	पश्चिम जर्मनी को निर्यात	Exports to West Germany	85
4132	औद्योगिक वित्त निगम द्वारा बांड जारी किया जाना	Issue of Bonds by IFC	85
4133	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय से तस्करी की वस्तुएं पकड़ा जाना	Seizure of smuggled goods from Parcel Office of New Delhi Railway Station . . .	85–86
4134	विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु विदेशों से आये छात्र	Students from Foreign Countries for Studying problems of Handicapped persons . . .	86
4135	कोरबा (मध्य प्रदेश) में सरकारी उपक्रमों में स्थानीय लोगों की नियुक्तियां	Local Persons Employed in Public Sector Undertakings in Korba (Madhya Pradesh)	86
4136	भारत का प्रथम निर्बाध पत्तन	India's first free port	86
4137	"हौलिडे होम्ज"	Holiday Homes	87
4138	मंत्रियों के विदेशों के दौरों तथा मंत्रालयों के कार्यालय प्रतिष्ठान पर व्यय	Expenditure on foreign tours of Ministers and office establishments of Ministries	87

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4139	भारत द्वारा सोवियत संघ में समक्ष रखा गया "कनवर्जन डील्स" विषयक प्रस्ताव	Conversion Deals proposal by India to USSR . . .	87–88
4140	कोकाकोला निर्यात निगम द्वारा आम के गूदे और आम के रस का निर्यात	Export of Mango Pulp and Mango juice by Coca Cola Export Corporation . .	88
4141	निर्धन देशों के लिये यूरोपीय साझा बाजार की सहायता	European Common Market Aid for poor Countries . .	88
4142	भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सर्विस के पेंशनरों द्वारा राशि का लौटाया जाना	Repayment of Amount by Pensioners belonging to Former Secretary of State Services .	89
4143	मुद्रास्फिति को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check inflation . .	89–90
4144	मूल्य वृद्धि और रुपे येक मूल्य में गिरावट के परिणामस्वरूप पेंशन पानेवाले व्यक्तियों को लाभ	Benefits to pension bolders as a result of rise in prices and fall in value of rupee . .	90
4145	भारत सरकार टंकसालों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता	Overtime to employees of Government of India Mints .	90–91
4146	वित्त मन्त्रालय में समितियां	Committees in Ministry of Finance	91
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment .	91–92
	दिल्ली में तस्करों की उपस्थिति के बारे में	Re. Presence of Smugglers in Delhi	92
	सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table .	93–95
	राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha .	95
	बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक—राज्यसभा द्वारा परि रूप में	Payment of Bonus (Amendment) Bill—As passed by Rajya Sabha . . .	95
	नियम समिति—	Rules Committee—	
	कार्यवाही सारांश	Minutes	96
	विशेषाधकार का प्रश्न—	Question of Privilege—	
	बिहार पुलिस द्वारा श्री ईश्वर चौधरी, संसद सदस्य को हथकड़ी लगाये जाने की कथित घटना	Alleged hand cuffing of Shri Ishwar Chaudhury, M.P. by Bihar Police . . .	96–98
	सभा का कार्य	Business of the House . .	98–103

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
लोक वित्तीय संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक—	Public Financial Institutions Laws (Amendment) Bill—	
संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति	Appointment of Member Joint Committee . . .	103–104
इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (प्रबंध ग्रहण) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत हुआ।	Statutory Resolution re. Disapproval of Indian Iron and Steel Co. (Taking over of Management) Amendment Ordinance *Negatived*—	
और	and	
इंडीयन आयरन एंड स्टिल कम्पनी (प्रबंध ग्रहण) संशोधन विधेयक—	Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Amendment Bill—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha . .	104–105
श्री राम सहाय पांडे	Shri R.S. Pandey . .	105
श्री आर० वी० बढे	Shri R. V. Bade . .	105–106
श्री चपलेन्दू भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia . . .	106
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate .	106–107
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya . .	107–110
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	110
खंड 2 से 11 और 1	Clauses 2 to 11 and 1	111
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	112
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	112
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya .	112
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1974–75—	Supplementary Demands for Grants (General), 1974-75—	
श्री नुरुल हुडा	Shri Noorul Huda . .	115
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति—	Committee on Private Member's Bills and Resolutions—	
पैंतालीसवां प्रतिवेदन	Forty Fifth Report .	115–116

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
कृषी श्रमिकों संबंधी संकल्प – संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ	Resolution re. Agricultural Labour—*Adopted as amended*	
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathuram Ahirwaur	116
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	Shri Vishwanath Pratap Singh	117
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	117–118
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla .	118
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh . .	118–119
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai .	119
श्री हुकमचन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	119
श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	119–120
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh .	120
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra .	120–121
श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa .	121
श्री मुलकीराज सेनी	Shri Mulki Raj Saini	121
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A.K.M. Ishaque .	121–122
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia . .	122–123
श्री गदाधर साहा	Shri Gadadhar Saha .	123–124
सरकार की वेतन स्थिरीकरण निति का निरनुमोदन करने संबंधी संकल्प अस्विकृत हुआ —	Resolution re. Disapproval of Government Wage freeze Policy—*Negatived*—	
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda .	125–128
श्री हुकमचन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	128
श्री नुरुल हुडा	Shri Noorul Huda . .	129
श्रीमती रोझा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande	129–130
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	130
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur . .	130–131
श्री बालगोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma .	131–132
देश में बढती हुई फासिस्ट वादी प्रवृत्तियों के बारे में संकल्प —	Resolution re. Growing Fascist Trends in the country—	
श्री श्यामनंदन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra .	132

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 30 अगस्त, 1974/8 भाद्र, 1896 (शक)

Friday, August 30, 1974/Bhadra 8, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर दो मिनिट पर समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Two Minutes Past Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राज्य व्यापार निगम के पास रसायनों का इकट्ठा हो जाना

+

*569. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के पास गत 6 महीनों से बड़ी संख्या में आयातित रसायन इकट्ठे हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम के पास कौन कौन सी वस्तुएं इकट्ठी होती जा रही हैं ;

(ग) उन्हें वहां से निकालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) रूमानिया से मंगाये गये कास्टिक सोडा फ्लेक के इकट्ठे हो जाने का मुख्य कारण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) रुमानिया से कास्टिक सोडा फ्लैक्स का आयात नहीं किया गया है । राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध कास्टिक सोडा ठोस के स्टाक रिलीज आर्डर धारियों को पूर्णत: आबंटित कर दिये गये हैं ।

श्री पी० एम० मेहता : मैं यह जानना चाहता हूं कि जुलाई के अंत तक और 15 अगस्त, 1974 को निगम के पास कितनी मात्रा में टिटनियम डायोक्साइड पड़ा था जिसे कि उस समय तक उठाया नहीं गया था । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कास्टिक सोडा फ्लेक किसी

अन्य देश से आयात किया गया है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में और निगम द्वारा रिलीज आर्डर पर आवंटित कर देने के उपरान्त कितनी मात्रा में फ्लेक वहां पड़ा है।

श्री ए० सी० जार्ज : जहां तक टिटेनियम डायोक्साइड का प्रश्न है, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि बता सकूं कि इन दो तारिखों को कितनी मात्रा में टिटेनियम डायोक्साइड निगम के पास पड़ा था किन्तु निगम के पास अब 163 टन टिटेनियम, जिसका मूल्य 22.27 लाख रुपये है, पड़ा हुआ है, जिसे अभी उठाया नहीं गया। जहां तक कास्टिक सोडा फ्लेक का संबंध है, हम मुख्यत: ठोस कास्टिक सोडे का आयात करते हैं। रिलीज़ आर्डर पर आवंटन के अनुसार दे देने के उपरांत, 857 टन सोडा, जिसका मूल्य 19.67 लाख रुपये है, निगम के पास स्टाक में है।

Shri Satpal Kapur : Mr. Speaker, Sir, I want to know whether the department has thought of fixing any date by which India will be self-sufficient and its import will be banned?

श्री ए० सी० जार्ज : हमारी घरेलु आवश्यकता 4.6 लाख टन के लगभग है और हमारा स्वदेशी उत्पादन 4.25 लाख टन है। 5,000 टन सोडा आयात किया जाता है। हमारा यह प्रयास है कि हम देश में ही कास्टिक सोडे का उत्पादन बढ़ाएं, ताकि हमें विदेशों से आयात बिल्कुल न करना पड़े। लेकिन ऐसा कब से संभव होगा, इस संबंध में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता।

श्री वयालार रवि : क्या यह सच है कि जो कास्टिक सोडा आयात किया जाता है उसकी किस्म बहुत अच्छी नहीं होती और इसीलिए जिन लोगों ने सोडे का आयात किया है उन्होंने स्टाक को अब तक उठाया नहीं ? यदि यह बात ठीक है तो मंत्री महोदय का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ए० सी० जार्ज : आयातित रसायन विशेषकर आधारभूत रसायन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं और उनके बारे में कुछ शर्तें हैं। अत: उनकी किस्म या स्तर के बारे में संदेह नहीं है। थोडी सी कठिनाई यह थी कि आयातित सोडे का मूल्य स्वदेशी सोडे का मूल्य की अपेक्षा थोडा अधिक था।

Loss suffered by Air India after Introducing 'Slip System'

+

*571. **Shri M. C. Daga :**
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of Air India pilots who opposed 'slip system' in August, 1974 and the number and names of the pilots suspended as also the action taken against them since their suspension; and

(b) the total amount of financial loss suffered by Air India after introducing the 'slip system' and how this loss is being met?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) 27 जुलाई, 1974 को इण्डियन पाइलटस गिल्ड ने अपने सदस्यों को एक आदेश जारी किया कि वे स्लिप प्रणाली से संबंधित कोई उड़ान न करें। 31 जुलाई को एक और आदेश जारी किया गया। इन आदेशों के परिणामस्वरूप विमानचालकों ने 1 अगस्त, 1974 को स्लिप प्रणाली से संबंधित उड़ानों को

परिचालित करने से इन्कार कर दिया अतः निम्नलिखित विमानचालकों को निलम्बित कर दिया गया :—

1. वी० पी० राओल
2. एन० के० मुकर्जी
3. पी० के० घोष
4. ए० ऑलमेड़ा
5. बी० एस० सन्थू
6. के० मेनजीज

इण्डियन पाइलटस गिल्ड ने 2 अगस्त को एक और आदेश जारी किया जिसमें गिल्ड के सब सदस्यों को निर्देश दिए गए थे कि वे एयर इण्डिया के किसी भी मार्ग पर कोई भी उड़ान न करें चाहें वह स्लिप प्रणाली से संबधित हो अथवा नही। 2 अगस्त को इन चार और विमान-चालकों को उड़ान करने से इन्कार कर देने के कारण निलम्बित कर दिया गया, अर्थात् :—

1. एस० एफ० पोद्दार
2. एम० आरस मिस्त्री
3. बी० आर० राजवाड़े
4. ए० के० नोबल

निलम्बित विमानचालकों से स्पष्टीकरण मांगे जा चुके हैं और उनमें से 8 ने एक से शब्दों में उत्तर दे दिया है कि उन्होंने उड़ान करने से इनकार गिल्ड के आदेशों के अनुसार किया। इन विमान चालकों के खिलाफ आगे कार्यवाही प्रबंधक वर्ग के विचाराधीन है।

पाइलटस गिल्ड द्वारा शुरू की गई गैर-कानूनी हड़ताल को दृष्टि में रखते हुए प्रबंधक वर्ग के पास 3 अगस्त, 1974 को प्रायः 8.00 बजे तालाबन्दी की घोषणा करने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा। एयर इण्डिया में 187 लाइन पाइलट हैं। इनमें से पंद्रह (15) स्लिप प्रणाली के अनुसार परिचालन करने के लिए सहमत हो गए हैं। ग्यारह (11) एग्जीक्यूटिव पाइलट भी हैं जो गिल्ड के आदेशों से प्रभावित नहीं होते।

इन विमानचालकों की सहायता से प्रबंधकवर्ग प्रति सप्ताह लन्दन के लिए चार बोइंग 747 सेवाएं, गल्फ के स्थानों के लिए 2 बोइंग 707 सेवाएं और बम्बई से दिल्ली के लिए एक एक्सटैशन उड़ान परिचालित कर रहे हैं।

(ख) इस गैर-कानूनी हड़ताल के कारण एयर इण्डिया को 26 अगस्त तक अनुमानतः लगभग 5 करोड़ रुपए की हानि हुई है। इस हानि को तभी पूरा किया जा सकेगा यदि बड़े कार्यकुशल एवं मितव्ययी ढंग से परिचालन किया जा सके और हड़ताल व श्रमिक अशान्ति की कोई बाधा न हो।

Shri M. C. Daga : The Air India has suffered a loss of Rs. 5 crores and yesterday the M.P.'s have also appealed that....

Shri Jagannath Rao Joshi : Have the M.P.s simply made an appeal or have they put their signatures also?

Shri M. C. Daga : Mr. Speaker, Sir, I would like to know what attitude the Government will adopt towards this Pilots guild? Is the Government going to stick firmly to its decision and will not bow down . . .

श्री राज बहादुर : यह सच है कि नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ने इस मामले पर व्यापक रूप से विचार किया है और एकमत से विमानचालकों से अपील की है कि वे स्लिप प्रणाली के मामले के लेकर हड़ताल छोड़ दे तथा इसे स्वीकार कर ले। यदि उन्हें कुछ कठिनाइयां है तो वे इसे प्रबंधक वर्ग के समक्ष रख सकते हैं और प्रबंधक वर्ग इस मामले पर उनके प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करेगा। कुछ विमानचालक इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनमें से एक ने बयान जारी किया है और काम पर वापिस आ गया है। मुझे आशा है कि विमानचालक निश्चय ही उस बैठक में इस विषय पर विचार करेंगे जोकि शनिवार अर्थात् कल होगी . . . यह एक स्थगित बैठक है।

जहां तक क्षति का संबंध है, यह तो सब जानते हैं कि औद्योगिक विवाद में उद्योग को क्षति होती है और हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को भी अपने वेतन की क्षति होती है। औद्योगिक असंतोष और हड़तालों का यह एक अपरिहार्य तत्व है।

Shri M. C. Daga : Will that pilot be given full protection who has not joined the strike and is resuming duty? If the Government yields in favour of striking pilots, harm would be caused to non-striking pilots. Does the Government want to stick to its decision firmly?

श्री राज बहादुर : इस बारे में कुछ शिकायतें की गई हैं कि कुछ विमान चालकों को जोकि काम पर वापिस आना चाहते हैं, भयभीत किया जा रहा है। किन्तु ऐसे विमान चालकों को आश्वासन दिया गया है कि उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार का स्लिप प्रणाली के संबंध में लिए गए निर्णय से पीछ होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भोगेन्द्र झा : इस हड़ताल से देश को बहुत नुकसान हुआ है, जैसाकि देश के लोग जानते हैं कि विवाद स्लिप प्रणाली के मामले को लेकर नहीं शुरू हुआ अपितु प्रबंधक वर्ग ने अपने अध्यक्ष श्री जे० आर० डी टाटा के ज़रिए यह निश्चय किया कि एयर इण्डिया के कार्यकरण में, 'पायलट्स गिल्ड' से परामर्श नहीं किया जाएगा और न ही उनकी किसी सलाह को स्वीकार किया जाएगा। देश के समक्ष यही मुख्य मामला है।

हम सरकारी क्षेत्र का समर्थन कर रहे हैं। कुछ सरकारी उपक्रमों को देश के बड़े अधिकारी और बड़े नौकरशाह लोग चला रहे हैं जो कि दिल से प्रजातेज विरोधी और कर्मचारी विरोधी है। मैं कुछ ऐसे लोगो के बारे में कह रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि किसी विशेष उद्योग के प्रबंध के बारे में कोई नीति निर्धारित करते समय कर्मचारी संघ या गिल्ड, जो कुछ भी हो, का परामर्श नहीं लिया जाएगा और न ही उनकी किसी सलाह को स्वीकार किया जाएगा? मैं विशेषकर स्लिप प्रणाली के संदर्भ में बात कर रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की इस आधारभूत मामले के बारे में क्या स्थिति है? दूसरे मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह यह बात सदन के सामने स्पष्ट करेंगे कि अगर 'पायलट्स गिल्ड' काम पर वापिस आने का निर्णय करता है और विमानचालक काम पर वापिस आ जाते है तो उनको तंग नहीं किया जाएगा तथा उन्हें यथापूर्व स्थिति में रखा जाएगा और अगर वे स्लिप प्रणाली स्वीकार कर लेते हैं तो स्लिप प्रणाली चालू करने के संबंध में 'पायलटस गिल्ड' के साथ परामर्श किया जाएगा।

क्या मंत्री महोदय द्वारा यह घोषणा औपचारिक रूप से की जाएगी? मैं मंत्री महोदय से इस मामले पर विशिष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री राज बहादुर : जहां तक परामर्श लेने का प्रश्न है, प्रबंधक वर्ग द्वारा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से और गिल्ड के प्रतिनिधियों से पूरा-पूरा परामर्श किया गया था। पहला पत्र 11 जनवरी को भेजा गया था।

इस मामले पर 22 जनवरी को फिर उन्होंने लिखा। 18 फरवरी को एक बैठक हुई जिसमें गिल्ड क प्रतिनिधियों को उसी "स्लिप पैटर्न" का पूरा चार्ट दिया गया जिसे कि अब चालू किया जा रहा है। मैं यह भी बता दूं कि इस प्रणाली में अवकाश के संबंध में, उड़ान के संबंध में और ड्यूटी समय के बारे में कुछ भी नया नहीं कहा गया। इन मामलों पर 1961 में उन्होंने सवसम्मति से निर्णय लिया था, मुझे बताया गया है कि इस स्लिप प्रणाली के लिए विमानचालकों ने स्वयं जोर डाला था। स्लिप पैटर्न वर्ष 1963–64 और 1964–65 में चालित रहा। किसी कारण वश इस कार्यप्रणाली को अपनाया गया था लेकिन अवकाश अवधि, उड़ान अवधि और ड्यूटी का समय उसी प्रकार के थे। 1965 के नए समझौत में भी अवकाश अवधि, उड़ान अवधि और ड्यूटी का समय भी वही पुराना रखा गया। 1971 में जब समझौत का नवीकरण किया गया तब भी अवकाश अवधि, उड़ान अवधि और ड्यूटी का समय वही रखा गया। उसे बदला नहीं गया। उसमें कोई अन्तर नहीं आया। इसी आधार पर उन्हें अब स्लिप प्रणाली के अंतर्गत कार्य करने को कहा गया और इस बारे में अनेक विचार पूछे गए। लेकिन अब तक उन्होने अपने विचार नहीं बताए कि उन्हें क्या आपत्तियां हैं। सारे मामले की व्याख्या हेतु 4 मार्च को एक बैठक हुई। इस बैठक में उन लोगों ने भी जिनका बेस हांगकांग में है भाग लिया। प्रत्येक मामले पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। 11 मार्च को प्रबंध निदेशक ने इस विषय के संबंध में उन्हें पुनः लिखा और 19 तारीख को उन्होने जबाब दिया कि वे इस मामले पर चर्चा नहीं करना चाहते और उन्होंने प्रबंधक वर्ग पर यह आरोप लगाया कि वह अपना एक तरफा निर्णय पायलट्स पर थोपना चाहते हैं और उन्होने सुझाव दिया कि इस बारे में एक समिति नियुक्त की जाए। 22 मार्च को प्रबंधक वर्ग ने समिति नियुक्त करने की बात स्वीकार कर ली और फिर उन्होंने कहा कि एयर इंडिया के संपूर्ण परिचालन पर चर्चा की जाये। प्रबंधक वर्ग ने कहा : जहां तक परिचालन में विमानचालकों का संबंध है, उस पर विचार किया जाएगा। 6 जून को विमानचालकों ने इस संयुक्त समिति को भी बेकार घोषित कर दिया। यदि इतना सब कुछ होने पर माननीय सदस्य एयर इण्डिया के अध्यक्ष को, जोकि भारत सरकार के एक अधिकारी हैं और जो कि अब एयर प्रबंध निदेशक हैं, कर्मचारी वर्ग के प्रति विरोधी विचारधारा रखने वाला कहते हैं तो यह तथ्यों के प्रतिकूल है। उनको ऐसे निष्कर्षों पर तुरंत नहीं पहुंचना चाहिए, जिनका कोई औचित्य नहीं।

जहां तक विमानचालकों को सताए जाने की बात है, सताए जान का प्रश्न नहीं उठता। प्रत्येक मामले में, जहां तक अनुशासन का संबंध है, गुणदोषों के आधार पर निर्णय किया जाएगा।

श्री ए० पी० शर्मा : जो कुछ मंत्री महोदय ने बताया है उससे ऐसा आभास होता है कि 'स्लिप प्रणाली' कोई नई बात नहीं। यह 1963–64 और 1964–65 में लागू थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह स्लिप प्रणाली एयर इंडिया में ही लागू की जा रही है कि अन्य एयर लाइनों में विद्यमान है? जो कुछ तथ्य हमारे सामने है उनसे पता चलता है कि विमान-चालकों ने स्लिप प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करना स्वीकार कर लिया है। उनको सिर्फ यह शिकायत है कि इस बारे में प्रबंधक वर्ग ने एक तरफा निर्णय क्यों लिया। तथ्यों से यह भी ज्ञात होता है कि उनकी आपस में इस मामले पर कई बैठकें हुई। वर्ष 1963–64 और 1964–65 में गिल्ड के कहने पर, उसके जोर देने पर, स्लिप प्रणाली चालू की गई और इस बार भी उन्होंने स्लिप प्रणाली को स्वीकार कर लिया। फिर क्या कारण है कि एयर इंडिया के कर्मचारियों ने प्रबंधक वर्ग को कोई नोटिस दिए बिना ही काम पर जाना बंद कर दिया और हड़ताल कर दी? म यह भी जानना चाहता हूं कि गिल्ड के सामान्य निकाय की इस आम सभा बैठक को बार-बार स्थगित क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार को इस बैठक के स्थगित होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है?

नागरिक उड्डयन की संसदीय परामर्श दात्री समिति ने भी हड़ताल करने वाले विमानचालकों से एकमत से अपील की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस अपील के बारे में पायलट्स क्लब की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उन्होंने काम पर वापिस आने का निर्णय कर लिया है?

क्या प्रबंधक वर्ग इस बात का आश्वासन देगा कि विमानचालकों के काम पर वापिस आ जाने के बाद स्लिप प्रणाली के कार्यकरण के बारे में उनसे बातचीत की जाएगी और यदि उन्हें कुछ शिकायत होगी तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा ?

श्री राज बहादुर : जहां तक स्लिप प्रणाली का संबंध है, समस्त विश्व की मुख्य एयरलाइनें इस प्रणाली के आधार पर कार्य कर रही हैं। मैं उनके नाम बताने की आवश्यकता नहीं समझता। इससे उत्तर अनावश्यक रूप से विस्तृत हो जाएगा।

स्लिप प्रणाली के अनुसार कार्य करने के बाद भी उन्होंने इसे स्वीकार करने से क्यों इनकार कर दिया है, यही प्रश्न मुझे भी उलझा रहा है। जहां तक पायलट्स गिल्ड के सामान्य निकाय की बैठक के स्थगित होने का प्रश्न है, इस बारे में मुझे एक वरिष्ठ कैप्टन श्री मदन लाल कालिया द्वारा पायलट्स गिल्ड के अध्यक्ष को लिखे पत्र की एक प्रति प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने पायलट्स गिल्ड के अध्यक्ष को लिखा है :

> "मैं सामान्य निकाय की बैठक की प्रतीक्षा कर रहा हूं, पर मुझे पता चला है कि बैठक को बुधवार से शुक्रवार और फिर शुक्रवार से शनिवार और फिर शनिवार से सोमवार और सोमवार से बुधवार के लिए स्थगित किया गया है।"

यह शिकायत हमें प्राप्त हुई है। जहां तक शिकायतें का संबंध है, अगर वह परामर्शदात्री समिति की अपील को स्विकार कर लेते हैं और काम पर वापिस आ जाते हैं तो अगर परिचालन के समय उन्हें कुछ कठिनाईयां या कमियां महसूस होती है तो निश्चय ही प्रबंधक वर्ग इस पर विचार करेगा।

श्री डी० डी० देसाई : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्लिप प्रणाली द्वारा विमानचालकों के विश्राम के घंटो, कार्य के घंटो, कार्य–भार, प्रति घंटा कार्य के मेहनताना और नौकरी की शर्तो तथा अन्य सुविधाओं में तो अन्तर नहीं पड़ता। आखिर यह औद्योगिक उत्पादिता का मामला है। क्या विमान-चालकों के असंतोष का कारण औद्योगिक उत्पादिता के अनुरूप भुगतान न होना है अथवा कि इसका संबंध बाहरी मामलों से है ?

श्री राज बहादुर : मैंने जो कुछ कहा है उसको फिर दोहरा देता हूं। विश्राम काल, उड़ान काल और ड्यूटी का समय अर्थात् वह समय जबकि वे हवाई अड्डे पर रिपोर्ट करते हैं, एक उड़ान भरने के बाद दूसरी के बीच का विश्राम काल इत्यादि यह सब बातें काफी पहले 1961 में तय हो गई थी और अब तक वैसे की वैसे हैं। विमानचालक के 'बेस पैटर्न' पर या 'स्लिप पैटर्न' पर काम करने से उनमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। 9 घंटे उड़ान का समय और 12 घंटे ड्यूटी का समय निर्धारित है और उसके बाद विश्राम। साथ ही इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि एक विमानचालक को लगातार दो रातों से ज्यादा उड़ान न करनी पड़े। जो शर्तें बेस पैटर्न में है, वही शर्तें स्लिप पैटर्न में भी रहेंगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : हाल ही में, मैं बम्बई गया था और वहां मुझे इस गिल्ड के कुछ पदाधिकारियों से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इन पदाधिकारियों में से एक वरिष्ठ विमान-चालक था जोकि प्रधानमंत्री को विदेश ले गया था तथा उसे इस कार्य के लिए उचित पुरस्कार भी दिया गया था।

उन्होंने मुझे बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि उन्होंने मंत्री महोदय को काफी अच्छी तरह यह बात स्पष्ट कर दी है कि वे स्लिप प्रणाली स्वीकार करने को तैयार है और उन्हें मंत्री महोदय के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है तथा मंत्री महोदय उनके प्रति उदार है। वे क्वेंटाज, बी० ओ० ए० सी० आदि जैसी सभी अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों में प्रचलित स्लिप प्रणाली को स्वीकार करने

के लिए तैयार हैं, यदि उनके वेतन के अतिरिक्त उन्हें वे सभी सेवा शर्तें दी जाये। भारत उन जैसे वेतन तो नहीं दे सकता। वे क्वेंटाज, बी० ओ० ए० सी० आदि में प्रचलित सेवा शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

(ख) इसके परिणामस्वरूप एयर इण्डिया की लगभग 5 करोड़ रुपये की हानि हुई है। स्लिप प्रणाली को लागू करने के सिलसिले में एयरलाइन्ज को 5 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि लंदन स्थित कार्यालय के महाप्रबन्धक श्री दलाल गत 22 वर्ष से वहीं हैं और उनके पास एक ब्रिटिश पासपोर्ट है तथा उन्हें 10,000 रुपये विदेशी मुद्रा में दिया जा रहा है और इसी प्रकार अमरीका में न्यूयार्क के महाप्रबन्धक के पास भी अमरीकी पासपोर्ट है? जब इन लोगों को भारत आने के लिए कहा गया तो उन्होंने इन्कार कर दिया। क्या मंत्री महोदय व्यर्थ खर्च की जा रही इस धनराशि की जांच लोक लेखा समिति द्वारा करवाने के लिए तैयार हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि विमान चालकों को 10,000 रुपया दिया जा रहा है परन्तु उन्हें हाथ में केवल 2,500 रुपये से अधिक नहीं मिलते हैं। मैं वेतन स्लिप प्रस्तुत कर सकता हूं। क्या सरकार लोक लेखा समिति या सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति या प्राक्कलन समिति द्वारा जांच करवाने के लिए तैयार हैं? क्या वह यह आश्वासन देंगे कि किसी को हानि नहीं पहुंचायी जायेगी? श्रीमान जी, मेरा यह विश्वास है कि यदि मंत्री महोदय एक बार उनसे मिले और इस मामले में उन्हें निदेश दें तो वह अपनी हड़ताल वापिस ले लेंगे।

श्री राज बहादुर : जहां तक अन्य विमान कम्पनियों के साथ तुलना का प्रश्न है, विश्राम काल' उड़ान काल, कार्य काल आदि के बारे में तो अन्य विमान कम्पनियों की तुलना में हमारी स्थिति बेहतर है। जहां तक मार्ग प्रणाली का सम्बन्ध है, हम अपने सीमित मार्गों पर ही उड़ाने भरते हैं। पी० ए० तथा अन्य विमान कम्पनियां विश्व भर में उड़ाने भरती हैं। यह स्लिप प्रणाली ऐसी है कि विमानचालक 10 या 11 दिन तक बाहर रहे। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमारे विमानचालक तो 7 दिनों में ही अपने बेस पर वापिस आ जाते हैं। ब्रिटिस एयरवेज में वह 16 दिन में वापिस आ जाते हैं। वे लंदन से सिड़नी जाते हैं, तथा सिडनी से वे हांगकांग के रास्ते से होते हुए फिर लंदन आ जाते हैं। इसमें उन्हें 16 दिन या उससे कुछ अधिक समय लगता है। अतः उनकी मार्ग प्रणाली तथा हमारी मार्ग प्रणाली में किसी प्रकार तुलना नहीं की जा सकती। जहां तक उनके रहने वाले होटलों की श्रेणी का सम्बन्ध है, वे श्रेणी एक जैसी ही है। हमने देखा है कि हमारे विमानचालक को भी जिन होटलों का आबंटन किया गया है वह पी० ए० तथा अन्य विमानचालकों के लिए आबंटित होटलों से किसी प्रकार कम दर्जे के नहीं है। जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है, उन्होंने एयर इण्डिया के लिए नाम कमाया है। उन्होंने एयर इण्डिया की अच्छी प्रतिष्ठा बनाई है और अन्य विमान कम्पनियों के अधिकारियों या विमानचालकों की तुलना में उन्हें कुछ अधिक नहीं मिल रहा, सदस्य महोदय ने यह भी बताया कि मैं विमान चालकों के प्रति उदार रहा हूं। परन्तु मुझे खेद केवल इस बात का है कि वे मेरे प्रति उदार नहीं रहे हैं। उन्होंने मेरी अपील को नहीं सुना है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा इसकी जांच करवाई जायेगी ...

श्री राज बहादुर : यह एक सरकारी उपक्रम है और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति किसी भी समय इसकी जांच कर सकती है।

Sri Md. Jamilurrahaman : It is clear from the reply of the hon. Minister that uptill now, Air India has sustained heavy loss. I would like to know whether trained pilots will be loaned from Indian Air Force to maintain the Air India services so as to save it from further losses?

Shri Raj Bahadur : I hope that Indian Pilots Guild will pay heed to our appeal. But in case it does not happen, I am not prepared to say anything about the steps which will be taken in this regard.

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : इस समाचार को दृष्टिगत रखते हुये कि हांगकांग में कुछ विमान-चालकों को विमानों में से उतार दिया गया तथा उन्हें होटलों में से बाहर निकाल दिया गया, मैं यह जानना चाहता हूं, कि क्या विमानचालकों के प्रति किये गये इस अभद्र व्यवहार के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री राज बहादुर : हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर वह इसके बारे में मुझे लिखे, तो मैं इसकी जांच करने को तैयार हूं।

प्रो० मधु दण्डवते। उन्होंने यह घोषणा कर दी है कि वे इस प्रकार की स्लिप प्रणाली के विरुद्ध नहीं हैं। वे तो केवल यही चाहते हैं कि सुरक्षा सहित इसके सभी पहलुओं की जांच एक समिति द्वारा की जानी चाहिये। यह सौभाग्य की बात है कि परामर्शदात्री समिति ने एक मत से उन्हें वापिस काम पर लौटने की अपील की और फिर जो भी कठिनाईयां हो, उनका अध्ययन किया जा सकता है और चूकि वे समझौते के लिए तैयार नहीं है, अत: बिना और अधिक समय नष्ट किये, क्या वह उन्हें कृपया बातचीत के लिए बुलायेंगे ताकि परामर्शदात्री समिति द्वारा एक मत से की गई अपील के आधार पर अन्तत: इस समस्या को सुलझाया जा सके ?

श्री राज बहादुर : उनके साथ बातचीत करने के लिए हमारे दरवाजे सदा ही खुले हैं। मैंने उनसे कहाँ था कि आप स्लिप प्रणाली को स्वीकार कर लीजिये। इसे कुछ समय के लिए चलने दीजिये और फिर यदि कोई कठिनाई सामने आयेगी, तो हम आपसी बातचीत द्वारा उसकी आच कर लेंगे। यह कार्य पहले भी प्रबन्धकों तथा उनके प्रतिनिधियों के बीच अनेक चरणों में बातचीत की माध्यम से किया गया है। वे सभी चाहते थे कि इसके लिए एक समिति का गठन किया जाए, जिसका गठन उनके लिए किया भी गया परन्तु उन्होंने स्वयं ही उसे अस्वीकार कर दिया। उसे फिर निरर्थक बना सकते हैं। जब उन्होंने स्वयं ही यह कहा था कि इस प्रकार की समिति निरर्थक है तो फिर वे इस प्रकार की समिति के गठन की मांग किस प्रकार कर सकते हैं ?

नेपाल के बैंकों में काला धन जमा करके भारतीय व्यापारियों द्वारा कर अपवंचन किया जाना

+

***572. श्री डी० वी० चन्द्र गौडा :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से भारतीय व्यापारियों ने कर अपवंचन करने के लिए अपना बड़ी राशि में लेखा बाह्य धन नेपाल के बैंकों में जमा कर दिया है;

(ख) क्या उनमें से बहुतों ने जाली नामों से नेपाली बैंकों में अपने खाते खुलवा रखे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार के पास इस संबंध में कोई निश्चित सूचना नहीं है। लेकिन, हाल में छपे समाचारों के आधार पर जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि जब आयकर अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही थी तब उन्हें कुछ इस्पात व्यापारियों के कब्जे में 2 लाख रुपये नकद तथा जेवरात आदि मिले और उनसे गिरोह से सम्बद्ध एक व्यक्ति तुरन्त ही हवाई जहाज द्वारा काठमान्डु चला गया और वहां पहुंचने पर अगले ही दिन उसने अपने बैंक का खाता नेपाली बैंक से स्विस बैंक में अन्तरित करवा लिया ?

श्री के० आर० गणेश : इस समय मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहां तक इस विशेष मामले में मुद्रा का सम्बन्ध है, मुद्रा पकड़ी गई थी। जैसा कि सदन को मालूम है मैं यह जानकारी दे ही चुका हूं। उसकी परिसम्पत्ति लगभग 9 लाख रुपये की है। जहां तक सदस्य महोदय का विशिष्ट प्रश्न है कि क्या इस फर्म का एक विशेष व्यक्ति नेपाल गया और उसने अपना बैंक खाता नेपाली बैंक से स्विस बैंक में अन्तरित करवा लिया, इस व्यक्ति विशेष के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में अभी जांच पड़ताल की जा रही है।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : हमारे समक्ष विद्यमान काले धन की भीष्म समस्या के सन्दर्भ में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह कोई इस प्रकार का नया कानून बनाने का विचार कर रही है जिससे कि भारतीय अधिकारियों द्वारा सभी अन्तर महाद्वीपीय परिसम्पत्तियों की जांच पड़ताल की जा सके ?

श्री के० आर० गणेश : सदन को मालूम ही है कि नेपाल और भारत के बीच मुद्रा सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अतः विदेशी मुद्रा विनियम इस मामले में लागू नहीं होते, अतः कोई भी भारतीय किसी भी नेपाली बैंक में अपना धन जमा करवा सकता है और इसी प्रकार कोई भी नेपाली किसी भी भारतीय बैंक में अपना धन जमा करवा सकता है। यह उस देश के साथ हमारे सम्बन्धों के आधार पर हुए करार का ही परिणाम है तथा इस देश के साथ हमारे विशेषतया अच्छे सम्बन्ध है तथा इसमें दोनों ही देशों का आपसी पारस्परिक हित है, इसी लिए ऐसी व्यवस्था है। काले धन का मामला निश्चय ही आज हमारी सब से बड़ी समस्या है। इस प्रकार जो बेईमान लोग धनराशि जमा करवाते है, उन्हे इससे लाभ हो सकता है। इस समस्या की जांच रिज़र्व बैंक प्रवर्तन निदेशालय आयकर–विभाग और केन्द्रीय जांच ब्यूरो आदि अनेक निकायों द्वारा की जा रही है। अभी तक हमें यही जानकारी प्राप्त हुई है कि नेपाल में जमा कराये जाने वाले काले धन की समस्या अभी इस सीमा तक नहीं पहुंची है कि हम उसके बारे में चिन्तित हों।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रप्पन, वह उपस्थित नहीं है। श्री भोगेन्द्र झा।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को जानकारी है कि अनेक व्यक्तियों ने, जिनमें से अधिकांश व्यापारी है तथा कुछ अन्य हैं, अपनी आयकर वाली धनराशि तथा सम्पत्ति नेपाल में अपने लड़कों के नाम से अन्तरित करवा दी है और वे तस्करी तथा अन्य इसी प्रकार के कार्यों में लगे हुये हैं ? उन पर यहां कर नहीं लगाया जा सकता। वे नेपाल सरकार की सहायता भी नहीं करते हैं। वे कुछ वस्तुओं का निर्यात करते हैं और उन्हें काले बाज़ार में बेच देते हैं। नेपाल भी इससे खुश नहीं है। अतः क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों की एक सूची बनाने के लिए तैयार है, यदि उनके पास जानकारी हो कि कितने लोग ऐसे हैं जिन के परिवारों के कुछ सदस्य भारत में हैं और कुछ नेपाल में और इस प्रकार वे करोड़ों रुपया नेपाल भेज रहे हैं जिस पर भारत में आयकर लगाया जा सकता था। यदि ऐसी धनराशि पर आयकर लगाया जाना है तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसे लोगों की कोई सूची तैयार की है जिन को कानून के शिकंजे में लाया जा सके और जिन पर आयकर लगाया जा सके ?

श्री के० आर० गणेश : पहली बात तो यह है कि एक गैर-निवासी की आय नेपाली बैंक में चली गई है। बैंक के नियमों के अनुसार इसका पता लगाना आसान काम नहीं है। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न भी उठाया है कि दोनों देशों के बीच धन के स्वछन्द आदान प्रदान की सुविधा के फलस्वरुप कुछ व्यक्तियों द्वारा इसका लाभ उठाया जा रहा है और वे करों से बच रहे हैं, तथा कुछ अन्य ऐसे लोग भी हैं जो कि अनधिकृत कार्यों में लगे हुये हैं। इस समस्या का अध्ययन विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है।

श्री के० लक्कप्पा : अध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बद्ध यह समाचार भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि जेवरात तथा अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त इसम 75 लाख रुपया लगा हुआ है। इस कार्य में कलकत्ता तथा बम्बई के बड़े बड़े इस्पात के व्यापारी लगे हुये हैं। चुंकि छापे नहीं मारे गये हैं, इसलिए ये लोग भारत और नेपाल के बीच पूरी आजादी से आ जा रहे हैं तथा अपना काला धन जाली खातों में रखे हुये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा सशक्त तंत्र है, जो बड़े पैमाने पर चल रहे इस प्रकार के सभी धंधों को प्रकाश में ला सके ? ये लोग नेपाल के बैंकों में से अपनी धनराशि स्विस बैंकों में अन्तरित करवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को यह बता दूं कि आप विशिष्ट समाचार तथा नेपाली बैंक के समाचार को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाये हैं। आप दोनों समाचारों को मिला रहे हैं।

श्री के० लक्कप्पा : मेरे पास इस समाचार का कटिंग है। मैं इस कार्य में लगे हुये व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनको तसल्ली करवा सकेंगे ?

श्री के० आर० गणेश : इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि छापे मारे गये हैं परन्तु उनके बारे में मैंने कहा कि मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। दुसरा प्रश्न यह है कि क्या सम्बद्ध व्यक्तियों में से एक व्यक्ति धन जमा करवाने या कुछ धन नेपाल से स्विटजरलैन्ड अन्तरित करवाने के लिए नेपाल गया था। यह प्रश्न का दूसरा पहलू है। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री राम सहाय पांडे : श्रीमानजी, मंत्री महोदय ने अभी बताया कि उन्हें भारत से नेपाल को काले धन के अन्तरित किये जाने सम्बन्धी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। हमारी भारतीय मुद्रा नेपाल की मान्यता प्राप्त मुद्रा है। इससे इस कार्य में लगे यहां के लोगों को आसानी से धन नेपाल अन्तरित करने का अवसर मिल जाता है और नेपाल से अन्य किसी देश को अन्तरित करने का। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार द्वारा नेपाल सरकार के साथ कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे यह पता चल सके कि नेपाल को कितना धन अन्तरित किया गया है ? वहां अनेक उद्योग स्थापित किये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत और नेपाल के बीच कोई इस प्रकार की व्यवस्था है ?

श्री के० आर० गणेश : श्रीमानजी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, भारत और नेपाल का स्वतन्त्र मुद्रा क्षेत्र है। अब यह समस्या हमारे समक्ष आई है। यह समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां तक हमारे रिजर्व बैंक तथा अन्य निकायों का सम्बन्ध है, हम उनके माध्यम से पहले ही इस मामले की जांच करवा रहे हैं। जब सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच जायेगी कि यह समस्या काफी गंभीर हो गई है, तो फिर निश्चय ही नेपाल सरकार से इसके बारे में बातचीत की जायेगी। उसी स्थिति में इस पर विचार किया जा सकता है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, it has been stated by the hon. Minister that according to prevalent laws, they are faced with some such problems that accounts in foreign countries cannot be checked. It was six years back when his predeces-

sor, while replying to a question, told me that about 150 persons are operating their accounts in foreign countries. May I know if it is not possible for our Government to establish contacts with Nepal Government to know the persons and their deposited money in Nepali Banks? These people are keeping their valuables in lockers. So, may I know if Government will try to know it in the interest of the country?

श्री के० आर० गणेश : श्रीमानजी, जहां तक नेपाल के बैंकों का सम्बन्ध है, उनके यहां भी विश्व के अन्य बैंकों की तरह ही गोपनीयता के तथा अन्य विनियमन आदि होंगे । जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब सरकार और विभिन्न एजेंसियों इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि नेपाल को जा रहा धन इतना अधिक है तब मामले पर नेपाल सरकार से बातचीत की जाएगी । अभी वह स्थिति आई नहीं ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, a lot of legalised smuggling is going in between India and Nepal on a large scale in synthetic yarn, fabrics, stainless steel and unbottled whisky and those engaged in this business are mostly Indians and their offices are in Bihar and Calcutta. I have submitted their names as well. I would like to know if their houses or offices in Bihar and Calcutta have been raided?

श्री के० आर० गणेश : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है ।

Shri Yadhu Limaye : If he does not know, Shri Chavan might be knowing.

Shri Yeshwantrao Chavan : Let him put the question. I will answer that.

Shri Madhu Limaye : Even when correspondence goes on with the Government for a long time, he is unable to supply information. I always send copies to the Industrial Development Commerce and Finance Ministries, so he should be able to reply. He keeps sitting silently. You should shake him up.

Mr. Speaker : You give me such advice almost daily.

विदेश व्यापार में वृद्धि

*573. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, लातीनी अमरीकी देशों तथा पूर्वी यूरोपीय देशों तथा सोवियत संघ के साथ हमारा व्यापार बढ़ जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार की नीतियों का उद्देश्य विश्व में सभी देशों के साथ हमारे व्यापार में विविधता लाने तथा उसमें वृद्धि करना है जिनमें उत्तरी अमरीका, दक्षिण अमरीका, और पूर्व यूरोप तथा सोवियत संघ शामिल हैं ।

(ख) विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों के सहयोग से जो निर्यात संवर्धन प्रयास किये जा रहे हैं उनमें भारत तथा इन देशों क बीच व्यापारिक प्रबन्धों का किया जाना, बाजार सर्वेक्षण, व्यापार दलों के दौरे, विदेशों में मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेना आदि शामिल है ।

Shri Onkar Lal Beruea : Mr. Speaker, Sir, I want to know in how many trade fares India has participated during this year and the last year and what expenditure has been incurred thereon, what has been the increase in our trade and how many new orders we have received?

श्री ए० सी० जार्ज : इस समय मैं मेलों की संख्या तथा उन पर व्यय किए गए धन के बारे में सही सही नहीं बता सकता। मैं यह जानकारी माननीय सदस्य को दूंगा।

Shri Onkar Lal Beruea : My other question is : how is it that we are unable to comply fully with the orders that are placed with us in the international fares? I want to know the particulars of the orders which have been fully complied with and of the orders which are yet to be executed?

श्री ए० सी० जार्ज : हमारा निरंतर प्रयास उन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने का है जिनके निर्यात की संभावना रहती है और हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जब उनके निर्यात की संभावना उत्पन्न हो तो हम उनका निर्यात करने की स्थिति में हों। किंतु मुख्य बाधा कच्चे माल या अन्य प्रतिबंधों के कारण है, अन्यथा इन सब परीक्षणों का लाभदायक परिणाम निकल रहा है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : पूर्व यूरोपीय देशों तथा लातीनी अमरीकी देशों में मेले तथा सम्मेलन आयोजित करने के संबंध में किए गए सब प्रयासों के परिणामस्वरूप, इन देशों से कितनी मात्रा में व्यापार बढ़ा है और जिन देशों से हमने व्यापार संपर्क स्थापित किए है क्या उनके साथ कोई द्विपक्षीय समझौते भी किए गए हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : 1953 में पूर्व यूरोपीय देशों के साथ, जिसमें सोवियत संघ भी सम्मिलित है, हमारा व्यापार 8.6 करोड रुपये के लगभग था और पिछली दो दशाब्दियों से इसमें वृद्धि हुई है। 1963 में 302 करोड़ रुपये का और 1973 में लगभग 700 करोड़ रुपये का इन पूर्वी योरोपीय देशों के साथ व्यापार हुआ। हमारे व्यापार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और हमने रूपयों में भुगतान संबंधी द्विपक्षीय समझौते किए है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय ने कहा है कि पूर्व यूरोपीय देशों से हमारा व्यापार बढ़ रहा है लेकिन एक अन्य प्रश्न, यथा प्रश्न संख्या 587, के उत्तर में उन्होंने एक विवरण सभा-पटल पर रखा है जिसमें स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंडी में 1963 से 1973 के दौरान हमारा व्यापार 1.2 प्रतिशत से घटकर 0.6 प्रतिशत रह गया है। हमारा निर्यात व्यापार बहुत निम्न स्तर पर हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि निर्यात में निरंतर कमी किह कारण हो रही है, जबकि सदन में यह आश्वासन दिया जाता है कि सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए हर उपाय कर रही है, जबकि निर्यात उसी स्तर पर रहने की अपेक्षा प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है।

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्य जिस उत्तर का उल्लेख कर रहे हैं वह विश्व निर्यात की तुलना में अथवा, समानता में, भारत द्वारा किए जाने वाले निर्यात के अनुपात के बारे में है। जो उत्तर मैं दे रहा था वह हमारे अपने निर्यातों की तुलना में था। 1953 से 1973 तक की अवधि के दौरान हमारा निर्यात 8.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 700 करोड़ रुपये का हो गया। विश्व व्यापार, जिसमें विश्व के सभी देश सम्मिलित है, के विकास का विभिन्न स्तर हो सकता है। हमें कवल अपने सीमित संसाधनों से स्पर्धा कर सकते हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : हाल ही में हमारा लातीनी अमरीका के किन विशेष देशों से निर्यात बढ़ा है और उन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने में, जिनमें निर्यात की संभावनाएं हैं और जिनकी इन देशों को आवश्यकता है तथा जिसे यह लोग पसन्द करते हैं, हम उनकी सप्लाई करने में समर्थ क्यों नहीं हैं ? क्या हम में कोई दोष है जिसके कारण निर्यात कम स्तर पर रहता है ?

श्री ए० सी० जार्ज : जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, सभी लातीनी अमरीकी देशों की जनसंख्या 20 करोड़ है। लम्बी दूरी तथा अपर्याप्त नौवहन सुविधाओं के कारण हमारे केवल

अर्जेंटीना, चील, पीरू, मैक्सिको, और पानामा के साथ उचित व्यापार संबंध हैं। चील, पेरु, ब्राजील और कोलम्बिया के साथ समझौता हमारे राष्ट्र के हित में सबसे अनुकूल खण्ड के आधार पर हुए है, किन्तु लम्बी दुरी और कुछ व्यापार प्रक्रियाओं के कारण, हम लातीनी अमरीकी सभी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में समर्थ नहीं हुए। हम अपने व्यापार मिशन वहां भेजते रहे हैं। हम उनके खरीदारों को मिशनों को निमंत्रण भी भेजते है और अपने उत्पादों में उनकी रूचि उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे है। इस संबंध में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमारे व्यापार का स्तर अभी वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए, फिर भी इसमें वृद्धि हो रही है।

श्री पी० जी० मावलंकर : निर्यात संवर्धन के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री ए० सी० जार्ज : हम प्रयास कर रहे है।

घाटे की अर्थ व्यवस्था

*577. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि की घाटे की अर्थव्यवस्था हुई है; और

(ख) घाटे की अर्थव्यवस्था के लगातार बढ़ने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राजकोष हुण्डियों में हुई निवल वृद्धि और नकद शेष में हुई घटाबढ़ी के अनुसार केन्द्रीय सरकार के बजट का घाटा 1971–72 में 517 करोड़ रूपये, 1972–73 में 872 करोड़ रुपये (जिसमें रिजर्व बैंक से लिए औवरड्राफ्ट को पूरा करने के लिए राज्यों को दी गयी 421 करोड़ रुपये की रकम शामिल नहीं है) और 1973–74 में 319 करोड़ रुपये का था।

(ख) 1971–72 की तुलना में 1972–73 में बजट के घाटे में वृद्धि हुई थी, लेकिन 1973–74 में यह कम हो गया था। इन तीन वर्षों में बजट का घाटा अधिक होने के मुख्य कारण ये है कि पाकिस्तान के साथ लढ़ाई होने के कारण रक्षा व्यय बढ़ गया, शरणार्थी सहायता पर धन खर्चा हुआ, राज्यों को अपनी आयोजना पूरी करने और कृषि उत्पादन के लिए अतिरिक्त सहायता दी गयी, देवी विपत्तियों के कारण राहत कार्यों पर दिये जाने वाले खर्च के लिए अधिक सहायता दी गयी और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तो पर अधिक खर्च हुआ।

श्री पी० जी० मावलंकर : उत्तर के भाग (क) में मंत्री महोदय ने 872 करोड़ रुपये के आकडे दिये है, जिसमें राज्यों को दी गई 421 करोड़ रुपये की रकम शामिल नहीं है। यदि आप दोनों रकमों को मिला दें तो यह 1300 करोड़ रुपये के करीब बैठती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वर्ष भी हमारे देश को सूखा, अभाव, बाढ़ इत्यादि अनेक समस्याओं जिनका उल्लेख उत्तर के (ख) भाग में किया गया है, का सामना करना पड़ा है, क्या सरकार, चालू वर्ष में इन अपिरहार्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बजट में घाटे की अग्रेतर व्यवस्था करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वर्तमान नीति के अनुसार, जो वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, मेरा उत्तर है 'नहीं'।

श्री पी० जी० मावलंकर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि घाटे की अर्थव्यवस्था के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं, जिनका उत्तर के भाग (ख) में उल्लेख किया गया है, और जो स्थायी स्वरुप के बन गए हैं, क्योंकि विशेषकर पड़ौसी देश से आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है और सूखा राहत कार्यों की समस्याएं, केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा अधिक वेतन की मांग करना इत्यादि तो चलते रहते हैं तो क्या वह हमें इस बात का विश्वास दिलाना

चाहते हैं कि घाटे की अर्थव्यवस्था में समुचित कमी होगी ? अथवा क्या सरकारी व्यय में कमी करके तथा अन्य बचतों के द्वारा चालू वर्ष 1974–75 में घाटे की अर्थव्यवस्था को कम किया जा सकता है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस प्रश्न का सदन में पिछले तीन सप्ताहों से विभिन्न अवसरों पर उत्तर देता रहा हूं।

व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा निर्यात

*578. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य सचिव ने एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि व्यापार विकास प्राधिकरण ने 45 करोड़ रुपये का निर्यात किया था जो कि गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना में दुगना है;

(ख) क्या निर्यात संबंधी आंकड़ों को तैयार करते समय व्यापार विकास प्राधिकरण नें अपने एजेंटों द्वारा किए गए निर्यात का श्रेय भी लिया है और अन्य बातों के साथ–साथ इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि बुक किए गए ऐसे क्रयादेशों को भी शामिल किया है जिससे बडी संख्या में क्रयादेश बाद में रद्द कर दिए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं सम्पन्न निर्यातों के तथा उनके एजेंटों द्वारा किए गए निर्यातों के अलग अलग वास्तविक आंकड़े क्या हैं और यह बात सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि व्यापार विकास कार्यकरण के कार्यों के बारे में केवल सही जानकारी सरकार और जनता को दी जाये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है

विवरण

(क) तथा (ख) व्यापार विकास प्राधिकरण एक गैर व्यापारिक निकाय है जो चुने हुए लक्ष्य बाजारों को 19 उत्पाद समूहों में अपने ग्राहकों द्वारा किये जाने वाले निर्यातों के विकास व संवर्धन में लगा हुआ है। व्यापार विकास प्राधिकरण सीधे ही निर्यात नहीं करता। 25 जून 1974 को हुई प्रेस कान्फ्रेंस में वाणिज्य सचिव न यह उल्लेख किया था कि 19 उत्पाद समूहों के संबंध में इन लक्ष्य बाजारों को व्यापार विकास प्राधिकरण के ग्राहकों द्वारा किये गए कुल निर्यात 1973–74 के दौरान 45.33 करोड़ रु० के हुए जब कि 1972–73 के दौरान 23.28 करोड़ रु० के हुए थे। ये आंकड़े वास्तविक निर्यातों पर आधारित हैं और इनमें ऐसे क्रयादेश शामिल नहीं हैं जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन 19 उत्पाद समूहों में काफी उत्पादों के आर्डर रद्द कर दिए गए हैं, यदि हां, तो रद्द करने के कारण क्या हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैंने विवरण में यह स्पष्ट किया है कि ये आंकड़े वास्तविक निर्यातों पर आधारित हैं और इनमें ऐसे क्रयादेश शामिल नहीं जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया हो। रद्द हुए क्रयादेश नगण्य हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : चुंकि हमारे निर्यात मुख्यत : स्टर्लिंग क्षेत्रों को होते हैं और स्टर्लिंग विनिमय में बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है, क्या सरकार ने उस क्षति का अनुमान लगाया है जो हमें अपने निर्यात में स्टर्लिंग के साथ रुपया मिलाने के कारण हुई है ?

श्री ए० सी० जार्ज : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबद्ध है अथवा नहीं। यदि यह मुख्य प्रश्न से संबद्ध है, तो मैं इसका उत्तर दूं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : यदि मंत्री महोदय इसका उत्तर बाद में भी देंगे तो मैं संतुष्ट होउंगा।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु आपका अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबद्ध नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : चूंकि व्यापार विकास प्राधिकरण ने बहुत अच्छा काम किया है, क्या इसे स्थायी निकाय बनाने और इसके विस्तार की आपकी कोई योजना है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह एक सांविधिक निकाय है जिसका कार्य व्यापार गतिविधियों और निर्यात का संवर्धन करना है। व्यापार विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्य विदेशों में अपनी वस्तुओं के लिए मंडियां खोजना, उनकी संभावनाओं का पता लगाना, उत्पादों के विविधि करण का अनुमान लगाना तथा यह सब जानकारी उत्पादकों को देना है, ताकि वे मांग के अनुरूप सप्लाई कर सकें। इसे स्थायी निकाय बनाया जाएगा और यह अच्छा कार्य कर रहा है।

श्री डी० डी० देसाई : व्यापार विकास प्राधिकरण अनेक व्यापार कार्यों के विकास कार्य में सफल हुआ है। क्या सरकार ने व्यापार विकास प्राधिकरण हेतु कुछ पृथक विदेशी मुद्रा निर्धारित की है ताकि वह उन विकासोन्मुख गतिविधियों, जिनका वह सृजन करेगा, हेतु नए संयंत्र, कच्चा माल इत्यादि ले सके ?

श्री ए० सी० जार्ज : चूंकि यह केवल एक संवर्धक निकाय है, यह प्रत्यक्ष रुप से उत्पादन नहीं कर सकता। यह केवल भारत में उत्पादकों को लाइसेंस प्रक्रिया, कच्चे माल की वसूली इत्यादि कराने में सहायता कर सकता है।

श्री डी० डी० देसाई : यदि व्यापार विकास प्राधिकरण निर्यात गतिविधियों का संवर्धन करता है तो उन गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु उसके पास साधन भी होने चाहिए, क्या उस उद्देश्य हेतु इसके पास आवश्यक उपकरण है ?

श्री ए० सी० जार्ज : व्यापार विकास प्राधिकरण मुख्यत: एक संवर्धक निकाय है। यह आंतरिक ढांचा बनाने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करता है। यह स्वयं कुछ उत्पादन नहीं करता। संवर्धन के सभी पहलुओं पर यह विचार करता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण

*570. **श्री एन० ई० होरो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गए कुल ऋण का एक बड़ा भाग पांच बड़े औद्योगिक गृहों को दिया गया है और लघु उद्योगों को उनकी तुलना में बहुत कम ऋण मिला है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि राष्ट्रीयकृत बैंक लघु उद्योगों को ऋण देने में किस हद तक वृद्धि कर सकते हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जिनपर पहले पांच बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों (जिन्हें उनकी 1969–70 की परिसम्पत्तियों के अनुसार क्रम में किया गया है) का स्वामित्व, प्रबन्ध या नियंत्रण है दिये गये अग्रिमों की कुल बकाया रकम, और इन बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की बकाया रकम की तुलना चाहते हैं। 29–6–1973 को सबसे हाल की उपलब्ध सूचना के अनुसार सम्बद्ध आंकड़े निम्न प्रकार है :–

(लाख रुपयों में)

क. औद्योगिक ग्रुप :

ग्रुप का नाम	प्रतिष्ठानों की संख्या		
1. टाटा	69	5001.10	(5945.16)+
2. बिरला	192	7726.27	(5430.17)+
3. मार्टिनबर्न	23	1367.62	(273.50)+
4. मफ्तलाल	23	2152.59	(2424.86)+
5. बागुर	86	2362.47	(1652.03)+
जोड़	393	18610.05	(15725.72)+

ख. छोटे उद्योग :

एककों की संख्या	खातों की संख्या	लाख रुपयों में
80547	108274	36490.00
(23624)	(34446)	(14805.00)++

ग. सभी ऋणकर्ताओं से बैंक ऋण की कुल बकाया रकम :

29–6–1973 को 351518.00
18–7–1969 को 183990.00
30–6–1969 को 183200.00

(i) 29–6–1973 को सभी ऋणकर्ताओं को दिये गये ऋण की कुल बकाया रकम की तुलना में पांच ग्रुपों को दी गयी सहायता का प्रतिशत — 5.28 प्रतिशत (8.55 प्रतिशत) +

(ii) 29–6–1973 को सभी ऋणकर्ताओं को दिये गये ऋण की कुल बकाया रकम की तुलना में लघु उद्योगों को दी गयी सहायता का प्रतिशत — 10.38 प्रतिशत (8.08 प्रतिशत)

(iii) 1969 के मध्य से 1973 के मध्य सहायता में हुई वृद्धि

पांच समूह (वृद्धि का प्रतिशत)	**लघु उद्योग (वृद्धि का प्रतिशत)**
18.2	146.50

टिप्पणी : +कोष्ठकों के अन्दर दिये गये आंकड़े और प्रतिशत 18–7–1969 को स्थिति के द्योतक है।

++कोष्ठकों के अन्दर दिये गये आंकड़े और प्रतिशत 30–6–1969 की स्थिति के द्योतक है।

उपरोक्त आंकड़ों से यह पता चलेगा कि हालांकि छोटे उद्योगों को दिया गया ऋण कुल मिला कर कम लगता है, लेकिन छोटे उद्योगों को राष्ट्रीयकरण की तारीख से दिये गये ऋणों की वृद्धि की दर, मध्य 1969 से मध्य 1973 के बीच काफी उचित रही है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों का लगातार प्रयत्न रहता है कि वे लघु उद्योगों सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिकाधिक अग्रिम दें। इस दिशा में बैंकों के कामों पर लगातार नजर रखी जाती है।

कोचीन सीमाशुल्क राजकोष में सरकारी धन का दुर्विनियोजन

*574. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या **वित्त** मंत्री कोचीन सीमाशुल्क राजकोष में सरकारी धन के दुर्विनियोजन के बारे में 26 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8281 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उस अधिकारी के विरुद्ध जांच पूरी कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला है; और

(ग) इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं। जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय पर्यटन विकास निगम को हुई हानि

*575. **श्री गजाधर माझी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय पर्यटन विकास निगम को कितनी हानि हुई;

(ख) क्या इस हानि का कारण यह है कि अधिकांश पर्यटन कारों का उपयोग निगम के अधिकारी ही करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम अपनी स्थापना के समय से ही लाभ कमा रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान अर्जित शुद्ध लाभ निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	लाभ (लाख रुपयों में)
1971-72	1.69
1972-73	26.89
*1973-74	*38.48

*आंकड़े अनन्तिम हैं तथा लेखापरीक्षा अभी होनी है।

(ख) और (ग) चूंकि निगम को कोई हानि नहीं हुई, अत: भाग (ख) के प्रथम भाग का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक निगम के कर्मचारियो द्वारा पर्यटक कारों क प्रयोग का संबं है इनके प्रयोग की अनुमति केवल बहुत ही वरिष्ठ अधिकारियों को सरकारी कार्यों के लिए ऐसे स्थानों पर दी जाती है जहां कि स्टाफ कार उपलब्ध नहीं होती तथापि, इन कारो का विभागीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग करने के बदले में तदनुरुपी धनराशि परिवहन प्रभाग के खाते में डाल दी जाती है।

विभिन्न राज्यों में अनधिकृत विद्युत चालित करघे

*576. **श्री लालजी भाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य कौन–कौन से हैं जिन्होने कपड़ा मिल मालिकों को केन्द्र की अनुमति के बिना अनधिकृत विद्युत चालित करघों को लगाने की अनुमति दी थी; और

(ख) इस प्रकार के कितने मामले इस बीच केन्द्रीय सरकार ने नियमित कर दिए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसी अनुमति दिये जाने की जानकारी नहीं है। तथापि, विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में अनधिकृत शक्ति-चालित करघे खासी संख्या में होने की सूचना महाराष्ट्र, गुजरात तथा तामिलनाडु से मिली है।

(ख) अब तक 96,876 अनधिकृत शक्ति–चालित करघे नियमित किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्यों को ऋण

*579. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्यों को ऋण दिये जाने की वर्तमान पद्धति से क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या इसको ध्यान म रखत हुए सरकार का विचार वर्तमान पद्धति का पुर्नविलोकन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों के बीच बैंको का कितना धन काम में आता है यह मुख्यत: इस पर निर्भर करता है कि बैंकों को स्वीकार्य प्रस्तावों से उत्पन्न होने वाली मांग कितनी हैं, आर्थिक क्रियाकलापों का सामान्य स्तर, विशेषत: उद्योग और व्यापार के संगठित क्षेत्रों में कैसा है और परिवहन, बिजली, संचार आदि जैसी अन्य आधारभूत सुविधाएं किस सीमा तक उपलब्ध है। बैंक सभी उत्पादक प्रयत्नों के लिए सहायता देने का प्रयत्न करते हैं। बैंकिंग सेवाओ के मामले में अन्तर्राज्यीय असमानता की समस्या को हल करने की दृष्टि से; उन क्षेत्रों और राज्यों में अधिक शाखाएं हैं जहां पहले कम बैंक थे। ऋण देने के मामले में बैंक नीति के अंग के रूप में, ऐसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे कृषि, लघु–व्यापार के छोटे उधारकर्ताओं को दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि कर रहे हैं, य क्षेत्र उन राज्यों में जहां बैंक बहुत कम हैं आर्थिक क्रियाकलाप के सबसे अधिक महत्व पूर्ण क्षेत्र हैं। ऋण देने के अलावा बैंक राज्य सरकार की सिक्योरिटियो और राज्य से संबद्ध निकायो के बांडों और ऋण-पत्रों (डिबेंचरों) में भी काफी रकम लगा रहे हैं। सामान्य नीति के अनुरूप अधिक विकसित क्षेत्रो के मुकाबले कम विकसित क्षत्रों में अधिक ऊंचे अनुपात में पूंजी लगायी गयी है।

विश्व बैंक द्वारा ऋण देने तथा ऋण लेने संबंधी नीतियों में परिवर्तन

*580. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वित्त** मंत्री तह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आगामी चार वर्षों मे विश्व बैंक द्वारा ऋण दिये जाने तथा ऋण लिये जाने के कार्यक्रम में परिवर्तन करने के उपायों के बारे में उसके अध्यक्ष, श्री राबर्ट मैकनामारा के नये प्रस्तावों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इन प्रस्तावों से लाभान्वित होगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों का बोर्ड इस मामल पर अभी भी विचार कर रहा है ।

रुपये के मूल्य में गिरावट

*581. **श्री समर गुह :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय रुपये की क्रयशक्ति गिर कर 29.8 पैसे रह जाने से साम्यवादी और अन्य देशों के साथ रुपया व्यापार प्रभावित होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इन देशों ने भारत के साथ चलार्थ के लेन देन की समानता पर पुनर्विचार करने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस अनुरोध का बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं । हालांकि कुछ समय से मूल्य वृद्धि के कारण संसार की अधिकतर मुद्राओं की, जिनमें भारतीय रुपया भी शामिल है, आन्तरिक क्रय शक्ति का ह्रास हो गया है, लेकिन अन्य देशों के साथ हमारे व्यापार और अन्य लेनदेनों का नियमन अन्य बातों के साथ साथ मुख्यत: भारतीय रुपये की विनिमय दर के अनुसार ही होता है । जहां तक साम्यवादी देशों की मुद्राओं का सम्बन्ध है, उनके साथ रुपये की विनिमय दर का निर्धारण सम्बद्ध मुद्राओं के स्वर्ण तत्व को देखते हुए किया जाता है ।

जहां तक गैर–साम्यवादी देशों का सम्बन्ध है, अधिकांशत: रुपये की विनिमय दरों का निर्धारण उन देशों की मुद्राओं और पौंड स्टर्लिंग की क्रास दरों के आधार पर किया जाता है; पौंड स्टर्लिंग 23 जून, 1972 से विनिमय दर से मुक्त है । दिसम्बर 1971 से 18.9677 रुपय प्रति पौंड स्टर्लिंग की केंन्द्रीय दर निर्धारित है, जिसमें 2.25 प्रतिशत की घट–बढ़ की छूट है ।

(ख) यह सवाल ही नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह सवाल ही नहीं होता ।

काले धन को बरामद करने के लिये मारे गए छापों के दौरान पाये गए करेंसी नोट

*582. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय कर अधिकारियों को बम्बई, दिल्ली तथा अन्य नगरों में बड़ी मात्रा में लेखा बाह्य धन रखन वाल सन्दहास्पद व्यक्तियों के यहां हाल ही में मारे गए छापों में बड़ी मात्रा में छोटे करेंसी नोट मिल हैं ;

(ख) ऐसे कितने मामले पाये गये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या ठोस कार्यावाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, हिसार, बंगलौर तथा धनबाद शहरों में 1 जून 1974 से 15 अगस्त 1974 तक की अवधि में मारे गये छापों में से कुछ में छोटे करेन्सी नोट काफी ज्यादा मात्रा में बरामद हुए थे ।

(ख) 15 मामलों में से प्रत्येक मामले में 25,000 रु० तथा इस से अधिक रु० के छोटे करेन्सी नोट अर्थात् 1 रुपय के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के और 20 रुपय क नोट बरामद हुए थे ।

(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 (5) के अन्तर्गत इन व्यक्तियों की अघोषित आय का सरासरी तौर पर अनुमान लगाने तथा सभी मामलों में समुचित परिसम्पत्तियों को कब्जे में रखने की कार्यवाही शुरु की जा चुकी है । दण्ड लगाने तथा इस्तगासे की कार्यवाही शुरू करने की दृष्टि से कानून के अनुसार यथा आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

आयकर अधिकारियों द्वारा बम्बई में छापें मारे जाना

*583. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री वरके जार्ज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 अगस्त, 1974 को बम्बई में आलीशान मकानों में छापे मारे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो छापों के दौरान कौन कौन सी वस्तुओं पकड़ी गई; उनका मूल्य कितना है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयकर प्राधिकारियों ने बम्बई में 6 विभागीय स्टोरों और 15 रिहायशी फ्लैटों की तलाशियां (7 अगस्त को नहीं) 6 अगस्त, 1974 को लीं, जिनमें से 14 तलाशियां तो स्टोरों के भागीदारों के यहां थीं तथा एक तलाशी इन में से एक स्टोर के मकान-मालिक के यहां थी ।

(ख) 1,38,000 रु० की नकदी पकड़ी गई । लगभग 2 लाख रु० मुल्य के जवाहरात तथा गहनों के अलावा खाता-बहियां और कागजात भी पकड़े गये । स्टोरों के सामान की सूची और उनमें विदेशी सामान की सूची भी बना ली गई है और इनकी तस्दीक की जा रही है । सभी मामलों में जांच-पड़ताल प्रारम्भिक स्तर पर है । हर मामले में कानून की आवश्यकता के अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी होल्डरों को धनराशि का वितरण

*584. **श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकरण किये जाने से पूर्व भूतपूर्व बीमा कम्पनियां पालिसी होल्डरों को अपनी कुल आय में से 32.1 प्रतिशत आय का वितरण करती थीं जबकि राष्ट्रियकरण के बाद जीवन बीमा निगम न इसे घटाकार केवल 23.4 प्रतिशत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीयकरण (अर्थात 1955) से पूर्व पालिसीधारियों को की गयी कुल अदायगी की रकम समस्त बीमाकर्ताओं की कुल आय का 30.87 प्रतिशत थी। वर्ष 1972-73 में तदनुरूपी रकम 23.53 प्रतिशत थी।

(ख) हाल के वर्षों में जीवन बीमा निगम के कारोबार में तेजी से विस्तार होने से और परिणामतः कुल आय में वृद्धि हो जाने से पालिसीधारियों को की जाने वाली अदायगियों का जीवन बीमा निगम की कुल आय से अनुपात वर्तमान में कम होना निश्चित है क्योंकि दावा सम्बन्धी अनुभव विशेषतः अदायगी योग्य दावों के सम्बन्ध में अनुभव अपेक्षाकृत बहुत कम होगा क्योंकि यह निगम के पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान किये गये नये कारोबार की अपेक्षाकृत कम रकम से सम्बन्धित है।

नई बैंक दर के परिणामस्वरूप मुद्रास्फिति पर रोक

*585. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

श्री पी० ए० स्वामिनाथन :

क्या वित्त मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थशास्त्रियों ने यह राय व्यक्त की है कि नई बैंक दर से देश में मुद्रास्फीति नहीं रुकेगी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) नई बैंक दर लागू होने के बाद मुद्रास्फीति पर किस सीमा तक रोक लगी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) बैंक दर में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 22 जुलाई, 1974 को घोषित वृद्धि का अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा क फलाव को रोकने के एक महत्वपूर्ण कदम के रुप में स्वागत किया है।

(ग) इस समय यह अन्दाजा लगाना मुश्किल है और इतनी जल्दी यह लगाया भी नहीं जा सकता कि बैंक दर में जो वृद्धि की गयी उसका मुद्रा के फैलाव पर क्या प्रभाव पड़ा है। लेकिन 9 जुलाई और 9 अगस्त, 1974 के बीच उपलब्ध मुद्रा में 118 करोड़ रुपये की और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले ऋणों में 164 करोड़ रुपयों की कमी हुई है, जो कुछ हद तक बैंक दर में बढ़ौतरी किये जाने का परिणाम है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को जनता से ऋण लेने की अनुमति का न दिया जाना

*586. **श्री नरेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने मध्यप्रदश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड भोपाल को जनता से 250 लाख रुपये का ऋण लेने की अनुमति नहीं दी जिसके लिये राज्य सरकार ने वर्ष 1974-75 के लिये गारंटी दी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(क) और (ग) चूंकि जनता से ऋण लेने के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध साधनों को देखते हुए राज्य सरकारों अथवा उनकी एजेंसियों द्वारा बाजार ऋण लिये जान की कोई गुंजाइश नहीं है इसलिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध स्वीकार करना संभव नहीं।

India's Contribution to World Export Trade

***587. Shri Madhavrao Scindia :**
Shri G. P. Yadav :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to stae

(a) whether India's share in the world export trade has declined from 1.2 per cent in 1963 to 0.6 per cent in 1973;

(b) the reasons therefor and the steps taken during the last three years and proposed to be taken now;

(c) whether a fresh plan is on the anvil for encouraging export trade; and

(d) if so, the broad features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A number of factors, both external and internal, are responsible for the decline in India's share in the World export trade. The pattern of world trade is such that the rate of growth is much higher in respect of manufactured goods than for primary products. Moreover, the unit value realisation for primary products is generally low whereas the value of manufactures is constantly rising. In such a situation the share in world trade of a country like India, which is substantially dependent upon primary and traditional exports, will continue to be low until better diversification is achieved. Apart from these, problems in regard to shi)ping space/freight, currency fluctuations, competition from synthetics, shortage of certain basic raw materials, lagging domestic production, pull of domestic demand and inflationary pressures have all been contributory factors.

The measures taken by the Government to promote exports include strengthening of pro luction base of export oriented industries, identification of areas and items with export p)tential, simplification of the procedures for cash compensatory support and import replenishment licences, orientation of import policy for export promotion/production, reorganisation of the Ministry etc. Continuous efforts are made towards exploration of foreign markets, generation of export surpluses and stepping up of exports. As a result of these and other measures which may be taken as the situation warrants, it is hoped that rate of growth of India's exports will catch up with that of world's exports and decline in our share therein would be contained.

आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

***588. श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1974 को समाप्त होने वाले गत 6 महीनों में आयकर अधिकारियों ने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में नगरवार, कुल कितने छापे मारे;

(ख) इस अवधि में कितने काले धन का पता लगाया गया;

(ग) कितने बैंक लाकरों को सील किया गया; और

(घ) जिन व्यक्तियों के यहां छापे मारे ग` हैं उनके नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सदन-पटल पर रखा जाता है (**ग्रंथालय में रखा गया, । देखिये संख्या एल० टी० 8352/75**)

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

*589. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री छत्रपति अम्बेश :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखायें खोली गई; और

(ख) देश में शहरी और ग्रामीण बैंकों के बीच अनुपात कितना है और शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अधिक शाखायें खोलने के लिए सरकार ने बैंकों पर क्या शर्तें लागू की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) विभिन्न वर्गों के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 1971, 1972 और 1973 में खोली गयी शाखाओं के आंकड़े इस प्रकार है:—

बैंक समूह	खोली गयी शाखाओं की संख्या		
	1971	1972	1973
स्टेट बैंक समह	518	493	365
14 राष्ट्रीयकृत बैंक	984	899	1005
अन्य वाणिज्यिक बैंक	303	371	412
सभी वाणिज्यिक बैंक	1805	1763	1782

(ख) जून, 1974 के अंत में सारे देश में बैंकों के कुल 16936 कार्यालय थे । इनमें 6165 अथवा 36.4 प्रतिशत कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में थे, 5089 अथवा 30.0 प्रतिशत कार्यालय अर्धे ग्रामीण क्षेत्रों में थे और शेष 5682 अथवा 33.6 प्रतिशत कार्यालय शहरी और महानगरी क्षेत्रों और पोर्ट टाउनों में थे ।

शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस देने में रिजर्व बैंक द्वारा अपनायी जा रही नीति में यह व्यवस्था है कि शहरी और महानगरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने क लिए प्रत्यक बैंक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर विचार करते समय उस बैंक द्वारा ग्रामीण और अर्ध—शहरी क्षेत्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या का ध्यान रखा जाये । आजकल जिन बैंकों की कुल शाखाओं की 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक शाखाएं ग्रामीण अथवा अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं वे जब ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में दो कार्यालय खोलें तो शहरी क्षत्र और महानगरी क्षेत्र / पोर्ट टाउन में एक एक कार्यालय खोल सकेंगे । और अन्य बैंक जब ग्रामीण / अर्धशहरी क्षेत्रों में तीन कार्यालय खोलें तो शहरी क्षेत्र और महानगरी क्षेत्र / पोर्ट टाउन में एक एक कार्यालय खोल सकेंगे ।

कोका कोला निर्यात निगम

4013. **श्री मधु लिमये :**

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला निर्यात निगम ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम क उपबन्धों तथा सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन करने के बजाए अपने कार्यों को बन्द करने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार कोका कोला निर्यात निगम सहित उपेक्षा करने वाली कम्पनियों से किस प्रकार निपटने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, नयी दिल्ली ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को एक आवेदन–पत्र दिया है जिसमें उसने भारत में अपना कारबार जारी रखने की अनुमति मांगी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस आवेदन–पत्र की जांच की जा रही है और उस पर उक्त धारा के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। इस आवेदन पत्र में कारपोरेशन द्वारा कारबार बन्द किये जाने के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक को, उसके द्वारा जारी किये गये विनियमों अथवा निदेशों का पालन न किये जाने की सूरत में कार्रवाई करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत काफी अधिकार प्राप्त हैं।

सरकारी कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते का भुगतान

4014. श्री मधु लिमये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते क भुगतान के संबंध में अपनी नीति में परिवर्तन करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस संबंध में श्रम मंत्रालय से परामर्श किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या श्रम मंत्रालय से सरकार को इस कार्यवाही के परिणामस्वरुप औद्योगिक और श्रमिकों संबंधों के तनाव के बारे में चेतावनी दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अदायगी के संबंध में सरकारी नीति में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं है। अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अध्यादेश, 1974 के जारी होनें के बाद मंहगाई भत्ते की अदायगी का विनियमन इसके उपबंधों के अंतर्गत किया जाएगा।

रुपये के भुगतान वाले देशों से आयात

4015. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विकसित पूंजीवादी देशों, जो हमारे रुपये को लेना स्वीकार नहीं करते हैं, समाजवादी देश जो हमारे रुपये को स्वीकार करते हैं तथा तीसरे विश्व के देशों से कुल कितने रुपये के मूल्य का तथा कितने माल का आयात किया गया है तथा इन देशों को कुल कितने रुपये के मूल्य का तथा सब कितने माल का निर्यात किया गया और आगामी तीन वर्षोंमें इन देशों से अनुमानत: कितने रुपये तथा माल का आयात तथा इनसे कितने रुपये तथा कितन माल का निर्यात किया जायेगा; और

(ख) क्या रुपये के भुगतान वाले देशों से तथा तीसरे विश्व के देशों से, जो भारत से बराबर माल के निर्यात की स्वीकार करते हैं, अपनी सभी आवश्यकताओं को, जो वहां उपलब्ध हैं, आयात करने का प्रस्ताव है तथा विकसित पूंजीवादी देशों से अपने आयात को उनके द्वारा हमारे यहा से माल का आयात करने के स्तर तक कम करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970–71, 1971–72 और 1972–73 (यही अन्तिम पूरा वर्ष है जिसके लिये विदेश व्यापार क आंकड़े उपलब्ध हैं) के दौरान निर्यात तथा आयात का रुपये में कुल मूल्य नीचे दिया जाता है जो कि वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन के महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार सम्बन्धी मासिक आंकड़ों पर आधारित है :

		आयात (लाख रु०)	निर्यात (लाख रु०)
(क) विकसित बाजार अर्थ-व्यवस्था क्षेत्र . .	1970–71	103858	75775
	1971–72	123371	83694
	1972–73	112492	98484
(ख) रुपया भुगतान क्षेत्र . . .	1970–71	26749	41880
	1971–72	24266	36665
	1972–73	24667	50145
(ग) तृतीय विश्व (विकास–शील देश) . .	1970–71	32813	35861
	1971–72	34817	40462
	1972–73	42515	47450

इन देशों को निर्यातों का भावी स्तर अर्थ व्यवस्था के विकास, निर्यात योग्य अधिशेषों का सृजन करने की क्षमता, और प्रतियोगी कीमतों पर माल बेचने की हमारी योग्यता पर निर्भर है, और आयातों का भावी स्तर तेल, तेल उत्पादों, अलोह धातुओं, रासायनिक पदार्थों, उर्वरकों, मशीनों आदि जैसे विकास सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के माल की हमारी आवश्यकताओं पर और इन देशों की इस प्रकार के माल को प्रतियोगी कीमतों पर सप्लाई करने की क्षमता पर निर्भर है।

(ख) सरकार की नीति सभी व्यापार सहयोगियों के साथ व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ाने और उसका विविधीकरण करने की है चाहे वे रुपया भुगतान क्षेत्र में हों अथवा परिवर्तनीय मुद्रा क्षेत्र में हों। रुपया भुगतान क्षेत्र से आयात कई बातों पर निर्भर है और उनके बदले में बराबर के निर्यात किये जाते हैं जो पारस्परिक लाभ के सिद्धान्त पर किये गये दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करार के ढांचे के भीतर होते हैं। आवश्यकता के माल का आयात उन देशों से किया जाता है जहां वह सर्वाधिक प्रतियोगी कीमतों पर उपलब्ध हों। किसी विशेष अर्थ व्यवस्था वाले क्षेत्र से व्यापार को प्रतिबन्धित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

वित्तीय प्रशासन में प्रस्तावित परिवर्तन के परिणामस्वरूप राज्यों के लिए अतिरिक्त शक्तियां

4016. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री डी० डी० देसाई :

श्री अनादि चरण दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तिय प्रशासन की प्रणाली में प्रस्तावित परिवर्तन से विलम्ब नहीं होगा और इससे राज्यों को अतिरिक्त शक्तियां दे दी जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इससे वास्तविक लक्ष्यों पर आधारित निष्पत्ति बजट तैयार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या इससे बढ़ती हुई लागत के समय वित्तीय नियतन में गड़बड़ हो जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करने तथा उनके रखरखाव के कार्य के सम्बन्ध में राज्यों को शक्तियों के अधिक प्रत्यायोजन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। निस्सन्देह इससे होने वाले विलम्ब में कमी होगी।

(ग) तथा (घ) राज्य स्तर पर कार्य-निष्पादन सम्बन्धी बजट बनाने की जिम्मेदारी राज्यसरकारों की है। कार्य-निष्पादन बजट लागू करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा शिफारिश का मार्च 1969 में राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया था। कार्य निष्पादन बजट का अभिप्राय साधन स्रोतों का सर्वोत्तम नियतन तथा उनके उपयोग को सुविधाजनक बनाना है, अत: इससे किसी भी समय वित्तीय नियतनों में कोई गड़बड़ नहीं होगी।

मई, 1974 के दौरान बैंक की जमा राशियों का कम होना

4017. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री डी० डी० देसाई :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री अनादि चरण दास।

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई के प्रथम सप्ताह में बैंक की जमा राशियों में भारी कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) बैंकों की वित्तीय स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) तीन मई 1974 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान बैंकों की जमा राशियों में कमी हुई है। हालांकि इसके बाद से बैंकों की जमा राशियों में लगातार वृद्धि हुई है। मुद्रा और पूंजी बाजारों की स्थितियों, व्यापार और उद्योग द्वारा अपने पास नकद रकम रखने की जरूरतों में होने वाली अस्थायी वृद्धियों आदि के कारण कई बार बैंकों की जमा राशियों में हर हफ्ते काफी घटबढ़ होती रहती है।

चुनीदा औद्योगिक परम्परागत एवं अपरम्परागत वस्तुओं का निर्यात

4018. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री डी० डी० देसाई :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चुनीदा औद्योगिक परम्परागत एवं अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के हेतु किसी कार्यक्रम का अध्ययन आरम्भ किया है ;

(ख) क्या इस योजना को लागू करने के लिए अनौपचारिक रूप से सचिवों के एक विशेष दल का गठन किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक मंत्रालय में एक निर्यात कक्ष को स्थापित करने का विचार त्याग दिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) जी नहीं, प्रत्येक मंत्रालय में एक निर्यात प्रकोष्ठ बनाने की योजना अभी विचाराधीन है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का जापान का दौरा

4019. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 के दौरान समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का चार व्यक्तियों के शिष्टमण्डल ने जापान का दौरा किया था और उसने जापान में समुद्री उत्पादों के आयातकर्ताओं से बातचीत की थी ;

(ख) क्या इस बातचीत के परिणामस्वरूप उस देश को समुद्री उत्पादों का निर्यात काफी बढ़ जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1974-75 के दौरान कितना निर्यात किए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) आशा की जाती है कि 1974-75 के दौरान जापान को 25,000 मे० टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया जाएगा।

ऋण नियंत्रण को सख्त बनाना

4020. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऋण नियंत्रण को और सख्त बनाने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत मौसम में ऋण नियंत्रण के प्रभाव के बारे में विचार किया है;

(ग) क्या सरकार ने मूल्यों के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र पर ऋण के विस्तार के प्रभाव को तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र पर ऋण के विस्तार के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) रिजर्व बैंक ने मई, 1973 से ऋण नीति सम्बन्धी जो उपाय शुरु किये हैं उनमें बराबर मूल्य वृद्धिकारी तत्वों पर अकुंश रखने पर जोर दिया गया है। इस दृष्टि से आर्थिक स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है कि ऐसे विशेष उपाय अपनाए जा सके जिनकी जरूरत हो। इन उपायों को अपनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि पहले इन उपायों का

क्या असर हुआ है। चूंकि मूल्य वृद्धि का स्वरुप व्यापक है और इसे रोकने के लिये बहुत से उपाय करने की आवश्यकता है इसलिए यह आशा करना ठीक नहीं होगा कि एक ही ढंग के कुछ उपाय जैसे कि केवल ऋण के क्षेत्र मे ही कुछ उपाय करने से कीमतों को बढ़ने से रोका जा सकेगा। कई क्षेत्रों अर्थात् मुद्रा, वित्त, उत्पादन और वितरण में समन्वित प्रयत्न करने से ही इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है और इस समय यही प्रयत्न किया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल में अलाभप्रद चाय बागान

4021. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अलाभप्रद चाय-बागानों की वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन चाय-बागानों की स्थिति में सुधार करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है कि पश्चिम बंगाल में अलाभकारी चाय बागानों की संख्या बढ़ रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देना

4022. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है, तथा इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(क) पांचवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 33.65 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है जिस का ब्योरा निम्नोक्त है :—

	(करोड़ रु० में)
(1) केन्द्रीय परियोजनाएं . . .	8.00
(2) राज्य योजनाएं . . .	25.65
	33.65

(ख) 10 वर्ष की अवधि में 35 लाख रु० की० ग्रा० कच्चा रेशम तैयार करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्नाटक राज्य में एक क्रैश कार्यक्रम पर गहन कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10.7 करोड़ रु० की लागत से 14,386 कुएं खोदने और रेशम की कीड़े पालने वालों को अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था है ।

(ग) जम्मू तथा कश्मीर राज्य अपने फसल के पैटर्न का पुनर्गठन करेगा और बड़े पैमाने पे शहतूत की बुआई करेगा। इस राज्य ने 1.50 लाख कि० ग्रा० शहतूती रेशम के उत्पादन का लक्ष्य रखा है ।

(घ) पश्चिम बंगाल बड़े पैमाने पर विस्तार करेगा जो वंगकुरा तथा बीरभूम क्षेत्रों में लगभग 2,500 एकड़ तक होगा जहां रेशम उत्पादन आरम्भ करने की सम्भावना है ।

(ङ) ओक टसर रेशम के उत्पादन के लिए मणिपुर राज्य में राज्य सरकार एक निगम की स्थापना करेगी ।

(च) ओक टसर के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में भी परियोजनाएं आरम्भ की जाएगी ।

(छ) गवेषणा संस्थाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि गवेषणा कार्य अधिक तीव्र हो सके ।

(ज) द्विचक्रिय पालन का पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक राज्यों में प्रचार किया जाएगा । खाद्य तथा कृषि संगठन के कार्यक्रम के अन्तर्गत 800 टन द्विचक्रीय रेशम के उत्पादन की एक स्कीम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ कि जाएगी ।

आयकर निर्धारण के लिये लम्बित मामले

4023. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1974 को देश में आय-कर निर्धारण के कितने मामले लम्बित है ; और

(ख) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1 अप्रैल 1974 को देश में आयकर निर्धारण के कुल 17,19,597 मामले बकाया थे ।

(ख) इन कर-निर्धारणों को शीघ्रता से पूरा करने के प्रयोजन से एक समय बद्ध "कार्यवाही योजना" तैयार की गई है । इनकी प्रगति की जांच प्रत्येक महीने की जाती है । अप्रैल, 1974 से जुलाई 1974 तक के चार महीनों की अवधि में 7,12,510 कर-निर्धारणों का निपटारा किया जा चुका है जब कि 1973–74 की संगत अवधि में 5,05,838 मामलों का और 1972–73 की संगत अवधि में 3,46,067 मामलों का निपटारा हुआ था ।

Seizure of Contraband Articles from Motor Boat near Chidambaram

4024. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether smuggled goods in large quantity were seized from a motor boat at Chidambaram sea-coast in the first half of June, 1974 ; and

(b) the value of the goods seized in Indian currency and the number of persons against whom action was taken in this regard as also the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) On 2nd June, 1974, foreign textiles and taperecorders in all valued approximately Rs. 15.85 lakhs were seized from an Arab Dhow at Palayar near Chidambaram. The vessel valued about Rs. 10 lakhs has also been seized. The case has been adjudicated and the goods and the vessel have been confiscated absolutely. Personal penalties amounting to Rs. 1, 54,000 have also been imposed on the persons concerned. Prosecution has been launched against 9 foreign nationals and 2 Indians who had been arrested. The 9 foreign nationals are in jail but the two Indians were released by the magistrate on bail.

Seizure of Smuggled goods from Arabian Boat

4025. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether foreign sumggled goods in large quantity were seized from an Arabian boat (Tarak Mahboob) and some other boats at Umargaon port of Ahmedabad in the first half of June, 1974; and

(b) the value of the seized goods in Indian currency ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) On 3rd June, 1974, Customs officers of Marine Division Bulsar of the Ahmedabad Collectorate, intercepted vessel M. S. V. Tariq Mahboob (bearing Dubai registration) at Umargaon port and seized 86 packages containing synthetic fabrics, cigarette lighters, calculating machines, record changers, cassette tape recorders, car stereos, Car Fans and Dubai currency in all valued approximately Rs. 12 lakhs. The vessel valued about Rs. 2 lakhs was also seized.

Newsprint Imported in 1974-75

4026. Shri Hukum Chand Kachwai ; Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the quantity and value in Indian currency of the newsprint imported in 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : 51,216 M/Ts of newsprint valued at Rs. 14.57 crores have been imported by STC during April to July, 1974.

काटन ग्रोअर्ज सत्याग्रह एक्रास महाराष्ट्र

4027. श्री मधु लिमये : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र सीमा पर रूई उत्पादों के सत्याग्रह के समाचार की ओर दियाला गया है ;

(ख) रुई उत्पादों की प्रमुख मांगे/शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकारने राज्यों को सलाह दी है कि वे रुई उत्पादों को दिए जाने वाले रुई की खरीद मूल्यों के बारे में समान तरीके का अनुसरण करें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

चाय की खेती के क्षेत्र का विस्तार करना

4028. श्री मधु लिमये : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय की खेती के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या सरकार पुनः पौधे लगाने के कार्यक्रम को कोई सहायता प्रदान कर रही है ;

(ग) क्या इस परम्परागत निर्यात वाली वस्तु के अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी, हां। इस उद्देश्य से चाय बोर्ड पहले ही बागान वित्त योजना और पुनर्रोपण उपदान योजना चला रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) खाद्य तथा कृषि संगघठन के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा चाय की कीमतों को स्थिर करने और सुधारने के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि नीति तैयार करने के लिए सतत प्रयत्न किये जा रह हैं। गत बैठक जून, 1974 में हुई थी। इस सम्बन्ध में ब्यौरो को अन्तिम रूप देने के लिए कार्यकाही दल की शीध्र ही बैठक होगी।

गुजराथ को वित्तीय सहायता

4029. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छटे वित्तीय आयोग के सुझाव के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत प्रदान करने के लिए चालू वर्ष के बजट में गुजरात राज्य के लिए कोई प्रावधान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार किया गया प्रावधान राज्यों को वार्षिक योजना में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त है ; और

(ग) इन दोनों शीर्षों के अन्तर्गत किए गए प्रावधान का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जैसा कि छठे वित्त आयोग ने सुझाव दिया था, दैवी विपत्तियों के कारण दी जाने वाली राहत के लिए राज्य के बजट में 4.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त राज्य के बजट में सूखे की सम्भावना से ग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटी सिंचाई, पीने के पानी के प्रबन्ध, पशुपालन और डेरी उद्योग, वन लगाने, भूमि परिक्षण करने, चारों और चरागाह के विकास, कृषि और सहकारिता के लिए 3.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

Demand for Increased Prices of Opium

4030. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether the opium cultivators in Mandsaur (M.P.) and Chittor (Rajasthan) have demanded increase in the prices of opium ; and

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) After taking into consideration the general rise in level of prices and other relevant factors, the Government has decided to increase the price of opium to be paid to the cultivators for the 1974-75 crop season.

सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात

4031. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिले-सिलाये वस्त्रों के लिए विश्व व्यापार की तुलना में देश के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ऐसा बताया जाता है कि परिधानों का विश्व व्यापार, जो इस समय अनुमानत: 7,500 रु० प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष 10 प्रतिशत से ऊपर की दर से बढ़ रहा है। वर्ष 1973–74 में भारत से 58.50 करोड़ रु० मूल्यों के परिधानों का निर्यात किया गया जब कि 1972–73 में 35.56 करोड़ रू० के निर्यात हुए थे।

(ख) सिले-सिलाये परिधानों के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) निर्यातों का आयात व्यापार नियंत्रण नीति (खण्ड 2) में की गई व्यवस्था के अनुसार आयात प्रतिपूर्ति उपलब्ध है ;

(2) सिले-सिलाये परिधानों के निर्यातकों को भारतीय सूती मिल परिसंघ द्वारा अपनी स्वैच्छिक निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(3) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित परिधान मेलों में परिधान निर्यातक रियायती दरों पर भाग ले सकते हैं ; और

(4) वे परिधान निर्यातक मान्यताप्राप्त निर्यात सदनों के लाभ पाने के हकदार हैं जिनके निर्यात पांच लाख रुपये से अधिक ठहरते हैं।

Central Loan outstanding against States

4032. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amounts of Central loan outstanding at present against each State indicating the amount of interest being paid annually by each State to the Central Government ; and

(b) the time by which the Rajasthan Government have to repay their loan and whether the State Government are not in a position to repay it, and if so, the steps proposed by the Central Government ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No.* 8353/74]

(b) As in the case of other States, Rajasthan is to repay its debtali bility to the Centre in accordance with the terms and conditions prescribed for each loan. These terms of repayment in respect of loans outstaning at the end of 1973-74 have been considerably liberalised in pursuance of the recommendations of the Sixth Finance Commission—in some cases upto 30 years from 1974-75.

Arrears of Taxes against former Ruling Family of Jaipur

4033. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government has seen news reports that Income tax arrears of lakhs of rupees are outstanding against the former ruling family of Jaipur ;

(b) if so, the facts about the amount-outstanding; and

(c) the reasons for accumulation of arrears and steps taken by Government to recover them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir. The attention of the Government has been drawn to the news item published in the Hindi issue of Blitz dated the 15th June, 1974.

(b) & (c) The particulars of income-tax arrears outstanding on 30th June, 1974 against the members of former ruling family of Jaipur out of the regular demands created against them, reasons as to why they are outstanding and steps taken by the Income-tax Department to recover them are given in the Annexure. [*Placed in Library. See No. LT* 8354/74]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी

4034. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस राज्य में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी बनाने की मंजूरी देने के बारे में मूल शर्तें क्या हैं ;

(ख) वे राज्य कौन-कौन से है जो इन मूल शर्तों को पूरा नहीं करते हैं ; और

(ग) उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी खोलने में क्या दिक्कतें हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) समाहर्ता-कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता को अथवा अन्यथा निर्धारित करने के कुछ मूलभूत कारण आमतौर पर ये होते हैं--संभाव्य राजस्व, उसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार, अर्थ-क्षमता उत्पादन शुल्क लगने योग्य वस्तुओं की संख्या द्वारा यथा प्रतिबिंबित जटिलताएं तथा कार्यभार का परिमाण, उत्पादन शुल्क लगने योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखानों की कुल संख्या, निवारक तथा तस्करी-विरोधी कार्य की मात्रा, छोटे-छोटे पत्तन, भू-सीमाशुल्क केन्द्र, प्रशासनिक इकाइयों की संख्या कुल कर्मचारी संख्या, इत्यादि ।

असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा त्रिपुरा राज्य इस समय इन अपेक्षाओं को पूरी नहीं करते ।

उड़ीसा राज्य के लिए, एक अपर समाहर्ता के अधीन एक अलग और स्वयंपूर्ण प्रशासनिक एकक स्थापित कर दिया गया हैं । अलग समाहर्ता कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता की समीक्षा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (स्वनिर्धारण पर निकासी की कार्यविधि) समीक्षा समिति की सिफारिशों के प्रकाश में की जाएगी ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भद्रक शाखा, जिला बालासोर, उड़ीसा में बकाया ऋण

4035. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मंत्री स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भद्रक शाखा, जिला बालासोर उड़ीसा में वसूल न किए गए ऋण के बारे में 17 नवम्बर, 1972 के अतारान्कित प्रश्न संख्या 915, 15 दिसम्बर, 1972 के अतारान्कित प्रश्न संख्या 4535, और 22 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5559 और 5561 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण वापिस न करने वाले दोषी व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है तथा उनसे कुल कितना वसूल किया गया है ;

(ख) इस समय कुल कितना वसूल किया जाना है ;

(ग) क्या हाल के महीनों में वास्तविक उधार लेने वालों को ऋण देने की संख्या में कमी आयी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि 23 अगस्त 1974 को ऐसे बाकीदारों की कुल संख्या 620 थी जिन्हें बैंक की भद्रक शाखा द्वारा कृषि, छोटे व्यापार तथा लघु उद्योग के लिए ऋण दिये गए थे और अब तक उनसे वसूल की गई रकम 4,67,000 रुपया है ।

(ख) स्टेट बैंक ने यह भी सूचित किया है कि 23 अगस्त, 1974 को बैंक की भद्रक शाखा से उपर्युक्त श्रेणियों को दिए गए कुल ऋणों की रकम और 23 अगस्त, 1974 की बकाया रकम 30,39,000 रुपया थी ।

(ग) और (घ) बैंक ने सूचित किया है कि किसी भी वास्तविक छोटे ऋणकर्ता को दिए जाने वाले ऋण में कोई कमी नहीं की गयी है ।

संसाधनों की स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता

4036. **श्री गजाधर माझी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से, जिनमें से अनेकों ने घाटे का बजट प्रस्तुत किया है कहा है, कि वे न केवल चालू वर्ष के घाटे को पूरा करें बल्कि गत वर्ष के घाटे को भी पूरा करें ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने संसाधनों की स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये राज्य सरकारी के प्रतिनिधियों की कोई बैठक बुलाई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे साल के शुरु में अगर कोई घाटा रहा है तो उसे ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष में अपना खाता बराबर आय व्यय पर बन्द करने की कोशिश करे । राज्य सरकारो के साथ उनकी वित्तिय स्थिति पर आयोजना आयोग व वित्त मंत्रालय दोनो मिल कर बातचित कर रहे है ।

मध्य प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों का विकास तथा होटलों का निर्माण

4037. **श्री मार्त्तण्ड सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार का पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में किन स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने का विचार है; और

(ख) सरकार का राज्य में उपरोक्त अवधि में पर्यटकों के लिए किन-किन स्थानों पर होटलों तथा बंगलों का निर्माण करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) भोपाल में युवा होस्टल और कान्हा किसली, खजुराहो तथा सांची में पानी की सप्लाई की स्कीमें पर्यटन विभाग के कार्यक्रम के अनुसार पांचवीं योजनावधि के दौरान पूरी हो जाएंगी ।

भोपाल में 45 लाख रुपये की अनमानित लागत से एक 50 कमरों वाले होटल के निर्माण का एक प्रस्ताव भारत पर्यटन विकास निगम के विचाराधीन है, बशर्ते की इसके लिये निधियां उपलब्ध हुई और आर्थिक दृष्टि से इसमें स्वनिर्भरता की क्षमता पायी गई ।

मध्य प्रदेश को सहायता देने के लिए केन्द्रीय अध्ययन दल की सिफारिशें

4038. **श्री मार्त्तण्ड सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अध्ययन दल की सिफारिश, जिसको मध्य प्रदेश में, जो केन्द्रीय सहायता पाने का पात्र है, बाढ़ तथा अकाल राहत कार्य में होने वाले खर्चे का पुनरिक्षण करने को कहा गया था, प्राप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) एक केन्द्रीय दल ने 1972–73 और 1973–74 में अपनाये गये सूखा सहायता सम्बन्धी उपायो पर राज्य द्वारा सितम्बर, 1973 तक

किए गए खर्च की जांच की है और खर्च के केन्द्रीय सहायता स्वरूप 871.89 लाख रुपये दिए जाने की स्वीकृति दी थी। केन्द्रीय दल की इस सिफारिश को मान लिया गया तथा राज्य सरकार द्वारा बताए गए खर्च के आधार पर राज्य को 1973–74 में केन्द्रीय सहायता के रूप में 517 लाख रुपये दिए गये लेकिन खर्च के लेखापरिक्षित आंकड़ो क आधार पर अन्ततः उसमें फेर बदल किया जा सकता था।

जहां तक बाढ़ सहायता का खर्च का सम्बन्ध है, एक केन्द्रीय दल ने 1973–74 में राज्य का दौरा किया था और सिफारिश की थी कि बाढ़ सम्बन्धी सहायता कार्यो क लिए 55 लाख रुपये सहित इस खर्च के लिए अधिक से अधिक 244.21 लाख रुपये की रकम दी जा सकती थी। राज्य सरकार द्वारा बताए गए खर्च के आधार पर, 1973–74 में इस काम के लिए राज्य सरकार को 152 लाख रुपये की सहायता दे दी गई थी। केन्द्रीय दल के दौरे के बाद, राज्य सरकार ने प्रार्थना की थी कि उसे सिधी और दस अन्य जिलों में, बाढ़ सहायता कार्य पर खर्च के लिए निर्धारित 55 लाख रुपये की अधिकतम रकम खर्च करने की अनुमति दी जाय। राज्य सरकार की यह प्रार्थना केन्द्रीय दल को भेज दी गयी थी तथा उसकी सिफारिश की प्रतिक्षा की जा रही है।

रुई के मूल्य में गिरावट

4039. श्री मार्त्तण्ड सिंह: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षो के दौरान कपड़े के मूल्य में वृद्धि की तुलना में रुई का मूल्य तुलनात्मक रूप से कितना कम हुआ है तथा कपड़ के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : थोक कीमतों (आधार 1961–62–100 के सरकारी सूचकांक के अनुसार, वर्ष 1971, 1972, 1973 तथा जुलाई, 1974 में कपास और मिल के कपड़ों की कीमतों का सूचकांक निम्नोक्त स्तर पर रहा :

वर्ष	कपास की कीमतें	मिल के कपड़े की कीमतें
1971	234.5	153.9
1972	175.8	161.3
1973	249.5	178.4
(जुलाई) 1974	361.4	240.3

वर्ष 1972 को छोड़कर जब कि स्वदेशी रुई की भरपूर फसल के परिणामस्वरूप 1971–72 मौसम में कुल मिलाकर कपास की सुगम सप्लाई स्थिति के कारण कपास की कीमतों के औसत सूचकांक में गिरावट आई थी, प्रत्येक वर्ष रुई की कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। स्वदेशी रुई (वर्ष 1972 को छोड़कर) तथा आयातित किस्मों की रुई दोनों की कीमतो में वृद्धि होन, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से मजदूरी व महंगाई भत्ता बढ़ने, लोकप्रिय रंजकों तथा रसायनों, ईन्धद, भट्टी तेल की कीमतों में वृद्धि होने, पावर की दरो में वृद्धि होने और 1973 से 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस की कानुनी तौर पर अदायगी के परिणाम स्वरूप मिलके कपड़ों की कीमतों के औसत सूचकांकमें गिरावट हुई है।

पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के लिये अनुग्रह-अनुदान हेतु दावों की जांच

4040. श्री समर गुह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भारतीय नागरिकों और कम्पनियों का अनुग्रह अनुदान देने हेतु दावों की जांच करने के लिए विशेष पूर्वोपाय किये गए थे जिनकी सम्पत्ति 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तथा पश्चात जब्त कर ली गई थी ; और

(ख) उन भारतीय नागरिकों और कम्पनियों की नवीनतम सूची क्या है जिनका उस सम्पत्ति के लिए अनुग्रह अनुदान किया गया है जो भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान में शत्रु सम्पत्ति घोषित कर दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) 837 दावेदारों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 3,58,27900 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है । अनुग्रह अनुदान पाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों और कम्पनियों की सूची बनाई जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चमड़ा उद्योग के लिए मशीन का आयात करने के लिए लाइसेंस देना

4041. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चमड़ा उद्योग में काम करने वाली मशीनों, रंजक पदार्थों तथा रसायनों का आयात करने हेतू लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो लाइसेन्सों को कब जारी किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जो मशीनें, रंजक तथा रसायन देश में उपलब्ध नहीं हैं, उनके आयात हेतू लाइसेन्स वास्तविक प्रयोक्ताओं को और साथ ही पंजीकृत निर्यातकों हेतू नीति के अन्तर्गत जारी किए जाते हैं ।

चमड़ा उद्योग द्वारा बैटल तथा कुबराचो निस्सारण के आयातो की अनुमति मुक्त सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत है ।

स्क्रेप अभ्रक का निर्यात

4042. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्क्रेप अभ्रक का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात हेतू प्रति टन स्क्रैप अभ्रक का मूल्य क्या निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) माइका स्क्रोप के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ख) 495.00 रु० एफ० ए० एस० तथा
688.17 रु० एफ० ओ० बी० ।

बैंकों में चोरी, डाकाजनी और दुर्विनियोग

4043. श्री एम० एस० पुरती : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान किन किन बैंकों में चोरी, डाकाजनी और दुर्विनियोग के मामले हुए हैं तथा उसमें कितनी राशि अन्तर्गस्त हैं ;

(ख) कितनी राशि अभी तक बरामद कर ली गई है ; और

(ग) सरकार का ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने चोरी, डकैती लूट तथा धोका-धड़ी के बारे में सूचना दी है वह विवरण एक और दो में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल0 टी0 8355/74]**

(ग) जहां तक चोरियों का सम्बन्ध है, उनको रोक थाम के लिए सभी बैंक बचाव तथा सुरक्षा के लिए अपने आप इन्तजाम करते हैं। खास कर बड़े बड़े केन्द्रों में बैंक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं जसे रात में नकदी रखने के लिए स्ट्रांग रूम, खजांचियों के लिए जंगलेदार कमरा, नकद रकम लाने-ले जाने के लिए बन्दकूची और शाखा कार्यालयों आदि में बन्दूकधारी गार्ड। बैंकों में नकदी की सुरक्षा तथा उसे उठाने धरने की जो अन्दरुनी इन्तजाम किया जाता है, उस पर बैंकों द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता है।

जहां तक धोका-धड़ी का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार सभी बैंकों -के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपने कार्यालयों में ज्योंहि धोखा-धड़ी का पता चले त्योंहि वे ऐसे सभी मामलों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दे। इस बात की जःच करने के बाद कि धोखा-धड़ी किस तरह की गयी है तथा धोका धड़ी को रोकने के लिए बैंको में आम तौर पर जो अन्दरुनी इन्तजाम किए जाते हैं उनमें अगर कोई ढ़िलाई आ गई हों तो सम्बन्ध बैंकों को यह सलाह दी जाती है कि वे जरूरी हिफाजती कदम उठाये और इस बारे में सावधानी बरतें ताकि आगे इस तरह की धोखा-धड़ी के मामले न हो।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए तथा धोखा-धड़ी की रोकथाम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार के लेन-देनो के सम्बन्ध में हिफाजती कदम उठाने और जरुरी सावधानी बरतने के बारे में समय समय पर बैंकों के नाम हिदायतें भी जारी करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में अपनायी जाने वाली कार्य प्रणालियों का अध्ययन करने का काम भी अपने हाथ में लिया है जिसका तात्कालिक उद्देश्य यह है कि इस बात का पता लगाया जाय कि उक्त कार्य प्रणालियों में क्या क्या खामियां है और जहां आवश्यक हो वहां संशोधित तरीके और कार्य प्रणालियां अपनायी जाएं तथा वर्तमान कार्य प्रणालियो में सुधार किया जाय। यद्यपि अध्ययन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है फिर भी अब तक के अध्ययन से जो नतीजे निकले हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को यह सलाह दी है कि वे चैकों, ड्राफ्टों आदि को पास करने से लेन-देनों को बैलन्स करने तथा अन्तर शाखाओं के पारम्पारिक खातों का मिलान करने के बारे के सावधानी बरतें।

Controlled Cloth

4044. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether as a result of increase in the prices of cloth during the last three years, the production of superfine cloth in the country has increased considerably and the availability of coarse cloth for the poor people at controlled price has become difficult ;

(b) whether Go vernment have taken the necessary steps to upkeep the quality of control led cloth ; and

(c) whether very inferior quality of controlled cloth is available in the market and as a result thereof this cloth instead of being used by the poor sections is being used by others for making of mosquito nets ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) The percentage of production of super-fine category of cloth has delcined from 10.51%to 6.67% during 1971-74. The textile industry is statutorily required to produce, from

1st April, 1974, 800 million square metres of controlled cloth (Coarse, Medium B & Medium A categories) per annum, against 400 million square metres per annum required to be produced earlier.

(b) Yes, Sir, Constructional particulars of controlled cloth are statutorily prescribed under the Cotton Textiles (Control) Order, 1948.

(c) No specific complaints to this effect have been received.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुआ लाभ तथा हानि

4045. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वास्तविक लाभ।हानि कितनी हुई है; और

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन और नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन में होने वाले घाटों, को दूर करने को ध्यान में रखते हुए इन उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1973–74 के सम्परीक्षित लेखे अभी उद्यमों से प्राप्त नहीं हैं। फिर भी, जो अनन्तिम आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार सरकारी उद्यमों ने 1973/74 के दौरान कर व्यवस्था से पूर्व कुल मिलाकर 137 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है ।

(ख) जिन उपक्रमों के नामों का उल्लेख किया गया है उनमें घाटे को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए / किए जाने वाले उपाय इस प्रकार है :

(1) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड :

(क) अतिरिक्त कोक भट्टी श्रन्खलाएं (बैटरी) स्थापित की जा रही है और वर्तमान बैटरी एक चरण बद्ध कार्यक्रमानुसार पुनर्निर्मित की जा रही है तथा अनुपूरक/वैकल्पिक ईन्धन का भी प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) तापसह-सामग्री (रिफ्रेक्टरीज) का चयनात्मक आधार पर आयात किया जा रहा है ।

(ग) दुर्गापुर संयंत्र और मिश्र इस्पात संयंत्र में कामगारों आदि का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से एक त्रिस्तरिय संयुक्त परामर्श-तंत्र स्थापित किया गया है ।

(2) भारी इंजीनियरी निगम :

वर्तमान प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अधिक संख्या में कर्मचारियों और कर्मशालाओं को लाने के उद्देश्य से उसे व्यापक रूप दिया जा रहा है। सभी कर्मशालाओं में काम की दूसरी पारी (शिफ्ट) और कुछ चुनी हुई कर्मशालाओं में तीसरी पारी शुरू की जा रही है। चयनात्मक आधार पर कुछ काम अन्यत्र भी सौंपा जा रहा है ।

(3) नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन :

लिग्नाइट की प्राप्य क्षमता जो इस समय 45 लाख मीटरी टन तक है को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण खनन उपस्कर खरीदे जा रहे हैं । खनन क्षमता को 65 लाख मीटरी टन तक बढ़ाने के लिए और पूंजी लगाने की मंजूरी दी जा चुकी है ।

कंट्रोल का कपड़ा बेचने के लिए लाइसेंस देना

4046. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्ट्रोल का कपड़ा बेचने के लिए लाइसेन्स देने हेतु क्या मापदण्ड अपनाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार 5 लाख लोगों को रोजगार देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगार स्नातकों को कन्ट्रोल का कपड़ा बेचने हेतु लाइसेन्स देने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) किसी राज्य में कन्ट्रोल के कपड़े का खुदरा वितरण उस राज्य की सरकार का काम है। सामान्यतः कन्ट्रोल के कपड़े का वितरण निम्नलिखित पांच माध्यमों के जरिये किया जाता है :—

(1) मिलों की अपनी खुदरा दुकानें ;

(2) सहकारी क्षेत्र के सुपर बाजार ;

(3) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फैडरेशन और उनसे सम्बद्ध सहकारी संस्था श्रंखला ;

(4) राज्य सरकारों के तत्वावधान में चलाई जा रही उचित दाम की दुकानें ; और

(5) सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सहकारी क्षेत्र का कोई अन्य अभिकरण ।

(ख) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

लौह तथा लौह अयस्क की सप्लाई

4047. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री गजाधर माझी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लौह तथा लौह अयस्क की सप्लाई के लिए अनेक देशों से आर्डर मिले हैं ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 1974–75 के दौरान लौह अयस्क की निम्नलिखित मात्रा की सप्लाई के लिए कुछ संविधाएं की हैं और कुछ और संविधाओं के बारे में बातचीत कर रहा है :—

गन्तव्य	मात्रा
पूर्व यूरोपीय देश	40.5 लाख मे० टन
पश्चिम यूरोपीय देश	13 लाख मे० टन
जापान	110 लाख मे० टन

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा भारत से बाहर भेजी गई विदेशी मुद्रा के रूप में राशि

4048. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोका कोला निर्यात निगम, नई दिल्ली ने वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान अपने लाभों में से कुल कितनी राशि विदेशी मुद्रा के रुप में भारत से बाहर भेजी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन अपना हिसाब किताब कलेण्डर वर्ष के आधार पर रखता है। 1972 व 1973 में और मार्च, 1974 तक बाहर भेजी गयी लाभ की रकम जिसे बाहर भेजने के बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने मंजूरी दी थी, नीचे दी जा रही है :—

(1) 1972 शून्य

(2) 1973 वर्ष 1971 के लाभ से 76.10 लाख रुपये

(3) 1974 वर्ष 1972 के लाभ से 81.37 लाख रुपये (जनवरी-मार्च)

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानें

4049. श्री एम० एस० पुरती : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों से वार्षिक आय कितनी हुई है और उनके रखरखाव पर कितना व्यय हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों की कर-मुक्त दुकानों के बारे में आवश्यक सूचना निम्नप्रकार है :—

	1971–72 रुपये	1972–73 रुपये	1973–74* रुपये
बिक्री से कुल (ग्रास) आय .	32,98,529.00	52,49,064.40	70,57,733.93
रखरखाव सहित व्यय .	26,91,655.00	39,80,207.41	54,76,010.60
शुद्ध लाभ . . .	6,06,874.00	12,68,856.99	15,81,723.33

सूती कपड़ा उद्योग का विस्तार

4050. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूती कपड़ा उद्योग का और आगे विस्तार करने के लिए कोई लाइसेन्स सम्बन्धी नीति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सूती वस्त्र उद्योग हेतु पांचवीं योजना लाइसेंसिंग नीति शीघ्र ही घोषित किए जाने की आशा है। नीति सम्बन्धी प्रस्थापनाओं के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ साथ उन क्षेत्रों में, जहां कि विकेन्द्रीकृत बुनाई क्षेत्र के लिए धागे के सप्लाई में कमी है, अतिरिक्त कताई क्षमता और कपड़े की नियंत्रित तथा निर्यात योग्य किस्मों के उत्पादन के लिए अपेक्षित कुछ अतिरिक्त बुनाई क्षमता स्थापित करने की व्यवस्था है।

* आंकड़े अनन्तिम हैं तथा अभी लेखापरीक्षा होनी है।

अन्य देशों के साथ व्यापार करार

4051. **श्री गजाधर माझी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान उनके मंत्रालय ने किन-किन देशों के साथ व्यापार प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किये हैं, और

(ख) प्रत्येक देश के साथ किये गये, ऐसे प्रोटोकोल का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत छः महीनों के दौरान कुवैत, बल्गारिया, इराक, मंगोलिया, सेनेगल, फिनलैंड, फ्रांस, कोरिया गणराज्य तथा बर्मा के साथ व्यापार संलेख करार/पत्रों के आदान प्रदान पर हस्ताक्षर किये गये हैं । इसके अतिरिक्त भारत तथा सं० रा० अमरीका के बीच सूती वस्त्रों के व्यापार से संबंधित एक नये करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ।

(ख) कुवैत के साथ किया गया करार एक व्यापारिक तथा आर्थिक करार हैं जो दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करेगा तथा और आगे बढ़ायेगा ।

बल्गारिया के साथ व्यापार तथा भुगतान करार उस पुराने व्यापार तथा भुगतान करार का नवीकरण था जो दिसम्बर, 1973 में समाप्त हुआ । नया करार दिसम्बर, 1978 तक वैध है । इस करार में दोनों देशों के बीच संतुलित तथा द्विपक्षीय व्यापार की व्यवस्था है और सभी भुगतान गैर-परिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किये जायेंगे ।

इराक के साथ किये गए करार में इराक से आयातों और इराक को निर्यातों के स्तर निर्धारित किये गए हैं ।

मंगोलिया के जनवादी गणराज्य की सरकार के साथ करार उस पुराने करार का नवीकरण था जो फरवरी, 1974 में समाप्त हुआ ।

भारत तथा सेनेगल के बीच व्यापार करार पर दोनों सरकारों का अभी अनुमोदन होना बाकी है तथा इसके उपबंधों की अभी घोषणा नहीं की गई है ।

फिनलैंड सरकार के साथ पत्रों के आदान प्रदान में भारत फिनिश व्यापार के संवर्धन तथा आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना करने के बारे में विचार किया गया है ।

फ्रांस के साथ व्यापार संलेख भारत-फ्रांस व्यापार के संवर्धन व विविधिकरण तथा आर्थिक सहयोग के लिए उपायों के रूप में है ।

कोरिया गणराज्य के साथ 12 अगस्त, 1974 को सिओल में हस्ताक्षरित करार का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करना है।

बर्मा संघ सरकार तथा भारत के बीच भेजे गए पत्रों से एक विशेष भुगतान व्यवस्था की गई है । बर्मा से आयातों की तथा उस देश को निर्यातों की मदें दर्शायी गई हैं ।

सूती वस्त्रों से संबंधित भारत तथा सं० रा० अमरीका के बीच नये व्यापार करार का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

(क) करार 1 अक्तूबर, 1973 से शुरू होकर 4 वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

(ख) प्रथम वर्ष (अर्थात् अक्तूबर, 1973 से सितम्बर, 1974 तक) के लिए वस्त्रों का कोटा 1520 लाख वर्ग गज़ होगा । प्रथम करार वर्ष के लिए समग्र सीमा के भीतर निम्नोक्त ग्रुप सीमाएं लागू होंगी :—

ग्रुप 1 (यार्न तथा फैबरिक्स) . .	1190 लाख वर्ग गज़
ग्रुप 2 (मेड-अप तथा परिधान) . .	330 लाख वर्ग गज़

कतिपय वर्गों के संबंध में ग्रुपों के भीतर विशिष्ट सीमाएं लागू होती हैं :—

(ग) करार के बाद के वर्षों के लिए कोटा स्तर पिछले वर्ष के स्तर से 7 प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा ।

(घ) हथकरघा फैब्रिक्स, हथकरघा के हस्तनिर्मित कुटीर उद्योग उत्पाद तथा "भारतीय मदें" (परम्परागत भारतीय कुटीर उद्योग उत्पाद) उपरोक्त कोटा प्रतिबन्धों के अध्यधीन की शर्त के अधीन नहीं होंगे ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित लौंग और सुपारी

4052. श्री सी० के० जाफर शरीफ :

श्री के० मालप्पा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1973 से जून, 1974 तक के दौरान कुल कितने मूल्य का लौंग और सुपारी का आयात किया था ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप राज्य व्यापार निगम को यदि कोई हानि हुई है तो वह कितनी हुई है और उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 10.01 लाख रु० (लागत, बीमा व भाड़ा सहित) ।

(ख) कुल मिलाकर, राज्य व्यापार निगम को वर्ष 1973 से जून, 1974 के दौरान आयातित लौंग और सुपारी की बिक्री पर कोई हानि नहीं हुई ।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा अपने कर्मचारियों को विभिन्न होटलों में ठहराने के लिए व्यय की गई राशि

4053. श्री के० मालप्पा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा अपने कर्मचारियों को दिल्ली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के विभिन्न होटलों में ठहराने के कारण वार्षिक कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) इस व्यय में कटौती करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)

इण्डियन एयरलाइंस . . .	23.47 लाख रुपये
एयर इण्डिया	13.05 लाख रुपये

(ख) वाणिज्यिक तथा परिचालनात्मक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कर्मीदल के ले-ओवर/स्टाप-ओवर दिनों की संख्या को न्यूनतम रखने की दृष्टि से व्यय की निरंतर समीक्षा की जाती है ।

इण्डियन एयरलाइंस के मामले में कर्मीदल के रात्रि विश्रामों की संख्या, जो कि तालाबंदी (24-11-1973) से पहले प्रतिदिन 35 थी, 18-3-1974 के पश्चात्, जबकि नई समयावली लागू की गयी थी, घटा कर प्रतिदिन 12 तक ले आयी गयी है ।

भटिण्डा उर्वरक परियोजना के लिए ऋण के लिए जापान के साथ करार

4054. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अभी हाल में जापान के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके अधीन जापान भारत को 29.81 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करेगा ;

(ख) क्या यह ऋण विशेष रूप से भटिण्डा उर्वरक परियोजना के लिये हैं; और

(ग) यह ऋण किन शर्तों पर उपलब्ध किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारत सरकार तथा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक आफ जापान (जिसकी मार्फत भारत को जापान से सहायता मिलती है) के बीच 2 अगस्त, 1974 को टोकियो में 11 अरब येन (1 येन-0.267 रुपया की चालू विनिमय दर पर 29.37 करोड़ रुपयों) के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर हुए थे । यह ऋण भटिण्डा उर्वरक परियोजना पर आने वाली विदेशी मुद्रा सम्बन्धी लागत का वित्त प्रबन्ध करने के लिए है । ऋण की शर्तों के अनुसार यह रकम 7 वर्ष की रियायत अवधि सहित 25 वर्षों में वापस की जानी है और इस पर 4.0 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज लगेगा।

मध्य प्रदेश में सांची के समीप 'सिक्योरिटी पेपर मिल' की स्थापना

4055. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नये सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और उसके एक दल ने स्थल चयन के लिये विभिन्न राज्यों का दौरा किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के अध्ययन दल ने मध्य प्रदेश में सांची के समीप एक स्थान को तकनीकी, आर्थिक आधार पर ठीक पाया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मिल को मध्य प्रदेश में लगाने का निर्णय कर लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सुझाये गये सांची व अन्य स्थलों का अध्ययन दल ने निरीक्षण कर लिया है और इस अध्ययन दल की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है ।

शर्करीय (सैकरीन) का निर्यात

4056. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में शर्करीय की सप्लाई कम मात्रा में हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा अर्जित करने को ध्यान में रखते हुये शर्करीय का निर्यात करने के लिये भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) निर्यातक, निर्यातों में वृद्धि के लिए विदेशों में खरीदारों के साथ निरन्तर संपर्क बनाए हुए हैं । इस मद के निर्यात को सुकर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने सैकरिन के निर्यात पर एफ०ओ०बी० मूल्य के 20 प्रतिशत की आयात प्रतिपूर्ति की अनुमति दे दी है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पड़े उच्च पदों का भरा जाना

4057. श्री माधव राव सिन्धिया :
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन विभिन्न उपक्रमों के कार्यकरण पर खाली पद न भरने का किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है जो बिना उच्च कार्यकारी निदेशकों के ही कार्य कर रहे हैं, और

(ख) क्या भविष्य में बिना किसी विलम्ब के ही इन पदों को भरने के लिये प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है ?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पदों को भरने की प्रक्रिया काफी तेज कर दी गयी है । कुल 118 पदों में से अब केवल दो या तीन ऐसे पद भरने शेष रहते है । अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध-निदेशक का पद रिक्त होने पर प्रत्येक मामले में निश्चित रूप से अंतरिम प्रबन्ध किये जाते हैं और पद को नियमित आधार पर यथाशीघ्र भरने के लिये आवश्यक कार्रवाई भी शुरू कर दी जाती है ।

(ख) सरकारी उद्यमों में उच्चतम पदों के लिये पदधारियों का चयन करने की प्रक्रिया को एक सुव्यवस्थित रूप दिया गया है । सरकार ने अभी हाल ही में उच्चस्तरीय चयन-मण्डल बनाया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल किया है :—

1. श्री वी० सी० राजाध्यक्ष, मुख्य परामर्श दाता, योजना आयोग, नई दिल्ली ।	अध्यक्ष
2. श्री एस० मूलगांवकर, अध्यक्ष, टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोको-मोटिव कम्पनी ।	सदस्य
3. श्री एम० सौंधी, सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
4. एयर चीफ मार्शल पी० सी० लाल, अध्यक्ष, इण्डियन एयर काइन्स, नई दिल्ली ।	सदस्य
5. श्री डी० जे० फर्नान्डिस, महानिदेशक, सरकारी उद्यम कार्यालय, नई दिल्ली ।	सदस्य

इसके साथ ही उच्चतम पदों पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त व्यक्तियों की सामान्य नामिकायें (पेनल) रखने की जिस प्रक्रिया का अभी तक अनुसरण किया जा रहा था उसे समाप्त कर दिया गया है । नया चयन-मण्डल मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रत्येक पद के लिये कार्य-विशिष्टियों के अनुरूप व्यक्तियों का चयन करेगा । वह रिक्त पदों को समय पर भरने के लिये यथा-

सम्भव अग्रिम कार्रवाई करेगा । चयन-मण्डल को सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों में प्रबन्धकों के विकास पर निगरानी रखने तथा उद्देश्यात्मक चयन में सहायता के लिये समुचित मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित करने का काम भी सौंपा गया ।

युगोस्लाविया को वैगनों का निर्यात

4058. **श्री धामनकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों से हल न हो रही 3600 वैगनों के निर्यात की समस्या को हल करने के लिय युगोस्लाविया को कोई नई पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पेशकश की मुख्य बातें क्या हैं और उस प्रस्ताव के बारे में युगोस्लाविया की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) पेशकश की मोटी-मोटी बातें इस प्रकार हैं :—

1. 3600 वैगनों की सप्लाई के लिये की गई मूल संविदा को 1300 वैगनों की सप्लाई होने पर समाप्त किया जाये, जिसमें पहले ही सप्लाई किये गये 670 वैगन शामिल है । इनकी श्रेणियों का ब्यौरा इस प्रकार है : 450 जी०ए०एस० वैगन तथा 850 ई०ए०एस० वगैन ।

2. वैगनों के पोतलदान की अवधि बढ़ाकर मार्च, 1975 तक कर दी जाये ।

3. पहले ही सप्लाई किय गये 670 वैगनों के अतिरिक्त सप्लाई किये जाने वाले अन्य वैगनों की कीमत बातचीत द्वारा तय की जानी चाहिए ।

यूगोस्लाव सरकार के साथ बातचीत चल रही है ।

राजस्थान सीमा पर तस्करी की घटनायें

4059. **श्री लालजीभाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच राजस्थान सीमा पर पिछले दो वर्षों के दौरान तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे रोकने के लिय सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार द्वारा समय समय पर प्राप्त गुप्त सूचना रिपोर्टों से और पकड़े गये माल के परिमाण से, अर्थात् 1972 में 6.31 लाख रु० का, 1973 में 2.85 लाख रु० का और 1974 में (जुलाई तक) 1.05 लाख रु० का माल पकड़ा गया जिसके अन्तर्गत माल पकड़े जाने के क्रमश: 128, 110 और 66 मामले हुए थे, यह प्रकट नहीं होता कि भारत और पाकिस्तान के राजस्थान सीमाक्षेत्र पर तस्करी की गतिविधियों पिछले दो वर्षों से बढ़ रही हैं । तथापि, तस्करी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

पूरे सीमाक्षेत्र पर सीमाशुल्क निवारक कर्मचारियों तथा सीमा सुरक्षा दल द्वारा गस्त लगाई जाती है । तस्करी की गतिविधियों के बारे में गुप्त सूचना इकट्ठी की जाती है । सीमा के समीपस्थ नगरों पर निगरानी रखी जाती है । सीमाशुल्क तथा सीमा सुरक्षा दल बीच सामयिक बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि भिन्न-भिन्न एजेंसियों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित किया जा सके ।

बी-6 की तस्करी रोकने के लिए कार्यवाही

4060. श्री वसन्त साठे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मे एंड बैकर्स को तस्करी के मेट्रो-नेडाजोल की बिक्री करने के कारण लगभग दो महीने पहले बम्बई में कलकत्ता के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और अधिकारियों ने जाली बिल पुस्तिकाओं और रिकार्ड को जब्त कर लिया था ;

(ख) क्या सीमा-शुल्क अधिकारियों ने अभी हाल में तीन टन बी-6 को जब्त किया है;

(ग) देश में बी-6 के मुख्य उपभोक्ताओं के नाम क्या हैं और वर्ष 1973-74 के दौरान उन्होंने कितनी मात्रा में उपभोग किया और उन्होंने कितना बी-6 सरकारी साधनों अर्थात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्राप्त किया और कितना खुले बाजार से प्राप्त किया, और

(घ) बी-6 और इसी प्रकार के अन्य कच्चे माल की देश में बड़े पैमाने पर तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बम्बई में स्थानीय सीमाशुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया । फिर भी, राज्य एजेन्सियों से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) देश में वस्तुओं के, जिसमें बी-6 तथा इसी प्रकार का कच्चा माल शामिल है, तस्कर आयात को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

व्यवस्थित ढ़ंग से सूचना इकट्ठी करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, संदिग्ध तस्कर व्यापारियों पर निगरानी रखना, जिन जलयानों और वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्रतट के साथ-साथ तथा भू-सीमाओं पर सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों की तलाशी लेना । मार्ग में ही प्रभावी तौर पर पकड़ने और रोकने के लिये समय-समय पर अतिरिक्त लांच और वाहनों की व्यवस्था की जा रही है । अनन्य रूप से तस्कर-व्यापार विरोधी कार्यों की देखरेख के लिये, सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्र में, सीमाशुल्क समाहर्ता सीमाशुल्क के अपर समाहर्ता और सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के ओहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है । तस्कर-व्यापार संबंधी अपराधों के लिये और अधिक कठोर सजा देने की व्यवस्था करने और कानून में विद्यमान खामियों को दूर करने की दृष्टि से हाल ही में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में और आगे संशोधन कर दिया गया है ।

तस्करी-विरोधी बेड़ा बनाने की दृष्टि से सर्व प्रथम तेज रफ्तार से चलने वाली 20 लांच की खरीद के आदेश दे दिये गये हैं । बड़े-बड़े पत्तनों और हवाई अड्डों पर तस्करी को रोकने के लिये और पश्चिमी समुद्रतट तथा तमिलनाडु तट पर तस्करी को रोकने के लिये बड़ी संख्या में तस्करी विरोधी कर्मचारियों की स्वीकृति दे दी गयी है । एक बेतार संचार तंत्र भी कायम किया जा रहा है ।

सरकारी उपक्रमों में विदेशी विशेषज्ञ

4061. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने विदेशी विशेषज्ञ सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे है; और

(ख) उनकी सेवा के लिये उन्हें गत दो वर्षों में वर्षवार रुपयों में और विदेशी मुद्रा में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) 1973-74 के दौरान (1) भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, (2) कोयला खान प्राधिकरण लि०, (3) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, (4) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, (5) भारतीय तेल निगम और (6) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को छोड़ कर इन सरकारी उद्यमों में कार्यरत विदेशी विशेषज्ञों की संख्या 1384 थी ।

सरकारी उद्यमों द्वारा इन विशेषज्ञों की सेवाओं पर किए गये खर्च की कुल रकम 1972-73 में रुपयों के रूप में 4.17 करोड़ रुपय और विदेशी मुद्रा के रूप में 4.99 करोड़ रुपये तथा 1973-74 में रुपयों के रूप में 5.82 करोड़ रुपय विदेशी मुद्रा के रूप में 7.29 करोड़ रुपये थी । उपर्युक्त छः उपक्रमों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है जो सदन पटल पर रख दी जायमी ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों से प्राप्त राजस्व

4062. श्री राजदेव सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये और वसूल किये गये शल्कों से प्राप्त राजस्व की राशि वर्ष 1973-74 में 5001.67 करोड़ रुपये थी, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 547.06 करोड़ रुपये अधिक है ;

(ख) क्या वर्ष 1974-75 में वसूल होने वाली राशि में सरकार की और वृद्धि होने की आशा है ; और

(ग) यदि हां, तो अधिक वसूली किन कारणों से हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) विभागीय और गैर तस्दीकी आंकड़ों के आधार पर, आय-कर (निगम कर को छोड़ कर), सम्पत्ति कर, दान कर, सम्पदा शुल्क, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों (कोयला, रबड़, खनिज लोहा और नमक पर उपकरों को छोड़ कर) से वसूल शुद्ध राजस्व वर्ष 1973-74 में 4994.77 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 1972-73 में पूर्वोक्त करों से वसूल राजस्व से 589.19 करोड़ रुपये अधिक है ।

(ख) और (ग) अर्थ-व्यवस्था के सामान्य विकास और फरवरी 1974 के वार्षिक बजट में घोषित कर प्रस्तावों तथा जुलाई 1974 में घोषित अनुपूरक कर प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1974-75 में वसूल होने वाले राजस्व की रकम में अतिरिक्त वृद्धि होने की संभावना है ।

एयर इण्डिया द्वारा फलों और सब्जियों का ढुलाई भाड़ा

4063. श्री राजदेव सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या भाड़े में वृद्धि करने के विरोधस्वरूप निर्यातकर्ताओं द्वारा ब्रिटेन को फलों और सब्जी के निर्यात को अस्थायी तौर पर बन्द करने के बाद एयर इंडिया ने फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए ढुलाई भाड़ों में 1 मार्च, 1974 में कमी कर दी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : फल तथा सब्जी निर्यातकर्ता संघ ने 1 फरवरी, 1974 से लागू भाड़ा दरों में अत्यधिक वृद्धि जो कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि तथा परिणामस्वरूप होने वाली परिचालन लागतों में वृद्धि के कारण आवश्यक हो गयी थी, के विरोध स्वरूप एक मास के लिये अपना निर्यात स्थगित कर दिया था। एयर-इंडिया ने मामले को आई०ए०टी०ए० के साथ उठाया जिस के परिणामस्वरूप 1 मार्च, से दरें घटा दी गयी थीं। तथापि बाद में, आई०ए०टी०ए० द्वारा अनुमोदित विश्व व्यापी ईंधन अधिभारों के कारण, संशोधित दरों में 15 मार्च, से 7% की तथा 15 जुलाई, से आगे और 4% की वृद्धि की गयी थी। आजकल लागू संशोधित दरें संघ द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं।

काफी का निर्यात

4064. श्री राजदेव सिंह : क्या वाणिज्य यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत यूरोपीय और अमरीकी देशों को हर साल अधिकाधिक मात्रा में काफी का निर्यात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष 1974-75 के दौरान कितने रुपये की काफी के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है ;

(ग) भारतीय काफी के प्रमुख खरीदार देशों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या काफी के निर्यात की इस लगातार वृद्धि को कायम रखने की सरकार को आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) 1974-75 के लिए 48.00 करोड़ रु० का एक विश्व व्यापी निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) हमारे प्रमुख खरीदारों में से कुछ हैं : संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, पौलेंड।

(घ) जी हां, परिमाण के रूप में, और मूल्य के रूप में यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

डीगा में युवा पर्यटक आवास स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव

4065. श्री समर गुह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीगा को सप्ताहान्त में जाने वाले यात्रियों की संख्या में अभी हाल में अत्याधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या वहां सस्ते और सुलभ आवास की कमी के कारण छात्रों और युवकों को परेशानी होती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डीगा में छात्र और युवा पर्यटक आवास स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) दीघा एक समुद्रतटीय विहार-स्थल है जो कि सैर-सपाटा करने वालों तथा देशीय पर्यटकों में लोकप्रिय है । ऐसे भ्रमण कर्ताओं का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता । दीघा में उपलब्ध शय्याओं की कुल संख्या 1080 है (280 शय्याएं राज्य पर्यटक बंगलों में तथा शेष 800 शय्याएं प्राइवेट होटलों तथा लाजों में है) ।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग के विचाराधीन नहीं है । राज्य सरकार के युवा सेवा विभाग का दीघा में 50 शय्याओं वाले एक युवा होस्टल की स्थापना करने का प्रस्ताव है । उन्होंने अब इसके लिए भूमि ा एक प्लाट ले लिया है ।

चीनी का निर्यात

4066. श्री मुरासोली मारन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चीनी के निर्यात से अनुमानतः कितनी आय हुई ;

(ख) क्या चालू बजट में इस स्रोत से प्राप्त आय को भी हिसाब में लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ऐसा अनुमान है कि चालू वर्ष के दौरान चीनी के निर्यात से विदेशी मुद्रा आय इस समय लगभग 260 करोड़ रु० होगी ।

(ख) तथा (ग) चीनी के निर्यातों से लाभ के तत्व 1974-75 के लिए बजट प्राक्कलन में शामिल नहीं किये गये थे क्योंकि इन प्राक्कलनों को तैयार करते समय अधिमानी कोटे के बाहर निर्यात की मात्रा के संबंध में कोई पक्का विनिश्चय नहीं किया गया था तथा इसके अलावा प्राप्त होने वाली संभावित कीमतों का भी पता नहीं था ।

दिल्ली में जाली करेंसी नोटों का पकड़ा जाना

4067. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों को देखा है, जिनमें यह कहा गया है कि राजधानी में जाली करेंसी नोट बरामद हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(ग) सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने किस प्रकार की कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सरकार ने पत्रों में प्रकाशित इस समाचार को देखा है । लेकिन रिजर्व बैंक आफ इंडिया से पूछने पर पता लगा है कि यह समाचार गलत है ।

हथकरघा प्रधान समेकित कपड़ा नीति

4068. **श्री वेकारिया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कपड़ा नीति में गम्भीर त्रुटियों को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार हथकरघा प्रधान समेकित कपड़ा नीति को अपनाने का है ; और

(ख) नयी नीति से हथकरघा क्षेत्र में कपड़ों का उत्पादन किस सीमा तक, अधिक मात्रा में होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ऐसे उपाय करने का सरकार का इरादा है जिनसे हथकरघा क्षेत्र अपनी अधिकतम संभव क्षमता तक काम कर सके । सरकार का विचार है कि अन्य बातों के साथ साथ हथकरघा क्षेत्र को यार्न की अधिक सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए पांचवीं योजना की अवधि के दौरान देश की कताई क्षमता का विस्तार करने दिया जाये ।

(ख) हथकरघों के लिए यार्न की सप्लाई बढ़ाये जाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र के सूती कपड़े का उत्पादन चौथी योजना के अन्त में हुए लगभग 240 करोड़ मीटर से बढ़कर पांचवी योजना के अन्त तक 300 करोड़ मीटर हो जायगा ।

उड़ीसा में दूसरी जूट मिल का स्थापित किया जाना

4069. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उड़ीसा में दूसरी जूट मिल को स्थापित करने के लिये क्षमता है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में दूसरी जूट मिल की स्थापना करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) कच्चे माल की प्राप्यता, देश में मिलों की विद्यमान क्षमता और आन्तरिक तथा विदेशी दोनों बाजारों में पटसन माल की मांग को ध्यान में रखते हूए फिलहाल उड़ीसा में दूसरी पटसन मिल स्थापित करने की कोई गुंजाईश नहीं है ।

कलकत्ता स्थित भारतीय तेल निगम द्वारा आयकर की चोरी

4070. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने ने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित भारतीय तेल निगम लिमिटेड गलत लेखे प्रस्तुत करके लगातार आयकर की चोरी करता रहा है ;

(ख) क्या करापवंचन की रिपोर्ट वहां के कर्मचारियों अथवा यूनियन द्वारा की गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो शिकायतों के संबंध में मुख्य बातें क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या आयकर अधिकारियों ने इस संबंध में कोई कार्यवाही शुरु की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कलकत्ता स्थित भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा झुठे खाते पेश करके आय–कर अपवंचन किये जाने का कोई मामला अभी तक जानकारी में नहीं आया है। परन्तु यह पाया गया है कि कर लगने योग्य आमदनी वाले अपने कर्मचारियों को निगम द्वारा किये गये कुछ भुगतानों में स्रोत पर आय–कर की समुचितरुप से कटौती नहीं की गई है।

(ख) से(घ) इस संबंध में, भारतीय तेल निगम कर्मचारी संघ, पूर्वी शाखा, कलकत्ता, के मंत्री से शिकायतें मिली है जिनमें ऐसे कई मामले बताये गये हैं, जहां कलकत्ता स्थित निगम की शाखा, स्रोत पर कर की कटौती करने के संबंध में, आय-कर अधिनियम 1961 के उपबन्धों का पालन करने में असफल रही । इन शिकायतों की जांच की जा रही है।

निगम ने वित्तीय बर्ष 1973-74 के लिये देय कर के रूप में 2 अगस्त 1974 को 1,35,509 रुपये की तदर्थ अदायगी कर दी है, जिसको गलती से पहले नहीं काटा गया था तथा पहले अदा नहीं किया गया था। निगम से, पूर्ववर्ती वर्षों के अपने खातों की भी अलग से लेखापरीक्षा कराने के लिये कहा गया है जिससे यदि पहले कोई चूक हो गयी तो उसका पता लग जाय।

औद्योगिक राज्यों को बैंक ऋण

4071. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों को देखा है कि औद्योगिकृत राज्यों को सर्वाधिक बैंक ऋण मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्हें सर्वाधिक और न्युनतम ऋण सुविधा मिले और इसके क्या कारण हैं तथा राजस्थान के विशेष संदर्भ में इस बारे में क्या स्थिति है ;

(ग) देश में समान वितरण व्यवस्था के लिये वितरण को सामान्य बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) बैंक ऋण सुविधा से वंचित राज्यों को ऋण सुविधायें उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता के मामले में अन्तर्राज्यीय असमानताओं के संबंध में समय समय पर समाचार पत्रों तथा अन्य मंचों से की गयी टिप्पणियों की सरकार को जानकारी है। यह विकृति पुराने समय की बर्मांती है और मोटे तौर पर विभिन्न राज्यों में असंतुलन के परिणामस्वरुप है। राष्ट्रीयकरण के समय से ही जहां पहले बैंकों की शाखायें बहुत कम थी उन क्षेत्रों में भी बैंकों की नयी शाखायें खोल कर समस्या पर सक्रिय प्रभाव डालने का प्रयास किया गया है। विशेषत: व्यापार और उद्योग के संगठित क्षेत्रों तथा परिवहन, संचार बिजली आदि, जैसी अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता किसी राज्य की आर्थिक क्रिया-कलापों के स्तर की आवश्यक कड़ी है । प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण देने के मामले में तेजी लाने के लिये बैंक स्वयं प्रयत्न कर रहे हैं। बैंक राज्य सरकार की प्रतिभूतियों तथा और राज्य संबंधित निकायों के डिबेंचरों में भी काफी निवेश कर रहे हैं और इन निवेशों में अधिक विकसित क्षेत्रों के मुकाबले अविकसित राज्यों में अधिक तज दर से वृद्धि हुई है। 1969 से 1972 के दौरान अनसूचित वाणिज्यक बैंकों द्वारा अग्रिम और निवेशों के रूप में लगायी गयी रकम के संबंध में राज्यवार आंकड़े अनुबंध में दिये गये हैं। 1969 और 1972 की अवधि के बीच सारे देश में लगभग 59 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले राजस्थान में बैंक निधियों की मात्रा में लगभग 92 प्रतिशत की वृद्धि हुई। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8356/74]**

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा क्रेश फायर टेंडरों के लिये क्रयादेश

4072. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने देश के हवाई अड्डों पर उपयोग के लिये 20 पहियोंवाले 'क्रेश फायर टेंडरों' के लिये कुछ विदेशों को क्रयादेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनको क्रयादेश दिये गये हैं, और उनकी कुल लागत कितनी बैठेगी और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा सम्मिलित होगी ;

(ग) देश के उन हवाई अड्डों के क्या नाम हैं जहां ये 'क्रेश फायर टेंडर', रखे जायेंगे और आग बुझाने की उनकी क्षमता क्या होगी ; और

(घ) ये टेंडर देश में कब तक प्राप्त हो जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) भारतीय अन्तराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 20 क्रेश फायर टेंडरों के लिए 24 जून 1974 को मैसर्स व्रेन्न क्रोनेनबर्ग, हालैंड को, जिन की तकनीकी तौर पर स्वीकार्य 'आॅफर' न्यूनतम थी, एक तार (केबल) भेजा था। औपचारिक संविदा (कांट्रेक्ट) पर बातचीत चल रही है। 20 क्रैश फायर टेंडरों की अनुमानित लागत 2.18 करोड़ रुपये है जिस में विदेशी मुद्रा का भाग 1.43 करोड़ रुपये है।

(ग) क्रेश फायर टेंडरों की जो कि चार अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर रखे जाएंगे, जल-धारिता नीचे दिखायी गयी है :--

स्टेशन	रखे जाने वाले क्रैश फायर टेंडरों की संख्या	झाग (फोम) उत्पादन के लिए प्रत्येक क्रैश फायर टेंडर की जलधारिता	सभी क्रैश फायर टेंडरों की कुल मिला कर जल-धारिता
दिल्ली	6	6300 लिटर	37,800 लिटर
बम्बई	6	,,	37,800 लिटर
कलकत्ता	4	,,	25,200 लिटर
मद्रास	4	,,	25,200 लिटर

(घ) सभी क्रेश फायर टेंडर मार्च 1975 तथा दिसम्बर, 1975 के बीच प्राप्त हो जाने की आशा है।

पेन्टस पर उत्पादशुल्क

4073. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु एककों द्वारा निर्मित रोगनों, रंगों, पेंट्स और एनेमल को उत्पाद-शुल्क से छूट देने का सरकार ने निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी छूट के परिणामस्वरुप देश में ऐसे कितने लघू एककों को लाभ होगा और राजस्थान में उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या लघु एककों के सुधार और उनकी बेहत्तर स्थिति के लिये ऐसे एककों को और अधिक राहत देने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। उक्त निर्णय दिनांक 27 जुलाई, 1974 की अधिसूचना सं० 116/74-के० उ० शु० (सा० का० नि० सं० 785) को जारी करके लागु किया गया है, जिसे 5 अगस्त, 1974 को सभा-पटल पर रखा गया था।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) भाग (ग) में दिये गये उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

पौंग बांध के कारण वहां से हटाये गये व्यक्तियों की पंजाब नेशनल बैंक में जमा की गई धनराशि

4074. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब नेशनल बैंक ने पौंग बांध के लिये वहां से हटाये व्यक्तियों की, जिन्हें वर्ष 1972 और 1973 में जिला कांकड़ा (हिमाचल प्रदेश) की डेहरा तहसील में उनकी भूमि के लिये मुआवजा दिया गया था, कुल कितनी धनराशि जमा की है ;

(ख) क्या इन व्यक्तियों की धनराशि जमा करने के लिये बैंक की कोई चलती-फिरती शाखायें स्थापित की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो पंजाब नैशनल बैंक द्वारा चलाये गये धनराशि एकत्र करने के उस अभियान की रुपरेखा क्या है ;

(घ) क्या किसी अन्य बैंक ने भी ऐसा अभियान चलाया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा पौंग बांध से हटाये गये व्यक्तियों से जुटाई गयी कुल जमा रकमें 1972 तथा 1973 में क्रमशः 3.16 करोड़ रुपया और 4.25 करोड़ रुपया थीं।

(ख) और (ग) बैंक ने इस प्रयोजन के लिए कोई चलती-फिरती शाखा स्थापित नहीं की थी। किन्तु बैंक ने कर्मचारियों का एक दल गठित किया था जो बचत करने की शक्ति रखने-वाले जमाकर्ताओं को समझाने-बुझाने के लिए गांव गांव में गया था।

(घ) और (ङ) बताया गया है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने भी ऐसे ही प्रयास किये हैं।

हरितालय नगर (हिमाचल प्रदेश) में फौस्सिल पार्क विकास का प्रस्ताव

4075. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पर्यटन विभाग अथवा भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हरितालयनगर में पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र के रूप में फौस्सिल पार्क का विकास किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताविक परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं या इस कार्य को कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महषी) : (क) हरितालय नगर में केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा अथवा भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किसी फौस्सिल पार्क का विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पालम हवाई अड्डे पर एक व्यापारी की गिरफ्तारी

4076. **श्री राम सहाय पांडये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जूलाई, 1974 को नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर एक ऐसे व्यापारी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास तीन लाख रुपये की विदेशी मुद्रा और कुछ निषिद्ध वस्तुयें थी, और

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यापारी का नाम क्या है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गनेश) : (क) तथा (ख) 14 जुलाई, 1974 को पालम हवाई अड्डे पर श्री सुदर्शन कुमार मोदी को गिरफ्तार किया गया था जिसनें अपना पता मोदी भुवन, पटियाला बताया था और उसके पास से 24,950 रु० मूल्य की अघोषित विदेशी मुद्रा तथा यात्री चेक और 328 रुपये की भारतीय मुद्रा, 4025 रु० मूल्य की ग्यारह घडियाँ, पांच ब्ल्यू फिल्में तथा रिकार्ड किये गये कामोतेजक संगीत के 2 के सेट टेप पकड़े गये । इसके अलावा स्वीकृत सीमा से 17,444 रु० अधिक मूल्य का असबाब भी पकड़ा गया । श्री मोदी को गिरफ्तार किया गया और बाद में 7,000 रु० का बांड और इतनी ही रकम की जमानत पेश किये जाने पर चीफ मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया । विभागीय न्याय-निर्णय संबंधी कार्यवाही अभी चल रही है ।

राजस्थान नहर के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोशियेशन से ऋण

4077. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की राजस्थान नहर के कमान क्षेत्र के विकास कार्यों का वित्त पोषण करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिऐशन द्वारा मंजूर किये गये ऋण के बारे में शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 31 जूलाई 1974 को हस्ताक्षर किये गये करार के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ राजस्थान नहर सिंचाई क्षेत्र विकास परियोजना के लिए लगभग 62.25 करोड़ रुपये (8.30 करोड़ अमरीकी डालर) का ऋण देने के लिये राजी हो गया है । इस ऋण का उपयोग, राजस्थान राज्य की राजस्थान नहर परियोजना के (जो गंगानगर जिले में पड़ती है) सिंचाई क्षेत्र में जमीन का विकास करने, नहरों में अस्तर लगाने, वन लगाने सड़कें बनाने, उर्वरक प्राप्त करने, पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए आवश्यक निर्माण का काम करने, सहायक सेवाओं की व्यवस्था करने और खेती के बारे में अनुसंधान करने तथा उसका विस्तार करने के लिए किया जायगा । यह ऋण अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्टेण्डर्ड शर्तों पर दिया जा रहा है, अर्थात् इसपर कोई व्याज नहीं लगेगा लेकिन 1 प्रतिशत के 3/4 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार दिया जायगा और इसकी वापसी अदायगी 50 वर्षों में की जायगी जिसमें दस वर्ष की रियायती अवधि शामिल है ।

एयर इण्डिया की सेवाओं में व्यवधान

4078. **श्री धामनकर :**

श्री वसंत साठे :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्लिप प्रणाली आरम्भ किये जाने पर विमान चालकों और प्रबन्धकों के बीच संघर्ष के कारण एयर इण्डिया की सेवाओं में व्यवधान पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो एयर इंडिया की सेवाओं पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है तथा इसके कारण सरकार को अब तक कितनी वित्तीय हानि हुई है ; और

(ग) विमान चालक किन मुख्य बातों पर असन्तुष्ट हैं तथा वे कहां तक न्यायसंगत हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) विमानचालक गिल्ड द्वारा की गयी गैर-कानुनी हड़ताल के परिणामस्वरुप, एयर इंडिया के परिचालन गंभीर रुप से अस्तव्यस्त हो गए हैं। तथापि, प्रबंधकवर्ग अधिशासी विमानचालकों तथा ऐसे विमानचालकों की सहायता से, जो स्लिप सिस्टम का परिचालन करने के लिए सहमत हो गए हैं, लन्दन के लिए चार बोइंग 747 उड़ाने, गल्फ के स्थानों के लिए दो 707 उड़ाने, तथा बम्बई से दिल्ली तक की एक 707 एक्सटेंशन उड़ान प्रति सप्ताह परिचालित कर रहा है। गैर–कानूनी हड़ताल के परिणामस्वरुप लगभग 20 लाख रुपये प्रतिदिन की अनुमानित हानि हो रही है।

(ग) विमानचालक गिल्ड यह कह कर स्लिप सिस्टम के अनुसार परिचालन करने से इन्कार कर रहा है कि यह प्रणाली उनसे पूर्व-विचार विमर्श किए बिना चालू की गयी तथा यह गिल्ड के साथ हुए करार का उल्लंघन है, और इससे परिचालनों की सुरक्षा पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ये आपत्तियां निराधार हैं।

राज्य व्यापार निगम के पास पड़ा अखबारी कागज का स्टाक

4079. **श्री धामनकर :**

श्री वसंत साठे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के पास अखबारी कागज का स्टाक जमा हो गया है क्योंकि उसको उठाने वाले नहीं मिल रहे है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले से संबंधित तथ्य क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) कुछ छोटे तथा मध्यम समाचार-पत्र जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में अखबारी कागज उठाते हैं, उनके द्वारा अखबारी कागज मन्द गति से उठाये जाने के कारण अभी हाल ही में राज्य व्यापार निगम के पास अखबारी कागज का कुछ स्टाक जमा हो गया है। इससे समाचार पत्रों के कार्यचालन पर किसी भी प्रकार कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है।

आयकर दोषी

4080. **श्री सतपाल कपूर : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 10 लाख रुपये से ऊपर आयकर की बकाया की श्रेणियों में सर्वोच्च दस आय-कर दोषियों के नाम क्या है ; और

(ख) क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) शीर्षस्थ 10 कर निर्धारितियों के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध है, जिनमें से हर एक की तरफ 31 मार्च

1974 को 10 लाख रुपये से अधिक की बकाया थी। उनके नाम उनकी तरफ बकाया रकम और हर एक मामले में बकाया को वसूल करने कमं करने के लिये किये गये अथवा किये जा रहे उपाय अनुबन्ध में दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8357/74]

जिन कर-निर्धारितियों की तरफ 31 मार्च 1974 को 5 लाख और 10 लाख रुपये के बीच की बकाया थी उनके बारे में इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायगी।

जिन कर-निर्धारितियों की तरफ 1 लाख और 5 लाख रुपये के बीच की बकाया थी, उनकी संख्या कई हजार में है। यदि माननीय सदस्य 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की बकाया वाल किसी खास कर-निर्धारिती अथवा कर-निर्धारितियों के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह एकत्र करके पेश की जायगी।

कलकत्ता में दम-दम के निकट निर्बंध व्यापार क्षेत्र बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव

4081. **श्री ए० के० एम० इसहाक :**
श्री लुतफल हक :
श्री देवेन्द्र नाथ मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में दमदम के निकट निर्बंध व्यापार क्षेत्र बनाने का एक प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार ने अप्रैल, 1973 में प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातों का ब्योरा क्या है; और

(ग) अब तक की गई कार्यवाही की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिती क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) इस प्रस्थापना पर परियोजना रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार से अप्रैल, 1973 में प्राप्त हुई। यह स्टैनलैस स्टील के छुरी काटें आदि, हाथ के तथा छोटे औजार, लोहे का इमारती सामान, तैयार चमड़ा सिले सिलाए परिधान, वैज्ञानिक तथा प्रयोगशाला उपस्कर आदि जैसे निर्यात के लिए अनेक उत्पादो के विनिर्माण के लिए दम दम के पास साल्ट लेक एरिया में 400 एकड़ क्षेत्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करने के संबंध में है। भारत सरकार के एक अन्त: मंत्रालय अधिकारी दल ने जून, 1974 में कलकत्ता का दौरा किया तथा पश्चिम बंगाल की सरकार के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और स्थल का भी निरीक्षण किया। परियोजना की वास्तविक रुप में स्थापना के करने के लिए ब्यौरा तयार किया जा रहा है तथा इस काम के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से मांगे गये आंकड़े अभी प्राप्त हुए हैं।

कलकत्ता में निर्बंध व्यापार क्षेत्र के प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल के साथ चर्चा

4082. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के दमदम में निर्बंध व्यापार क्षेत्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर उनके मंत्रालय ने अनेक बार चर्चा की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन तारीखों को चर्चा की गई और चर्चा में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम क्या है;

(ग) निर्बाध व्यापार क्षेत्र के लिये राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद तारीखवार मंत्री महोदय ने कितनी बार कलकत्ता की यात्रा की और प्रस्ताव के बारे में सरकार के साथ कितनी बार चर्चा की गई ; और

(घ) अब तक इस प्रस्ताव के बारे में क्या परिणाम प्राप्त हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। भारत सरकार के एक अन्त: मंत्रालय अधिकारिक दल द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ केवल एक बार विचार विमर्श किया गया था।

(ख) 14 तथा 15 जून, 1974 को वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में अन्त: अधिकारिक दल ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव तथा अन्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया था।

(ग) मंत्री महोदय ने केवल इस प्रयोजनार्थ कलकत्ता की यात्रा नहीं की थी।

(घ) क्षेत्र की वास्तविक रूप से स्थापना करने के लिए ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं इस परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से मांगे गये आंकड़े हाल ही में प्राप्त हुए हैं।

मजूरी और परिलब्धियों का पुनरीक्षण

4083. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र तथा विभागीय उपक्रमों के उच्च प्रबन्धकों की मजूरी और परिलब्धियों में वृद्धि करने की स्वीकृति देने से पूर्व केन्द्रीय मंत्रिमंडल की संबंध उपसमियों से परामर्श करने का निदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो निदेश की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को यह अनुदेश दिये गए है कि वे अपनी कम्पनियों में सामान्य रूप से वेतन-संशोधन लागू करने से पहले सरकार की सहमति प्राप्त करें। इस प्रकार की जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तुलनात्मक वेतन-स्तरों में जो विषमताएं हैं उन्हें क्रमिक रूप से दूर कर दिया जाय और अर्थव्यवस्था पर मुद्रा स्थीति के अनुचित दबाव को उचित सीमा में रखा जाय ।

जूट उद्योग को दी गई वित्तीय राहत

4084. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 से 1973-74 की अवधि के दौरान जूट उद्योग को कितनी वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता दी गई ;

(ख) उक्त सहायता देने में सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की ;

(ग) इस अवधि के दौरान ये सहायता देने से निर्यात अभियान जूट, उत्पादकों और जूट कर्मचारियों को किस सीमा तक लाभ पहुंचा है ; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान जूट उद्योग को प्राप्त कुल लाभ का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पटसन की वस्तुओं की विभिन्न किस्मों पर लागू निर्यात शुल्क 1–11–72, 12–6–73 तथा 28–8–73 में घटाया गया था जसा कि अनुबंध 'क' में दर्शाया गया है। सामान्य तौर पर ऐसी कमियां विश्व बाजार में पटसन उत्पादों को प्रतियोगी बनाने के आयश से की जाती थीं।

पटसन मिलों को अपनी मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर एक प्रतिशत की सीमा तक व्याज उपदान के लिए भी व्यवस्था है।

(ख) निर्यात शुल्क में कमी के कारण जबकि कोई खर्च नहीं हुआ था, विभिन्न तारीखों को कमी के फलस्वरुप हुई प्रतिवर्ष राजस्व की अनुमानित हानि निम्नोक्त प्रकार है :—

1–11–72	4 से 5 करोड़ रु०
12–6–73	5.20 करोड़ रुपये
28–8–73	11.30 करोड़ रु०

राजस्व की वास्तविक हानि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जहां तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋणों पर व्याज उपदान का संबंध है, विभिन्न वर्षों में व्यय निम्नोक्त प्रकार था :—

1971–72	2.43 लाख रु०
1972–73	2.38 लाख रु०
1973–74	2.34 लाख रु०

(ग) केवल निर्यात शुल्क में कमी से निर्यातों में वृद्धि की मात्रा बताना सम्भव नहीं है तथापि 1971–72 से 1973–74 तक पटसन वस्तुओं के निर्यात क्रमश: 265 करोड़ रु०, 249 करोड़ रु० तथा 223 करोड़ रु० के रहे हैं। निर्यात शुल्क की कमी का पटसन उपजकर्ताओं द्वारा प्राप्त की गई कीमती से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सरकार कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर कच्चे पटसन के लिए कानूनी न्यनतम कीमतें निर्धारित करती रही है तथा ये 1971–72 में 113.87 रु० प्रति क्विंटल से उत्तरोत्तर बढ़ कर 1973-74 में 125 रु० प्रति क्विंटल हो गई हैं। पटसन उद्योग को दी गई राहतों का पटसन कर्मचारियों पर सीधे प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि उनकी मजदूरियां भी उत्तरोत्तर बढ़ती रही हैं।

(घ) 43 पटसन मिलों के अध्ययन पर रिजर्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित आंकड़े दर्शाते हैं कि 1971–72 में इन मिलो द्वारा अर्जित युद्ध लाभ 8.23 करोड़ रुपये था। दूसरे वर्षों तथा अन्य मिलों से संबंधित आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

पटसन माल की मुख्य वर्गों पर निर्यात शुल्क

दिनांक	वस्तु का नाम	निर्यात शुल्क की प्रभावी दर में परिवर्तन	प्रतिवर्ष प्रभावी अनुमानित राजस्व
1	2	3	4
1–11–1972	कालोन अस्तर जिसका बजन प्रतिमीटर 9 औंस अथवा उससे अधिक हो।	निर्यात शुल्क 700 रु० प्रति मे० टन से घटाकर 300 रु० प्रति मे० टन कर दिया गया।	(–) 4 से 5 करोड़ रु०

दिनांक	वस्तु का नाम	निर्यात शुल्क की प्रभावी दर में परिवर्तन	प्रतिवर्ष प्रभावी अनुमानित राजस्व
1	2	2	4
12-6-73	(क) (1) कालीन अस्तर जिनका बजन प्रतिगज $7\frac{1}{2}$ औंस अथवा उससे अधिक लेकिन 9 औंस से कम हो।	निर्यात शुल्क 700 रु० प्रति मे० टन से घटाकर 200 रु० प्रति मे० टन कर दिया गया है।	(–) 5.20 करोड रु०
	(2) कालीन अस्तर जिसका वजन प्रति गज 9 औंस अथवा उससे अधिक हो।	निर्यात शुल्क 300 रु० प्रति मे० टन से घटाकर 200 रु० प्रति मे० टन कर दिया गया।	
	(ख) कालीन अस्तर जिसका वजन प्रति गज $7\frac{1}{2}$ औंस से कम हो।	निर्यात शुल्क 700 रु० प्रति मे० टन से घटाकर 300 रु० प्रति मे० टन कर दिया गया।	
28-8-73	(क) अन्य हैसियन	निर्यात शुल्क 600 रू० प्रति मे० टन से घटाकर 200 रु० प्रति मे० टन कर दिया गया।	(–) 11.30 करोड़ रु०
	(ख) टाट (कपड़ा तथा बोरियां)	निर्यात शुल्क 150 रु० रु० प्रति मे० टन से घटाकर शून्य कर दिया गया।	(–) 11.30 करोड़ रु०

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये कृषि ऋण

4085. श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री लुत्फल हक :
श्री देवेन्द्र नाथ मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बकाया राशि वसूल नहीं की जा सकी ; और

(ख) प्राथमिकता के क्षेत्र को दिये गये कुल ऋण में से इन किसानों को कितने प्रतिशत ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिसम्बर 1971, 1972 तथा 1973 के अन्त में तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष रूप से दिये गये धन की बकाया रकमें क्रमश: 159.72 करोड़ रुपये 194.65* करोड़ रुपये और 263.80* करोड़ रुपये थीं। इन्हीं अवधियों की इन रकमों आंकड़े उपलब्ध नहीं है जो चुकाने के लिए निश्चित अवधि के बाद भी देय थीं। किन्तु जून 1971, 1972 और 1973 के अन्त में जो

रकमें देय थीं उनकी मांगों के आधार पर उन देय रकमों के आकड़े नीचे दिये गये हैं जो चुकाने के लिए निश्चित अवधि के बाद भी देय थीं :—

(रकम लाख रुपयों में)

	1971	1972	1973
जून के अन्त कुल मांग . . .	5,198.57	8,194.00	10,604.00
जून के अन्त में चुकाने के लिए निश्चित अवधि के बाद देय रकमें . . .	2,172.68 (41.7 प्रतिशत)	4,045.00 (49.3 प्रतिशत)	5,503.00 (51.8 प्रतिशत)

*अनन्तिम

(ख) आवश्यक प्रतिशतताएं इस प्रकार है :—

दिसम्बर 1971 के अंत में	दिसम्बर 1972 के अन्त में	दिसम्बर 1973 के अन्त में
26.4 प्रतिशत	26.3 प्रतिशत	25.9 प्रतिशत

राष्ट्रीयकृत बैंकों में ब्याज दर

4086. श्री शंकर राव सावन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को क्या ब्याज दर दी गई और ऋण लेने वालों से क्या ब्याज दर ली गई और गत तीन वर्षों में इसमें कब वृद्धि की गई ; और

(ख) (i) जमा राशियों को आकर्षित करने (ii) ऋण ढांचा (iii) व्यापार और उद्योग और (iv) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की विकास परियोजनाओं में से प्रत्येक मामले में इसका क्या प्रभाव पड़ा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध i, ii, और iii में दी गयी है **[प्रथालय मे रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०–8358/74]**

(ख) वाणिज्यिक बैंको द्वारा इनमें जमा रकमों पर दिये जाने वाले और इनके द्वारा दिये गये अग्रिमो पर लिये जाने वाले ब्याज की दरों में होनेवाले घटबढ़ का प्रभाव इन बैंको में जमा रकमों और इनके द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों की घटबढ़ पर पड़ना कई कारणों में से एक कारण है। यह तो स्पष्ट है कि अग्रिमों के ब्याज की दर बढ़ जाने से व्यापार, उद्योग और बैंक ऋणो पर निर्भर करनेवाली केन्द्र और राज्य सरकारों की परियोजनाओं के लिए दिये जानेवाले धन की लागत में वृद्धि हो जाती है, किन्तु आंकड़ो के रुप में इसे बताना कठिन है।

राज्यों को ऋण तथा अनुदान

4087. श्री शंकर राव सांवत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को 1971–72, 1972–73 और 1973–74 के दौरान ऋण और राज सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) ऋण और राजसहायता किन प्रयोजनों के लिये दी गई थी तथा उनका कहां तक उपयोग किया गया ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अप्रयुक्त धन राशि को वापस ले लिया है और यदि नहीं, तो उस धनराशि को किन कार्यों पर खर्च किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) माननीय सदस्य का संकेत सम्भवतः केन्द्र द्वारा राज्यों की उनकी योजनाओं के लिए दी जानेवाली सहायता की ओर है । एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8359/74]**

(ख) केन्द्र द्वारा राज्य की योजनाओं के लिए दी जानेवाली सहायता अपने आप में किसी प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं होती । लेकिन राज्य की आयोजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं, प्रारम्भिक शिक्षा आदि जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए जाने वाला खर्च पृथक रूप से निर्धारित किया जाता है । कुल मिलाकर सारे आयोजना व्यय में या निर्धारित क्षेत्रों के व्यय में कोई कमी होने पर केन्द्रीय सहायता में भी उसी अनुपात में कमी हो जाती है ।

(ग) राज्य सरकारों को उनके द्वारा प्रत्याशित व्यय की सूचना के आधार पर अनन्तिम रूप से इस शर्त पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है कि बाद में महालेखाकार द्वारा प्रमाणित किए गये वास्तविक व्यय के आधार पर उनमें घटा बढ़ी की जा सकती ।

एयर इंडिया में विमान चालकों का वेतन और भत्ते

4088. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **पर्यटन और विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया में विमान चालकों के वेतनमान तथा भत्ते क्या हैं ; और

(ख) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों के ऐसे ही विमान चालकों के वेतनमानों और भत्तों की तुलना में ये कितने न्यूनाधिक हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वेतन के मूल ग्रेड निम्न प्रकार हैं :--

(i) सीनियर कैप्टेन : 1700-100-2200 रुपये मासिक,

(ii) कैप्टेन : 1380-60-1500-100-1900 रुपए मासिक ।

परन्तु, ये विमानचालकों की कुल उपलब्धियों नहीं हैं क्योंकि विभिन्न भत्तों को मिला कर बम्बई में तैनात विमान चालकों की औसत उपलब्धियों निम्न प्रकार है :--

(i) सीनियर बोइंग 477 कैप्टेन : लगभग 10,000 रुपये मासिक,

(ii) 747 कैप्टन : लगभग 7,300 रुपये मासिक,

(iii) सीनियर बोइंग 707 कैप्टेन : लगभग 7,200 रुपये मासिक,

(iv) 707 कैप्टेन : लगभग 5,200 रुपये मासिक ।

विदेशों में तैनात विमानचालकों के भत्तों की मात्रा उनकी नियुक्ति के स्टेशनों तथा अन्य बातों के आधार पर भिन्न भिन्न है । ऐसे विमान चालकों की कुल उपलब्धियां रुपयों के हिसाब से विदेश भत्तों आदि के कारण भारत में तैनात विमानचालकों की कुल उपलब्धियों से अधिक हैं ।

(ख) अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के विमानचालकों के वेतन तथा भत्तों के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है। अन्य देशों में प्रचलित भिन्न पारिश्रामिक ढांचों तथा आर्थिक परिस्थितियों कारण तलना करना उचित नहीं होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से ब्याज मुक्त ऋण

4089. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से गत तीन वर्षों में कुल कितना ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हुआ है ; और

(ख) उक्त ऋण का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ जून, 1974 को समाप्त होने वाले आखिरी तीन वित्तीय वर्षों में 972.2 करोड़ रुपये (12,962 लाख अमरीकी डालर) की कुल रकम के लिए करार किये गये ।

(ख) इन ऋणों की पूंजी का क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है :–

	रकम	
	(करोड़ रुपयों में)	(लाख अमरीकी डालरों में)
(क) सिंचाई सहित कृषि	220.5	2,940
(ख) उर्वरक	103.5	1,380
(ग) बिजली उत्पादन और तार वगैरह लगाना . .	63.8	850
(घ) जहाजरानी	62.2	830
(ङ) रेलवे	116.3	1,550
(च) दूर संचार	60.0	800
(छ) औद्योगिक आयात आदि . . .	262.5	3,500
(ज) जलपूर्ति और शहरी विकास .	67.5	900
(झ) अन्य	15.9	212
जोड़ .	972.2	12,962

छोटी बचतों में राज्यों का हिस्सा

4090. **श्री एस० एन० सिंह देव :**
श्री देवेन्द्र नाथ मेंहता :

क्या वित्त मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने छोटी बचतों में अधिक हिस्से की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में छोटी बचतों की निवल रकम में से मिलने वाले ऋण के बारे में जो उनके द्वारा 25 वर्षों में लौटाया जाता है, सुझाव देती रही है कि उनके हिस्से की इस रकम को मौजूदा 662/3 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत या 80 प्रतिशत कर देना चाहिए। पांचवीं आयोजना के दौरान उपलब्ध होने वाली पूंजी के बारे में अनुमान लगाते समय यह मान लिया गया कि केन्द्र के पास, जैसा कि इस समय विधान है, छोटी बचतों का एक तिहाई भाग रहेगा। केन्द्र के साधनों में किसी भी तरह की कटौती करने से अपने व राज्यों दोनों के विकास कार्यक्रमों में पूंजी लगाने की केन्द्र क्षमता घट जायेगी। इसके अलावा छोटी बचतों में रकम केन्द्र तथा राज्यों की सरकारों की मिली जुली कोशिशों से इकट्ठी होती है। इसलिए इस समय छोटी बचतों में राज्य सरकारों व केन्द्र की सरकार के हिस्से के इस फारमूले में कोई भी अदल बदल करना सम्भव नहीं है।

कपड़ा उद्योग का विकास

4091. श्री एस० एन० सिंह देव :
श्री देवेन्द्र नाथ मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल, आसाम और पूर्वी क्षेत्र में कपड़ा उद्योग के विकास के कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार ने वस्त्र उद्योग के विकास हेतु राज्य-वार योजना नहीं बनाई है। तथापि, पांचवीं योजना अवधि के दौरान सूती वस्त्र उद्योग से विस्तार की अनुमति देते समय, उन क्षेत्रों में, जहां हथकरघा तथा शक्ति चालित करघा बुनकरों के लिए धागे की अतृप्त मांग है, और उन क्षेत्रों में जहां रुई अधिशेष है, अतिरिक्त क्षमता के सजन को प्रोत्साहित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल, आसाम आदि की सरकारों द्वारा सिफारिश किये गए आवेदनपत्रों पर, जो अनुमोदित मापदण्ड के अन्तर्गत आते है अनकूल रूप में विचार किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में नियंत्रित कपड़े का वितरण

4092. श्री एस०एन० सिंह देव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1974 की अवधि में पश्चिम बंगाल में कितने कंट्रोल के कपड़े का वितरण किया गया ;

(ख) इस अवधि में कंट्रोल के कपड़े के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) मिलों के लिये कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन की क्या प्रतिशतता निर्धारित की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जनवरी से जून, 1974 के दौरान पश्चिम बंगाल को आबंटित की गई नियंत्रित कपड़े की मात्रा 11629 3/4 गाठें थी। वास्तविक रूप में वितरित की गई मात्रा के संबंध में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) मई, 1968 में निर्धारित की गई नियंत्रित कपड़े की कीमतों में 1 अप्रैल, 1974 से मिल से निकलते समय की कीमतों में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की अनुमति दी गई है। व्यापारियों का मार्जिन उस तारीख से मिल से निकलते समय की कीमतों के 12 1/2 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ग) अप्रैल-जून तथा जुलाई–सितम्बर 1974 की तिमाहियों के दौरान मिलें दिसम्बर, 1973 तथा मार्च, 1974 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में अपने कुल उत्पादन का 24 प्रतिशत बराबर अथवा इन तिमाहियों में आंठ पारी में 6.88 वर्ग मीटर प्रति करघे के हिसाब से नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करेगी।

Expenditure on Maintenance of Air Strip at Jhalawar (Rajasthan)

4093. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the maintenance of the air strip of Jhalawar (Rajasthan) during the last three years, year-wise ;

(b) whether this airstrip is in a bad shape being covered with gravels, stones and somewhere with bushes ;

(c) whether the wall ridge constructed around the airstrip umbrella has given way, the people take out stealthily the stones of the wall and no satisfactory arrangements exist for its security, cleanliness, proper maintenance or keeping it fit for emergency landing; and

(d) the steps being taken to imporve the position ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) to (d) The fair weather airstrip at Jhalawar belongs to the Rajasthan Government and the Civil Aviation Department of the Central Government has no information about its condition, expenditure on its maintenance etc.

एयर इंडिया में तकनीकी कर्मचारी संघ को मान्यता

4094. श्री मधु दंडवते : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया में कोई तकनीकि कर्मचारी संघ है जिससे मान्यता नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) मान्यता का करार, जो कि एयर–इण्डिया में तकनीकी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडियन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन्स एसोसियेशन के मामले में 2 वर्ष की अवधि के लिये था, 6 सितम्बर 1973 को समाप्त हो गया था। इस एसोसियेशन ने दो वर्ष की और अवधि के लिए करार का नवीकरण करने के लिए प्रबंधक वर्ग से अनुरोध किया है। तथापि प्रबंधकवर्ग इस करार का नवीकरण नहीं कर सका क्योंकि "एयर–इण्डिया एम्पलाईज़ गिल्ड" नाम से एक प्रतिपक्षी युनियन बन गया है जो कि एयर इण्डिया के अधिकांश कर्मचारियों का जिन में तकनीकी वर्ग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहा है। इसके सदस्यों की जांच करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये है।

बैंकों में अधिकारी संगठनों के पदाधिकारियों के बारे में एक श्रमिक संघ का अभ्यावेदन

4095. श्री मधु दंडवते : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन मिला है जिसमें यह मांग की गई है कि श्रमिक संघों के स्वतंत्र और सुचारु कार्यकारण के लिए बैंकों में मेनेजरों और क्षेत्रीय मेनेजरों जैसे कार्यकारी पदाधिकारीकों वहां के अधिकारी – संगठनों के पदों पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसी प्रकार

कर्मचारी संगठनों के पदधारियोंको मैनेजरों और क्षेत्रिय मैनेजरों जैसे कर्मचारियों पदों पर काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या निर्णय है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) बैंकों में अधिकारियों के एसोशियशनों के पदाधिकारीयों का चुनाव सम्बन्धित एसोसियेशन का एक अन्दरुनी मामला है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

4096. श्री एस० एम० सिद्धय्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 में तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री, श्री पी ० गोविंद मेनन ने अपने मंत्रालय से यह सिफारिश की थी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में, तकनिकी पाठ्यक्रमों के लिए 100 प्रतिशत की और गैर-तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाये ;

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्ति में वृद्धि के लिए कितनी अतिरिक्त राशि की आवश्यकत होगी ; और

(ग) यह सिफारिश मंत्रालय द्वारा कब अस्वीकार की गई और इसके क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1968-69 में इस मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा गया था ।

(ख) चौथी योजना की अवधि के दौरान छात्रवृत्तियों की बढ़ी हुई दरों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि लगभग 27 करोड़ रु० आंकी गई थी ।

(ग) वित्तिय स्त्रोतों पर दबाव पड़ने के कारण इस प्रस्ताव को योजना की सीमाओं के अंतर्गत रखना व्यवहार्य नहीं पाया गया । इस निर्णय की जानकारी विधि तथा समाज कल्याण मंत्रालय को 12 मई, 1969 को दे दी गई थी ।

Value of Rupee

4097. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the value of rupee had remained 27 per cent or less than that near about the time of supplementary budget of 31st July, 1974 ; and

(b) whether there has been a further fall in the value of rupee thereafter ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b) No information is so far available for July 1974 regarding the value of the All-India Industrial Workers' Consumer Price Index which is the basis of such a calculation.

Increase in Rate of Interests on Bank Deposits

4098. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase further the rate of interest on bank deposits keeping in view the recent supplementary budget of 31st July and constantly decreasing value of rupee; and

(b) if so, the broad features thereof ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b) The rates of interest payable on certain classes of deposits by scheduled commercial banks were stepped up only recently viz. w.e.f. July 23, 1974 and there is at present no proposal to further enhance the rates.

Seizure of Fake Currency Notes

4099. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the figures relating to fake currency notes seized during the month of August, 1974; and

(b) the concrete measures proposed to be taken to check this recket effectively ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) During the month of August, 1974 (upto 22nd) fake currency notes seized are as follows :—

Denomination	Pieces seized
Re. 1/	5
Rs. 2/	..
Rs. 5/	11
Rs. 10/	34
Rs. 20/	3
Rs. 100/	7

(b) The Law of the land provides for deterrent punishment for offences relating to counterfeiting of currency and bank notes. The State Police Authorities keep a constant vigilance in this regard and organise raids on information about counterfeiting being done by any person. The Central Bureau of Investigation also keeps the problem of counterfeiting of Indian currency under continuous study by keeping records of different techniques adopted and by reviewing periodically the appearance of counterfeit Indian currency. A 'cell' has also been created in their Economic Offences Wing to undertake investigations of serious offences of counterfeit currency and coordinate the investigations in the States.

जीवन बीमा निगम प्रशासन और ब्लिट्ज बाम्बे वीकली के बीच समझौता

4100. श्री जगन्नाथराव जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जीवन बीमा निगम के श्रेणी एक के अधिकारियों की ऐसोसियेशन की फैडरेशन के मुख्य पत्र 'आवर वायर्स' के जनवरी, 1974 के अंक में 'कोड आफ कंडक्ट फार हूम' शीर्षक के अन्तर्गत उस लेख की ओर दिलाया गया है । जिसमें जीवन बिमा निगम प्रशासन और ब्लिट्ज बाम्बे वीकली के बीच संदेहास्पद समझौता होने का रहस्योद्घाटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम द्वारा बम्बई के मध्य में उक्त साप्ताहिक समाचार पत्र को बहुत बड़ा अहाता देकर तथा उक्त समाचार पत्र को स्थान देने के लिये जीवन बीमा निगम के कार्यालय को वहां से अविलम्ब स्थानान्तरित होने को विवश कर के इस बम्बई वीकली का जो हमेशा दोष ढुंढता है अचानक मुख बन्द किये जाने के बारे में तथ्य तथा मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ; और

(घ) इस समझौते के करने में जीवन बीमा निगम के जिन अधिकारियों का हाथ है उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार का ध्यान उक्त लेख की ओर आकृष्ट किया गया है।

(ख) मैसर्स ब्लिट्ज पब्लिकेशन ने बहुत पहले 1964 में जीवन बीमा निगम से दक्षिण बम्बई में स्थित जीवन बीमा निगम के एक भवन में कुछ जगह पट्टे पर लेने के लिये आवेदन किया था (जिसे बाद में फिर से दोहराया गया था)। जीवन बीमा निगम के एक कार्यालय के स्थानान्तरित किये जाने के परिणामस्वरूप, जीवन बीमा निगम के दादा भाई नौरोजी रोड स्थित भवन में लगभग 158 वर्गमिटर स्थान खाली हो गया था। चुंकि यह स्थान स्वयं जीवन बीमा निगम द्वारा इस्तेमाल किये जाने के लिए बहुत छोटा पाया गया, इसलिये यह स्थान अनुज्ञा तथा लाइसेंस के आधार पर 2 रूपये प्रति .093 वर्गमीटर मासिक की दर पर 1 जून, 1973 से ब्लिट्ज पब्लिकेशन्स को दिया गया।

(ग) तथा (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

एयर इंडिया में 'स्लिप सिस्टम' के विरुद्ध आन्दोलन

4101. **श्री वरके जार्ज** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया एप्लाइज़ गिल्ड ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह एयर इंडिया के कार्यकरण में पुनः सामान्य स्थिति लाने के लिए हस्तक्षेप करें ;

(ख) क्या उन्होंने स्लिप सिस्टम के विरुद्ध आंदोलन जारी रखने का भी निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो पुनः सामान्य स्थिति कायम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) एयर इंडिया एम्प्लाईज़ गिल्ड मान्यता प्राप्त नहीं है। उसका दावा है कि वह एयर इंडिया के तकनीकी तथा गैर-तकनिकी ग्राउंड स्टाफ का प्रतिनिधित्व करता है।

उनका स्लीप सिस्टम के साथ कोई संबंध नहीं है। परन्तु, इस मामले में गिल्ड स कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

उर्वरकों का आयात

4102. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में उर्वरकों का आयात करने के कार्यक्रम का विवरण क्या है तथा अनुमानित आवश्यकता कितनी है तथा किन किन देशों के साथ ठेके किये गये हैं; कितनी मात्रा में किस मूल्य पर तथा नौभरण कब किया जाना है ;

(ख) क्या इस बीच अनुमानित आयात की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या है और इस का खाद्यान्न उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय तथा सप्लाई विभाग से, जो इस विषय से संबंधित है, जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायगी ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया की दिल्ली छावनी शाखा में जालसाजी का मामला

4103. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडीया (दिल्ली) ने स्टेट बैंक की दिल्ली छावनी शाखा में हुआ 16 लाख रुपये की जालसाजी का एक मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सोपा है ;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बैंक के कुछ अधिकारीयों पर मुकदमा चलाये जाने की सिफारिश करते हुए अपने निष्कर्ष दे दिये है ;

(ग) क्या स्टेट बैंक के चैयरमैन द्वारा अधिकारीयों पर मुकदमा चलाये जाने की मंजूरी नहीं दी जा रहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धि तथ्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) स्टेट बैंक आफ इंडिया ने यह सूचना दी है कि उसके कहने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1969 से 1971 तक की अवधि में बैंक की दिल्ली छावनी शाखा में काम करने वाले कुछ अधिकारियों के कथित कदाचार के बारे में जांच की थी ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बैंक को दी गयी अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि पहली बार देखने से ऐसा लगता है कि बैंक के तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला बनता है और बैंक उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (प्रिवेंशन आफ करपशन एक्ट) की धारा 6 के अन्तर्गत आवश्यक मंजूरी दे सकता है । बैंक ने केन्द्रीय जांच ब्यूरों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आवश्यक मंजूरी दे दी है ।

(घ) यह सवाल ही नहीं होता ।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन

4104. **श्रीमती प्रेमलाबाई दाजीसाहेब चव्हाण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक राज्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन के लिए कितने व्यक्तियों को घोषित किया गया ; और

(ख) उन्हें अधिक से अधिक कितनी सजा दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधिन शक्तियां, इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्योजित कर दी गई है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

जिन मामलों में राज्य पुलिस द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में कार्यवाही की गई है उनमें सिध्ददोष व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सिद्धदोष व्यक्तियों की संख्या		जिन मामलों में 5 साल तक की सजा दी गई, उनकी संख्या	
1	2	3	4	5
	1973	1974 (4/74 तक)	1973	1974 (4/74 तक)
आन्ध्र प्रदेश . .	136	43		..
आसाम . . .	..			..
बिहार . . .	3	..	..	..
गुजरात . . .	286	50	..	..
हरियाणा . . .	61	..	..	..
जम्मू तथा कश्मीर . .	..	..	..	..
केरल	76	..	5	..
मध्य प्रदेश . .	1995	171	..	..
तमिलनाडु . . .	1429	120	..	..
महाराष्ट्र . .	3644	1006	40	12
कर्नाटक . .	4453	..	..	..
उड़ीसा . . .	..	6	..	8
पंजाब . . .	..	..	..	..
राजस्थान . . .	34	..	..	..
उत्तर प्रदेश . . .	..	..	..	..
पश्चिम बंगाल . . .	2081	284	48	10
दिल्ली . . .	..	..	..	..
चंडीगढ़ . . .	..	..	..	..
पांडीचेरी . . .	1	..	..	..
हिमाचल प्रदेश . .	..	..	..	..
त्रिपुरा . . .	..			..
अण्डमान और निकोबार .	..			..
मणिपूर . . .	..	..		..
गोआ . .	..	3		
नागालैंड . .				
लकाद्वीप . .	..	..	..	..
	14.199	1683	93	30

6—32 LSS ND)/74

इण्डियन एयरलाइंस की बम्बई-कराड और बम्बई-कोल्हापुर सेवाएं

4105. **श्रीमती प्रेमलाबाई दाजीसाहेब चव्हाण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस की बम्बई-कराड और बम्बई-कोल्हापुर सेवाओं को नियमित आधार पर आरम्भ करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) ये सेवाएं कितने-कितने समय बाद चलाई जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पालम हवाई अड्डे पर अन्तर्देशीय यात्रियों के लिये परिवहन सेवा

4106. **श्री आर० पी० उलगम्बी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर एक गैर-सरकारी फर्म अन्तर्देशीय यात्रियों के लिये परिवहन सेवा संचालित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा वह फर्म किन शर्तों के अन्तर्गत उक्त सेवा संचलित कर रही है;

(ग) क्या उक्त फर्म के वर्तमान निदेशक को रक्षा मंत्रालय द्वारा काली सूची में दिखाया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उक्त फर्म अथवा उसके निदेशक के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिये कोई जांच करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी, हाँ। 'दि एक्स सर्विसमेन्स एयर लिंक ट्रांसपोर्ट सर्विस (प्राइवेट) लिमिटेड' भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ की गई एक संविदा के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर 1-3-1974 से पालम हवाई अड्डे और शहर के बीच अंतर्देशीय यात्रियों के लिये एक परिवहन सेवा का परिचालन कर रहे हैं :—

(i) ठेकेदार 3,000 रूपये का नियत लाइसेंस शुल्क अदा करेगा और 30,000 प्रति-मास से अधिक समग्र टर्न ओवर पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त देगा।

(ii) ठेकेदार टर्मिनल भवन में उसे आवंटित स्थान के लिए 4.70 रूपये प्रति वर्ग फुट प्रति मास का लाइसेंस शुल्क देगा।

(iii) ठेकेदार अपने वाहनों के पार्किंग के लिये 15 रूपये प्रति वर्ग गज़ वार्षिक लाइसेंस शुल्क देगा ।

(iv) ठेका सेवाओं के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक के लिये है किन्तु उस शर्त के साथ कि देय लाइसेंस शल्क का प्रतिवर्ष पुनः निर्धारण होगा।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

वादी बंदर बम्बई में पड़े अखबारी कागज के भण्डार

4107. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वादी बन्दर बम्बई में अखबारी कागज के बड़े भण्डार पड़े हैं, जिनकी ढुलाई नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम से अखबारी कागज की डिलीवरी लेने के पश्चात कुछ समाचारपत्रों ने उसको वादी बन्दर रेलवे गोदाम में पहुंचा दिया था ताकि परिवहन की व्यवस्था की जा सके। श्रमिक विवाद के कारण यहां पर स्टाक जमा हो गया था लेकिन यह अब समाप्त हो गया है और स्टाक क्लियर हो रहा है ।

Distribution of cloth to Adivasi areas

4108. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether there are no rules for distribution of essential commodity, like cloth, in far flung adivasi areas of India;

(b) whether the cloth meant for those areas is sold at higher prices by the intermediaries; and

(c) whether concrete steps will be taken to ensure the requisite supplies of cloth in that area ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) The retail distribution of controlled cloth within a State is concerned of the Government of that State and they are expected to take into account the needs of the several areas and sections of population in the State. Normally, controlled cloth is distributed by the State Government through the following five channels :—

(i) Mills' own retail shops,

(ii) Super Bazars in the co-operative sector,

(iii) National Co-operative Consumers' Federation and the chain of co-operative institutions affiliated to them,

(iv) Fair price shops run under the aegis of the State Governments, and

(v) Any other agency in the co-operative sector specified by the State Government concerned.

The following further guidelines, with regard to the distribution of this cloth have been issued recently by the Textile Commissioner to all the State Governments :—

(i) Steps may be taken to reach the cloth to semi-urban/Semi rural centres with a population of 15,000 to 20,000.

(ii) the ration cards/house-hold cards, etc., may be made the basis for sale of controlled cloth.

(iii) Cloth may be sold to people with a monthly income of less than Rs. 400-/.

It will be seen that the distribution of controlled cloth is mainly organised through co-operatives and fair price ships and intermediaries are sought to be eliminated.

सरकारी उपक्रमों को घाटा

4109. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारी इंजीनियरिंग निगम और भारतीय खाद्य निगम को कितना घाटा हुआ ;

(ख) प्रत्येक सरकारी एकक को हुए घाटे के कारण क्या है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक सरकारी संयंत्र को चालू वित्तीय वर्ष में कितना घाटा होने का अनुमान है ; और

(घ) भविष्य में इन घाटों को रोकने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) (क) इन उद्योगों में 1973–74 के सम्परीक्षित लेखे अभी प्राप्य नहीं हैं। इन्हें 1972–73 में जो लाभ (+)/हानि (—) हुई, उसका विवरण इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड	(—) 27.80
भारत इस्पात प्राधिकरण	..
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	(—) 2.57
भारत इंजीनियरिंग निगम	(—) 16.57
भारतीय खाद्य निगम	(+) 0.94

(ख) सरकारी क्षेत्र के इन एककों को हुई हानि के कारण नीचे दिये गये हैं :—

(1) हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड :

(i) कोक भट्टी श्रृन्खलाए (बैटरीज) अच्छी हालत में न होने कारण कोक और कोक भट्टी गैस की कमी होना ।

(ii) तापसह-सामग्री की किस्म संतोषजनक न होना ।

(iii) दुर्गापुर और मिश्र ईस्पात संयंत्र में औद्योगिक सम्बन्ध सन्तोषजनक न होना ।

(2) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड :

(i) रज्जुमार्गों के बन्द हो जाने तथा रेत न मिलने के कारण उत्पादन में हानी ।

(ii) मालडिब्बो की सप्लाई सन्तोषप्रद न होने से उत्पादन में हानि ।

(iii) मजदूरी बोर्ड के अधिनिर्णय का पूरी तरह अनुपालन करते हुए मजदूरी की पूरी अदायगी जोकि निजी उद्यम-कर्ताओं से अधिगृहित खानों में पहले पूरी तरह लागू नहीं थी ।

(iv) 8.33 प्रतिशत की दर से न्यूनतम बोनस की अदायगी और उपदान-अधिनियम को लागू करना ।

(v) पहले जो कर्मचारी आकस्मिक आधार पर रखे गये थे उनका नियमन ।

(3) भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड :

(i) कर्मकारों की उत्पादकता का धीमा विकास ।

(ii) ब्याज पर ऋण लेकर पूरी की गई पिछली हानियों के कारण ब्याज का भार अधिक होना ।

(4) भारतीय खाद्य निगम :

निगम को कम लाभ होने के कारण इस प्रकार है :

(i) परिवहन और भण्डार में होने वाली हानि में वृद्धि का रुख । यह हानी 1969-70 में परिवहन की गयी तथा भण्डार में रखी गयी मात्रा का 1.03 प्रतिशत थी जो 1972-73 में बढ़कर 1.08 प्रतिशत हो गयी ।

(ii) भण्डार करने की क्षमता के औसत उपयोग में कमी—1969-70 में जहां यह 67 प्रतिशत था वहां 1972-73 में 46 प्रतिशत रह गया ।

(iii) कर्मचारियों की लागत मे वृद्धि—यह 1969-70 में प्रति क्विन्टल 0.67 रुपये थी जो 1972-73 में लगभग 1.08 रुपये तक पहुंच गयी ।

(ग) जो अनन्तिम आंकड़े उपलब्ध है उनके अनुसार इन उद्यमों के लाभ(+)/हानि (—) का विवरण इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड . .	(—) 4.7
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	शून्य
भारी इंजीनियरिंग निगम लि० . . .	(—) 8.9
भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड . . .	(—) 8.1
भारतीय खाद्य निगम	(+) 1.1

(घ) हानि को रोकने तथा कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए जो सुधारात्मक उपाय किये गये है, वे इस प्रकार हैं :—

(1) हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड :

(i) अतिरिक्त कोक भट्ठी श्रृन्खलाएं (बेटरीज) स्थापित की जा रही हैं और वर्तमान श्रृन्खलाएं (बैटरीज) एक चरणबद्ध कार्यक्रमानुसार पुर्ननिर्मित की जा रही है तथा अनुपूरक/वैकल्पिक ईन्धन का भी प्रयोग किया जा रहा है ।

(ii) तापसह सामग्री (रिफ्रेक्टरीज) का चयनात्मक आधार पर आयात किया जा रहा है ।

(iii) दुर्गापुर संयंत्र और मिश्र इस्पात संयंत्र में कामगारों आदि का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से एक त्रिस्तरीय संयुक्त परामर्शतन्त्र स्थापित किया गया है ।

(2) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड :

(i) 1-5-1972 से मूल्य में 3.20 रुपये प्रतिशत तथा 15-11-1973 से लगभग 16 रुपये प्रति टन की वृद्धि ।

(ii) प्रत्येक पारी में प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अपनाए गये उपाय ।

(iii) मालडिब्बों की उपलब्धता में सुधार के लिए रेलवे बोर्ड के साथ की गयी व्यवस्था ।

(3) भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड :

वर्तमान प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अधिक संख्या में कर्मचारियों और कर्मशालाओं को लाने के उद्देश्य से उसे व्यापक रुप दिया जा रहा है। सभी कर्मशालाओं में काम की दूसरी पारी (शिफ्ट) और कुछ चुनी हुई कर्मशालाओं में तीसरी पारी शुरु की जा रही है। चयनात्मक आधार पर कुछ काम अन्यत्र भी सौंपा जा रहा है।

(4) भारतीय खाद्य निगम :

सरकार ने निगम के प्राप्ति और वितरण सम्बन्धी प्रासंगिक खर्चों के औचित्य की जांच करने तथा इस प्रकार के खर्च, आदि को कम करने के सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए जनवरी, 1973 में एक सचिव समिति गठित की थी। समिति ने मार्च, 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों पर जांच तथा अमल किया जा रहा है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्विलोकन समिति

4110. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों के बाद केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए प्रस्ताव तैयार किये है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) शुल्क के अपवंचन को रोकने की दृष्टि से सरकार द्वारा, अन्य बातों के साथ साथ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संबंधी नीतियों, कार्यविधियों तथा कार्यान्वयन तन्त्र आदि पर सतत निगरानी रखी जाती है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (स्व-निर्धारण पर निकासी की कार्यविधि) समीक्षा समिति ने 30 जून, 1974 को सम्पूर्ण रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है। परन्तु, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (स्व-निर्धारण पर निकासी की कार्यविधि) समीक्षा समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, जिसका अध्ययन किया जा रहा है, निवारण तथा अन्य उपायों में तेजी लाने की दृष्टि से यथा आवश्यक उपाय किये जायेंगे।

Working capital of Brooke Bond and Lipton Companies

4111. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether sale of tea in India is mainly done by Brooke Bond and Lipton companies

(b) if so, their working capital as also their present authorised capital, separately;

(c) whether both the companies send a huge amount abroad as their profits every year;

(d) if so, the particulars of the amount of profit sent abroad by both the companies during the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74, separately ; and

(e) whether Government propose to nationalise these companies and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Share of Brooke Bond and Liptons in the internal tea market in India works out to 25·9% and 12·4% respectively in 1973.

(b) According to the information given by the Companies, the working capital and authorised capital is as follows :—

Company	Working capital	Authorised capital
M/s. Brooke Bond India . .	Rs. 19 crores (1973-74)	Rs. 8.40 crores
M/s. Lipton India Ltd. . .	Rs. 2.78 crores	£1.125 million.

(c) & (d) The Brooke Bond & Lipton Companies have not made any remittances of profits abroad during the years 1971-72 and 1972-73, but during these two years Brooke Bond has remitted a dividend of Rs. 151.05 lakhs and Rs. 74.64 lakhs respectively. The figures relating to 1973-74 are not yet available.

(e) No, Sir. Certain guidelines have been issued by Government for implementing the provisions of Section 29 of the Foreign Exchange Regulations Act, 1973 in so far as they relate to foreign companies.

Recognition to All India Defence Accounts Employees Association, Calcutta

4112. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have accorded recognition to the All India Defence Accounts Employees Association which has its headquarters at Calcutta ;

(b) if so, whether C. D. A. and other officers are not prepared to hold talks with the Patna Branch of the above Association ; and

(c) if so, the action Government propose to take in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) Since 1971 there have been two factions amongst members of Patna Branch of the All India Defence Accounts Employees Association and the factions got involved in a court case. The C. D. A., Patna then ceased to deal with either faction. An Executive Committee of the Patna Branch of the Calcutta Association is reported to have been elected on 2-8-1974. The question as to whether the C. D. A. can now begin dealing with the Executive Committee is under examination.

Construction of Five Star Hotel in Patna

4113. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to construct a Five Star hotel in Patna ;

(b) if so, whether this hotel is proposed to be constructed in public sector or in private sector ; and

(c) the other salient features of the decision ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) to (c) The India Tourism Development Corporation, a public sector undertaking, is constructing only a Tourist Reception Centre-*cum*-Hotel at Patna, with 50 rooms. The project has been planned for the 3-star category and is estimated to cost Rs. 50 lakhs. The civil works of the foundation are in progress.

Project plans of three hotels to be set up by private parties have also been approved by the Department of Tourism from the point of view of their suitability for tourists. Their category will be determined only after their inspection as functioning establishments.

एयर इंडिया के विमान चालकों द्वारा हड़ताल

4114. **श्री वरके जार्ज** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश एयरलाइन्स पायलटस् एसोसिएशन के समर्थन और "हड़ताल से वापस काम पर आने वाले" एक विमान चालक द्वारा पुन: हड़ताल में शामिल होने से एयर इण्डिया के विमान चालकों की हड़ताल को बल मिला है ;

(ख) या ब्रिटिश एयर लाइन्स पायलटस् एसोसिएशन ने लण्दन में रुके पड़े एयर इण्डिया के 24 विमान चालकों को, उनके भारत वापस आने तक या हड़ताल के समाप्त होने तक उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए 1000 पौण्ड की राशि दी है;

(ग) क्या एयर एण्डिया के प्रबन्धकों ने हड़तालो विमान चालकों को किसी प्रकार की अग्रिम राशि देने या वेतन देने से मना कर दिया है;

(घ) क्या गत दो सप्ताह की हड़ताल के दौरान एयर लाइन्स को लगभग 2.80 करोड़ रुपये का जिसमें अधिकांश राशि विदेशी मुद्रा की होती है घाटा होने का अनुमान है; और

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव चालू हड़ताल को समाप्त करने के लिए कोई ऐसा सूत्र खोजने पर विचार करने का है जो सम्बन्धित पक्षों को स्वीकार्य हो ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) एयर इण्डिया को इस बात की जानकारी नहीं है कि ब्रिटिश एयरलाइन्स विमान चालक संघ के समर्थन ने एयर इण्डिया के विमान-चालकों की हड़ताल को प्रोत्साहन दिया है जिसके परिणामस्वरुप कोई इच्छुक विमानचालक हड़ताल में सम्मिलित हुआ हो, और न ही, उन्हें इस बात की कोई जानकारी है कि ब्रिटिश एयरलाइन्स विमान चालक संघ ने एयर इण्डिया के विमानचालकों को कोई धन राशि दी है।

(ग) हड़तालो विमानचालकों को कोई अग्रिम धन राशि देने अथवा वेतन की अदायगी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, उन विमानचालकों के मामले में जो कि लन्दन, हांगकांग तथा पर्थ में तैनात थे, एयर इण्डिया के प्रबन्धक वर्ग ने एक महीने का वेतन अग्रिम रूप में देने की पेशकश की है, जिसे उपयुक्त किस्तों में वापस लिया जाएगा ताकि वे वापस लौटने से पहले विदेशों में अपने जरूरी मामलों (कमिटमेन्टस) को निपटा सकें। परन्तु किसी भी विमानचालक ने इस पेशकश का लाभ नहीं उठाया।

(च) यह अनुमान लगाया जाता है कि विमानचालकों की हड़ताल के कारण 26-8-1974 तक लगभग पांच करोड़ रुपये की वित्तीय हानि हुई होगी। विदेशी मुद्रा में एयर इण्डिया की आय कुल आय का 65% होती है।

(छ) यदि विमानचालक गैर-कानूनी हड़ताल को समाप्त कर देते हैं तथा स्लिप पद्धति का परिचालन प्रारम्भ कर देते हैं तो एयर इण्डिया का प्रबन्धकवर्ग उक्त प्रणाली के परिचालन से उत्पन्न होने वाली वास्तविक कठिनाइयों पर ध्यान से विचार करेगा।

काश्मीर घाटी जाने वाले पर्यटक

4115. **श्री वरके जार्ज** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई 1974 के अन्त तक लगभग एक लाख पर्यटकों ने जिनमें 9,100 विदेशी पर्यटक थे, काश्मीर घाटी की यात्रा की थी;

(ख) क्या जुलाई में ही 21,000 छुट्टी बिताने वाले पर्यटक काश्मीर घाटी आये जबकि गत वर्ष इसी मास में 15,100 व्यक्ति यहां आये थे;

(ग) क्या सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों की एक समिति काश्मीर में पर्यटन विकास विशेषत: ट्रेकिंग और पर्वतारोहण के विकास के उपाय सुझान हेतु बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अन्य पर्यटन स्थलों के साथ केरल के कुछ पर्यटन स्थल की विकास हेतु अपनी सूची में सम्मिलित किये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी कोई समिति स्थापित नहीं की गयी है । तथापि पर्वतारोहण तथा ट्रेकिंग को बढावा देने क लिए जम्मू और काश्मीर में कुछ वर्जित क्षेत्रों को हाल ही में विदेशी पर्यटकों के लिए खुला घोषित कर दिया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास मे प्रवर्तन (एनफोर्समेन्ट) अधिकारीयों द्वारा छापे

4116. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रवर्तन अधिकारियों ने मद्रास में वकीलों और डाक्टरों के एक परिवार पर छापे मार कर लगभग 50 लाख रुपये के कर अपवंचन का पता लगाया है;

(ख) क्या ये छापे अपना व्यवसाय चलाने वाले लोगों को कर के घेर में लाने के लिये आयकर अधिकारियों द्वारा आरंभ किये गये जोरदार अभियान का अंग थे;

(ग) क्या समाचार पत्रों और रेडियो पर मारे गये कर संबंधी छापों के बडे पैमाने पर प्रचार का मद्रास में अच्छा परिणाम निकला है;

(घ) क्या निर्धारिती कराधान के प्रयोजन के लिये स्वेच्छा से अपनी आय बताने लगे है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणाम स्वरूप सरकार को अनुमानत: कर की कितनी राशि प्राप्त होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मद्रास शहर में पिछले दिनों एक परिवार की तलाशी ली गई है । इस परिवार में एक वकील, एक डाक्टर तथा एक ठेकेदार है । इस तलाशी के कारण इस मामले में 6-8 वर्ष की अवधि में छिपाये गये आयकर की कुल रकम का अनन्तिम तौर से 6 लाख रुपये का अनुमान लगाया गया है और 8 वर्ष की अवधि में छिपाये गये धन-कर की कुल रकम का अनुमान 40 लाख रुपये का है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इसका कुछ प्रभाव पडा है ।

(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (4ए) के अधीन देश भर के कर निर्धारिती, उक्त अधिनियम के अधीन उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के लिए, आय की घोषणाएँ कर रहे हैं ।

(ङ) इस संबंध में कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

अकबर होटल, दिल्ली के 'स्वीमिंग पूल' की सदस्यता

4117. **श्रीमती प्रेमलाबाई दाजीसाहेब चव्हाण :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकबर होटल, दिल्ली के नियमित अतिथियों के अलावा अन्य लोगों को भी 'स्वीमिंग पूल' का सदस्य बनाया जाता है;

(ख) क्या उसमें कुछ सदस्यों से शुल्क लिया जाता है और कुछ से शुल्क नहीं लिया जाता; यदि हां, तो 1974 में दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या कितनी कितनी थी;

(ग) वर्ष 1974 में शुल्क दाता सदस्यों से कितनी आय हुई; और

(घ) निशुल्क सदस्यता देने के लिए क्या आधार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां

(ख) जी, हां ।

शुल्क देने वाली सदस्यों की संख्या	102
मानार्थ सदस्यों की संख्या	22

(ग) 1 मार्च से 22 अगस्त 1974 तक शुल्क अदा करने वाले सदस्यों से 16,000 रुपये के राजस्व की आय हुई थी ।

(घ) मानार्थ 'पास' अन्य बातों के साथ साथ अभिवृद्धि तथा जनसम्पर्क पक्षों को ध्यान में रखते हुए जारी किये जाते हैं ।

विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण

4118. **श्री शशि भूषण :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्य कर रही उन विदेशी कम्पनियों, उनकी शाखाओं और सहायक कम्पनियों के नाम क्या है, जिन्होने विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत बने मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उनमें भारत द्वारा हिस्सा लिए जाने क लिए आज तक आवेदन नहीं किया है;

(ख) इन फर्मों के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या ऐसी कम्पनियों में से किसी ने भारतीय अंशदान के लिये आवेदन नहीं किया है, कोई लाइसेंस मांगा है, और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी कम्पनियों की शाखाओं, 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी शेयरों वाली भारतीय कम्पनियों, विदेशी फर्मों और व्यक्तियों से विदेशी मुदा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2) (क) के अन्तर्गत आवदन लेने की अन्तिम तारीख को, जो 30 जून, 1974 थी, बढाकर 31 अगस्त 1974 कर दिया है । बैंक को अभी तक आवेदन पत्र मिल रहे है। और उन शाखाओं, कम्पनियों आदि के नाम देना कठिन है जिन्होनें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम क अन्तर्गत अभी तक बैंक में आवेदन पत्र नहीं दिया है ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों का पालन किया जाना

4119. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों की शाखाओं और सहायक कम्पनियों के नाम क्या है जिन्होनें सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धात के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत 30 जून, 1974 तक 'काम चालू रखो' (सी० ओ० बी०) लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या है जिन्होंने अधिनियम के उपबन्धों का अभी तक पालन नहीं किया है; और

(ग) सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जिन कम्पनियों और फर्मों व उनकी शाखाओं ने भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अपना मौजूदा कारोबार जारी रखने के लिए 31 जुलाई 1974 तक आवेदन दिये उनकी सूची संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8360/74]**

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने, आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख जो 30 जून 1974 थी, बढा कर 31 अगस्त 1974 कर दी है। बैंक को अब भी आवेदन प्राप्त हो रहे है, इसलिए फिलहाल विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 (2) (क)के उपबन्धों के पालन न किये जाने का सवाल ही नहीं होता ।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का पालन न करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस अधिनियम के अन्तर्गत काफी अधिकार है ।

रेशमी धागे की खरीद के सौदे में घाटा

4120. **श्री शशि भूषण :**
श्री सतपाल कपूर :
श्री नवल किशोर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशमी धागे की खरीद के सौदे में 68,000 डालर का घाटा हुआ था;

(ख) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशमी धागे की सीधी खरीद कर रही है जब कि राज्य व्यापार निगम हांगकांग ने सस्ते दामों पर यह दिलवाने का प्रस्ताव किया था;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है; और

(घ) इस घाटे के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है और इसके बारे में भावी नीति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ध) केन्द्रीय रेशम बोर्ड से मालूम किये गये तथ्यों से पता चलता है कि मैसर्स नम्हन स्यूनेसान कम्पनी लि०, सिओल द्वारा वही कीमतें आफर की गई थी जिनकी शकश राज्य व्यापार निगम द्वारा की गई थी। मतभेद व्यापार बट्टे को लेकर उत्पन्न हुआ। पार्टी ने मूलत: 14.5 प्रतिशत बट्टे की पेशकश की थी और राज्य व्यापार निगम ने 15.5 प्रतिशत बट्टे की पेशकश की थी जिसमें से राज्य व्यापार निगम को देय कमीशन काटा जाना था। बाद में मसर्स नम्हन स्यूनेसान कम्पनी लि०, सिओल ने आफर संशोधित करके 15.5 प्रतिशत बट्टा मंजूर कर लिया । इस तरह बोर्ड को राज्य व्यापार निगम को कोई प्रभार नहीं देना पडा और उसे कोई हानि नहीं उठानी पडी।

नये सिक्के बनाना

4121. **श्री सतपाल कपूर**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन दिनों बम्बई की टक्साल में 50 रुपये और 10 रुपये तथा 10 पैस के नये सिक्के बनाये जा रहे है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और क्या ये सिक्के जनता को सुगमता से उपलब्ध होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) 1974 में मनाये जाने वाले विश्व जनसंख्या वर्ष के उपलक्ष्य में परिवार नियोजन के डिजाइन वाले 50 रुपये, 10 रुपये व 10 पैसे के नये सिक्के बनाये जा रहे है।

(ख) 50 रुपये का सिक्का चार धातुओं को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें 50 प्रतिशत चांदी है । 10 रुपये का सिक्का तांबे-निकल का व 10 पैसे का सिक्का एल्यू-मिनियम-मेंगनिशियम का है । इन सभी तीनों सिक्कों के सीधी तरफ बीच में परिवार नियोजन का उल्टा त्रिकोण बना है जिसमें एक पुरुष, एक स्त्री और दो बच्चे खडे दिखाये गये होंग । त्रिकोन के दायें बायें बाहर की ओर अनाज की दो बाल बनी होंगी। परिधि पर अन्दर चारों ओर अंग्रेजी में "प्लेन्ड फैमिलिज : फूड फार आल" और हिन्दी में "नियोजित परिवार : सबके लिए अनाज" लिखा होगा।

50 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 3 अगस्त 1974 से 30 सितम्बर 1974 तक की अवधि के अन्दर अन्दर बम्बई स्थित भारत सरकार की टकसाल के पास सिक्कों की कीमत पहले भेज कर आर्डर बुक करवाने के बाद ही मिल सकेंगे । यह तारीख और आगे नहीं बढायी जायगी। दस पैसे के सिक्के कुछ समय बाद भारतीय रिजर्व बेंक के इश्यू काउंटरों से आम मिल सकेंगे ।

बैंक आफ बड़ौदा द्वारा अपने पार्लियामेंट स्ट्रीट भवन के आहते में कारों के खडा करने के लिए स्थान न बनाने के लिए नयी दिल्ली नगरपालिका को दी गई राशि

4122. **श्री सतपाल कपूर**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली नगरपालिका ने बैंक आफ बडोदा से 1,45,000 रुपये की राशि ली है क्योंकि उक्त बेंक ने अपने पार्लियामेंट स्ट्रीट भवन के आहते में पांच कारों को खडा करने के लिए स्थान देने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सार्वजनिक धन का इस प्रकार दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये; और

(ग) क्या यह राशि नई दिल्ली नगर पालिका से बैंक को वापस दिलाई जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने बताया है कि उसने बैंक आफ बडोदा से उसके पार्लियामेंट स्ट्रीट भवन के अहाते में कारों को खडा करने के लिए उचित व्यवस्था न कर सकने के कारण कोई धनराशि नहीं ली है। कमेटी ने आगे बताया है कि उसे फव्वारे बनाने और नगर को सुन्दर बनाने की अन्य योजनाओं के लिये विभिन्न व्यापार संगठनों ने भारी दान दिया है और बैंक आफ बडोदा ने भी ऐसी योजनाओं के लिये 1.45 लाख रुपये की रकम दी है।

(ख) और (ग) ये सवाल नहीं होते।

आयकर अधिकारियों द्वारा कोयले खान के एक मालिक के घर में डाले गए छापे के दौरान पाई गई नकदी और जेवरात

4123. श्री विक्रम महाजन :

श्री नवल किशोर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर विभाग ने दिल्ली और धनबाद में कोयला खान के एक भूतपूर्व मालिक के घर छापा मार कर 30 लाख रुपये मूल्य की नकदी, जेवरात और आवधिक जमा रसीदें बरामद की है जो पूजा के कमरे में मूर्तियों के ठीक सामने भूमिगत कोठरियों में छिपा कर रखी हुई थीं; और

(ख) इस सम्बन्ध में कौन-कौन और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कोयले की खान के एक भूतपूर्व मालिक के मामले में धनबाद में ली गयी तलाशियों में निम्नलिखित परिसम्पत्तियां पकड़ी गयी :—

नकदी	1,64,000 रु०
जवाहरात	4 लाख रु० (लगभग)
नियत कालिक जमा रसीदें	12 लाख रु०

ऊपर उल्लिखित पकडी गयी परिसम्पत्तियों में से 81,000 रु० नकद एक लकड़ी के तख्त के नीचे छिपायी गई तिजोरी में से बरामद हुए और उस तख्त पर विभिन्न देवियों की मूर्तिया रखी हुई थी।

दिल्ली में ली गयी तलाशियों में एक स्थान पर पूजा के कमरे में कालीन के नीचे भूमिगत तहखाने में निम्नलिखित परिसम्पत्तियां बरामद हुई :

जवाहरात	2,14,000 रु०
चांदी के बर्तन	48,000 रु०
आयात किये हुए बिलकुल नए चीनी के बर्तन . .	20,000 रु०

उपर्युक्त के अतिरिक्त 6,80,000 रु० की नियत कालिक जमा रसीदें एक स्टील की अलमारी में से बरामद की गयीं।

एक अन्य स्थान पर गुप्त तहखाने में जवाहरात और चांदी के बर्तन (जिन का अभी मूल्यांकन किया जाना है) तथा 2,60,000 रु० की नियत कालिक जमा रसीदे भी बरामद की गयी थीं। दिल्ली में बरामद की गयी परिसम्पत्तियां में से निम्नलिखित परिसम्पत्तियां कब्जे में ली गयीं :

(i) नियत कालिक जमा रसीदें . . .	2,60,000 रु०
(ii) जवाहरात	80,800 रु०

जिन बकाया मदों के बारे में तत्काल स्पष्टिकरण नहीं दिया गया, उनको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(3) के अन्तर्गत निषधात्मक आदेश के अधीन रोक रखा गया है।

(ख) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किसी को गिरफ्तार करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

ये तलाशियां अगस्त 1974 में ली गयी थीं। जांच पड़ताल जारी हैं।

तलाशी के बाद पहला काम है, अघोषित आय का सरसरी तौर पर अनुमान लगाना तथा उन पकड़ी गई परिसम्पत्तियों में से उतनी को रोक रखने के आदेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत जारी करना, जितनी अनुमानित अघोषित आय के कर-दायित्व को तथा किसी वर्तमान कर दायित्व को पूरा करने के लिए काफी समझी जाएं। तलाशी के 90 दिन के भीतर यह आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। तब, नियमित रूप से कर निर्धारण करने की कार्यवाही शुरू की जाती है और जहां आवश्यक हो वहां मामले को फिर से चालू करके यह कार्यवाही की जाती है। इन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के बाद, यह सिद्ध होने पर कि आय-कर विवरणी में गलत पुष्टि की गयी है, इस्तगासे की कार्यवाही की जाती है। इस मामले में, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत आदेश जारी करने की कार्यवाही समुचितरूप से शुरू कर दी गयी है।

सीमाशुल्क विनियमों के उल्लंघन के मामले

4124. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में और अप्रैल से जून, 1974 तक सीमाशुल्क विनियमों के उल्लंघन के कितने मामले पकड़े गये हैं; और

(ख) कितने मूल्य का माल पकड़ा गया और सीमाशुल्क विनियमों के सल्लंघन के अपराध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी।

चीनी का निर्यात

4125. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी के निर्यात पर कोई राजसहायता देती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Closure of Tea Plantations in North-Eastern Region of India

4126. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to closure of tea plantations in North-eastern region in India ;

(b) the facts in this regard, the loss suffered in tea trade and the action being taken in the matter ; and

(c) the number of tea plantations in India which are still under foreign management ?

The Deputy Minister in The Ministry of Commerce (Shri A. C. Jeorge) : (a) Yes, Sir.

(b) No data is available on the loss suffered in Tea production because of closures. The Task Force on Tea, for evolving long-term strategy for the development of Tea Industry, had made certain recommendations for rehabilitation of closed and sick tea gardens which are under examination of Government.

(c) There were 322 foreign owned tea estates as on 31-3-1972.

ग्रामोफोन कंपनी, कलकत्ता द्वारा कर अपवंचन

4127. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश फर्म ग्रामोफोन कंपनी, कलकत्ता पर नियमित रुप से आयकर निगम कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और बिक्री कर का अपवंचन करने के आरोप हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) ग्रामोफोन कंपनी, कलकत्ता द्वारा आयकर अपवंचन का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है। परंतु, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संबंधी 3 मामले है जिनमें से दो ऐसे मामलों का पता चला है जिनमें एक छूट-अधिसूचना से लाभ उठाने का दावा करते हुए, बिना शुल्क अदा किये सुपर स्टेरियों साउण्ड सिस्टम रिप्रोड्यूसर के 1,100 नगों की निकासी ग्रस्त है और इनमें कारण बताओं नोटिस जारी किये जा चुके हैं। परन्तु, शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ, सहायक समाहर्ता द्वारा किये गये माल के वर्गीकरण के विरुद्ध, उस पार्टी ने अपीलीय समाहर्ता केंद्रीय उत्पादन शुल्क क समक्ष अपील दायर कर दी है। अपीलीय समाहर्ता ने अपील का निर्णय होने तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। तीसरा मामला, रेडियोग्राम बनाने के लिये, बिना शुल्क अदा किये कुछ संघटक पुर्जे प्रयोग में लाने के बारे में है, जिसमें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है और मामला न्यायनिर्णय के अधीन है।

बिक्री-कर के अपवंचन के संबंध में, यदि कोई है तो, सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यों को सहायता दिया जाना

4128. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 और 1973 में प्रत्येक वित्त पोषक संस्था, राज्यवार, कितनी वित्तीय सहाता मंजूर की और कितनी वास्तव में दी;

(ख) वर्ष 1969 और 1973 में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता राज्यवार मंजूर की गई और कितनी वास्तव में दी गई; और

(ग) वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई वित्तीय सहायता औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन कम करने में कहां तक सहायक सिद्ध हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम के संबंध में अपेक्षित जानकारी जिस हद तक और जिस रुप में उपलब्ध है, उस तक और उस रूप में विवरण एक से चार तक में दी गयी है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के संबंध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है जितनी जानकारी उपलब्ध होगी, सभा-पटल पर रख दी जायगी;

एक विवरण (विवरण पांच) भी संलग्न है जिसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक विकास बैंकिंग संस्था अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा 1969 और 1973 में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े इलाकों को जो सहायता दी गयी थी वह उन वर्षों मे उनके द्वारा दी गयी कुल सहायता का कितना-कितना प्रतिशत थी। [ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8361/74] संलग्न विवरणों से यह पता चलेगा कि इन तीन वित्तीय संस्थाओं द्वारा कम कम विकसित राज्यों की परियोजनाओं के लिए 1973 में दी गयी सहायता 1969 की तुलना में अधिक थी, अर्थात इसका प्रतिशत 16.3 से बढ़कर 20 4 हो गया।

ये सभी पांचों वित्तीय संस्थाएं इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने का प्रयत्न करती हैं कि संस्थागत वित्त के अभाव के कारण कोई उपयुक्त परियोजना पिछड़ न जाय। इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का वितरण इस बात पर निर्भर करता है कि इनके द्वारा जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सहायता दी गयी हैं वे कहां पर स्थित हैं, इनके स्थापना-स्थान की जानकारी, जहां आवश्यक होता है, औद्योगिक लाइसेंस में दी जाती है, जबकि अन्य मामलों में इसका फैसला उद्यमकर्त्ताओं द्वारा स्वयं किया जाता है। लेकिन इन संस्थाओं को सरकार की इस नीति की जानकारी है कि उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता का संवितरण विभिन्न राज्यों के बीच अधिक समानतापूर्वक होना चाहिए। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों और लम्बी अवधि के ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा पिछड़े प्रदेशों और क्षेत्रों के लेनदारों को विषशेरुप से कुछ रियायतों दी गयी हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं के साथपरामर्श करते हुए, इन इलाकों में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कार्य किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं जैसे औद्योगिक क्षमता का व्यापक सर्वेक्षण और तकनीकी सलाह सेवाओं की व्यवस्था करना; इन कार्यों का उद्देश्य यह है कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कुल सहायता में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों और क्षेत्रों के हिस्से में वृद्धि हो। इन संस्थाओं ने अपने ग्राहकों के लाभ के लिए, भारत भर में, जहां जहां आवश्यक है, अपने प्रादेशिक/शाखा कार्यालय भी खोले हैं

Overdraft by Madhya Pradesh

4129. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of overdraft recently drawn by Madhya Pradesh State from the Reserve Bank of India ; and

(b) whether the Central Government had granted permission therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) As on the 24th August, 1974 Madhya Pradesh State did not have an overdraft with Reserve Bank of India.

प्राइवेट खान मालिकों को दी गई रियायतों का बन्द किया जाना

4130. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राइवेट खान मालिकों को निर्यात ठेकों के लिये दी गई रियायतों को बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उप वाणिज्य मंत्रालय में पप मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) गैर-सरकारी खान मालिकों द्वारा खनिज अयस्कों के निर्यात के संबंध में नीति तथा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि, सरकार की नीति यह है कि मार्गीकृत निर्यातों के मामले में विदेशी खरीदारों के साथ वार्ताएं केवल मार्गीकरण अभिकरण द्वारा की जानी चाहिए और उसकी सौदा करने की क्षमता का अन्य विक्रेताओं द्वारा प्रतियोगी वार्ताएं करके कम नहीं किया जाना चाहिए।

पश्चिम जर्मनी को निर्यात

4131. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की व्यापारिक कम्पनियों ने भारत से आयात में रुचि दिखाई है;

(ख) क्या उन्होंने अभ्रक जैसी कुछ वस्तुएं प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) बड़ी संख्या में व्यापारी कम्पनियां भारत से आयात कर रही हैं। भारत से सप्लाइयां बढ़ाने की जो समस्याएं देखने में आई हैं उनमें विशिष्टियों, क्वालिटी और सुपुर्दगी के नियत समय आदि का पाबन्द न रहना शामिल है।

(ग) आयातकों और निर्यातकों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं का सतत मूल्यांकन होता रहत है और ऐसी सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है जो आयातकों की जरुरतों को पूर करने के लिए संभव हो।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा बांड़ जारी किया जाना

4132. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतानें की कृपा करेगें कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 6 प्रतिशत व्याज वाले 725 करोड रुपये के बांड जारी किये जाने की आशा है जिनका भुगतान वर्ष 1986 में किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये बाण्ड अपने संसाधन बढ़ाने के लिये जारी किये गये है अथवा कुछ विशिष्ट परियोजनाओं में धन लगाने के लिये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का कुल 17.25 करोड़ रुपये की रकम के बाण्ड जारी करने का विचार है। इस में से निगम नें 10 जून 1974 को पहले ही 7.25 करोड रुपये की (न कि 725.00 करोड़ रुपये जैसा कि प्रश्न में बताया गया है) पहली किस्त सम मूल्य पर जारी की थी और इस निर्गम इस सारी रकम प्राप्त हो गयी है। उपर्युक्त बांडों के ब्याज की दर 6 प्रतिशत वार्षिक थी और इनके पकने की अवधि 12 वर्ष है।

सितम्बर 1974 में निगम का विचार 10 वर्षीय "नकद-एवं रुपान्तरणीय" केश-कम-कन्वर्शन बाण्डों जारी करने का है। ये बाण्ड 99 प्रतिशत पर जारी किये जायेंगे और इनपर 6 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से ब्याज दिया जायेगा।

जून 1974 में पहले से जारी किये गये तथा सितम्बर 1974 में जारी किये जाने वाले बाण्डों का उद्देश्य निगम के वित्तीय साधनों में वृद्धि करना है ताकि आम तौर पर उद्योगों के लिए न कि किन्हीं खास परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था की जा सके।

Seizure of Smuggled Goods from Parcel Office of New Delhi Railway Station

4133. Shri Hukum Chand Kachvai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether television sets, transistors, artificial cloth and other goods in large quantity were seized by the Customs Authorities from New Delhi Railway Station Parcel Office in the last week of April, 1974 ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) On the 29th April, 1974, the Customs Preventive Staff of Delhi seized 19 parcels containing Television sets, Tape Recorders, Transistors, Synthetic Fabrics and Capacitors, all of foreign origin, valued about Rs. 2.73 lakhs from the New Delhi Railway Parcel Office. Two parcels containing capacitors have since been claimed by a party. The remaining goods however, still remain unclaimed. Further investigations in the matter are in progress.

Student from Foreign Countries for Studying Problem of Handicapped Persons

4134. **Shri Mahadeppak Singh Shakya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether some foreign students had come to India during 1972-73 under the Colombo Plan for receiving education on the problems of handicapped persons ; and

(b) if so, the facts in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b) During 1972-73 one trainee from Nepal was given training for a period of about 10 months in the Training Centre for the Teachers of the Blind, New Delhi under the Colombo Plan. During the period of training, he was given a stipend of Rs. 300/- per month, outfit allowance of Rs. 200/-, travelling allowance, incidental expenses etc.

कोरवा (मध्य प्रदेश) में सरकारी उपक्रमों में स्थानीय लोगों की नियुक्तियां

4135. **श्री भगतराम राजाराम मनहर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निदेश दिये है कि सरकारी उपक्रमों में 500 रुपये प्रति मास और इससे कम वेतन वाले पदों पर केवल स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिये; और

(ख) कोरवा (मध्य प्रदेश) में सरकारी उपक्रमों में, श्रेणीवार, कितने स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) सरकार की नीति केन्द्रीय सरकार के उद्यमों में नीचे स्तर के पदों पर स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने की है। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऐसे अनुदेश जारी किए है जिनमें सरकारी उद्यमों को यह कहा गया है कि 500 रुपये या उससे कम वेतन राशि के पदों पर केवल रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही भर्ती की जाय और अन्य साधन तभी अपनाये जायं जब कि रोजगार कार्यालय "अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र" जारी कर दे।

तथापि, राष्ट्रीय एकता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में यह जानकारी नहीं रखी जाती कि वे मूलत: किस क्षेत्र के वासी हैं।

भारत का प्रथम निर्बाध पतन

4136. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि भारत का प्रथम निर्बाध पत्तन निकोबार द्वीप-समूह के एक द्वीप में स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हां तो क्या उक्त प्रस्ताव की तकनीकी, आर्थिक सम्भाव्यता का अध्ययन किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) निकोबार द्वीप-समूह में एक मुक्त पत्तन स्थापित करने की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है। एक तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन का कार्य व्यापार विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है।

Holiday Homes

4137. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the locations of Holiday Homes and the total administrative and other expenditure incurred thereon during 1972 and 1973, separately ; and

(b) the persons benefited from these Holiday Homes and the purposes they serve as also various charges recovered monthly by the Central Government from the persons utilising these Holiday Homes ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) and (b) The Department of Tourism does not maintain any Holiday Homes.

The India Tourism Development Corporation has however, 14 Traveller's Lodges located at Konarak, Sanchi, Mandu, Kushinagar, Bharatpur, Trichy, Tanjore, Bijapur, Kancheepuram, Bodngaya, Bhubaneswar, Manali, Kulu and Madurai. The requisite information on profit and loss and tariff at each of the lodges is furnished at Annexure 'A'. [*Placed in the Library* See *No. LT*—8362/74]

मंत्रियों के विदेशों के दौरों तथा मंत्रालयों के कार्यालय प्रतिष्ठान पर व्यय

4138. श्री समर गुह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक मंत्रालय के कार्यालय प्रतिष्ठान के व्यय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों में 30 जून 1974 तक के इस संबंध में तुलनात्मक आंकडे क्या हैं;

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों में 30 जून, 1974 तक प्रत्येक मंत्री के विदेशों के दौरों पर व्यय के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) मंत्रियों और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिष्ठानपर किये जाने वाले ऐसे खर्चे में कमी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

'Conversion Deals' proposal by India to USSR

4139. Shri Jagannathrao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether India has put up a 'Conversion Deals' proposal before the Soviet Union with the object of promoting mutual trade and diversifying industrial co-operation ;

(b) the salient features of the proposal, action taken so far and the past experience in this regard ; and

(c) the reaction of the Soviet Union to this proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) A proposal for the supply of row cotton by U. S. S. R. to India and the supply of cotton textiles by India to U. S. S. R. has been made to U. S. S. R. Government. Their reaction to the proposal is awaited.

Of the several proposals for conversion deals made in the past, only one deal materialised, namely, supply of cotton by USSR to India and supply of cotton textiles by India to USSR. According to an agreement concluded by the Cotton Textiles Export Promotion Council 20,000 tons of raw cotton were supplied by USSR and India, in turn exported 122 million metres of cotton textiles and 5 million pieces of towels to USSR. This being the first dead of its kind there were some initial difficulties and supply of cotton textiles toUSSR were some what delayed. Efforts are now being made to get over such difficulties so that the proposed new conversion deal is placed on firmer footing and supplies from both sides flow smoothly.

कोका-कोला निर्यात निगम द्वारा आम क गूदे और आम के रस का निर्यात

4140. **श्री शशि भूषण** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका-कोला निर्यात निगम को आम के गूदे और आम के रस का, जो गुजरात राज्य म बनाने का विचार है, निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है ;

(ख) क्या इन निर्यातों के बदले में वे कोका-कोला तथा फेंटा कंसेंट्रेट बनाने के बारे में आयात का हक मिल जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) मेसर्स कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन ने कृषि मंत्रालय को एक आवेदन पत्र दिया है जो गुजरात राज्य में स्थित बुलसर में, केवल निर्यात हेतु आम की लुगदी बनाने के लिये फल उत्पाद आर्डर लाइसेंस की मंजूरी के लिए है। उन का आवेदन पत्र विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

निर्धन देशों के लिये यूरोपीय साझा बाजार की सहायता

4141. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी ने तेल के मूल्यों में वृद्धि से प्रभावित सब से अधिक गरीब देशों के लिये यूरोपीय साझा बाजार की सहायता को रोक दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, नहीं । यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने, जिसका पश्चिमी जर्मनी भी एक सदस्य है, हाल में तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि से गंभीर रूप से प्रभावित विकासशील देशों को समय पर सहायता उपलब्ध करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघीय संकटकालीन कार्यवाई में हिस्सा लेने की घोषणा की है और यह सहायता निम्नलिखित शर्तों के अनुसार देने का प्रस्ताव किया है :—

(1) यूरोपीय आर्थिक समुदाय का अंशदान विश्व के कुल अंशदान का छठा भाग होगा जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ डालर होगी ।

(2) विश्व के कुल अंशदान के आधे के बराबर का अंशदान तेल पैदा करने व उसका निर्यात करने वाले देशों के द्वारा दिया जायेगा और

(3) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रतिनिधि इस सहायता के भुगतान के तरीकों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में होने वाले विचार विमर्श में भाग लेंगे ।

(ग) यह प्रश्न नहीं होता ।

भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सर्विस के पेंशनरों द्वारा राशि का लौटाया जाना

4142. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री अरविंद एम० पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेक्रेटरी आफ स्टेट सर्विस आफिसर्स (कन्डीशन आफ सर्विस) एक्ट, 1972 के भूतलक्षी प्रभाव से लागू किये जाने के परिणामस्वरूप भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सर्विस से संबंधित नौ पेंशनरों द्वारा भारत सरकार को लगभग 3,08,200 रुपये को वापस करने की संभावना पैदा हो गयी है ;

(ख) क्या कानून को बनाते समय ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की गयी थी ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कौन-कौनसी कार्यवाही करना चाहती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) नौ पेंशनभोगियों को, जिनमें से एक की अब मृत्यु हो चुकी है, उक्त अधिनियम के अमल में आने के पूर्व स्टर्लिंग के रूप में मिलने वाली पेंशन को 1 शिलिंग 4 पेंस प्रति रुपये की संरक्षित दर से परिवर्तित करके भारत में अपनी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार था। उक्त अधिनियम के उपबंधों के परिणामस्वरूप, उन पर लगभग 3,08,200 रु० सरकार को वापस करने का दायित्व आ गया है। जब उक्त अधिनियम अधिनियमित किया गया तो इन व्यक्तिगत अधिकारियों के विवरणों को सरकार के ध्यान में विशिष्ट रूप से नहीं लाया गया था।

(ग) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

मुद्रास्फीति को रोकने के लिये कार्यवाही

4143. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने नये करेंसी नोटों का मुद्रण किया गया और इस से मुद्रास्फीति के प्रसार में कितनी सहायता मिली ; और

(ख) क्या कुछ समय के लिये करेंसी नोटों का मुद्रण न करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पिछले तीन वर्षों में जो नये करेन्सी नोट छापे गये उनके आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

मूल्य	छापे गये नोट		
	1971-72	1972-73	1973-74
	(संख्या करोड़ों में)		
1 रुपया	182.00	245.73	214.395
2 रुपये	30.00	33.10	43.40
5 रुपये	50.00	59.00	61.00
10 रुपये	100.00	78.50	81.50
20 रुपये	0.80	13.70	20.50
100 रुपये	12.00	11.90	12.10

नये नोट, गंदे नोटों को बदलने व अतिरिक्त मुद्रा पूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छापे जाते हैं। मद्रा-स्फीति जसे पेंजीदा मामले के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल नये नोट छापने से ही मुद्रा-स्फीति होती है। फिर भी सरकार को इस बात का पता है कि कुछ अनिवार्य कारणों से पिछले तीन सालों में मुद्रा की सप्लाई में भारी वृद्धि हुई थी।

(ख) हालांकि नये करेंसी नोटों की छपाई बन्द करने का कोई विचार नहीं है, लेकिन सरकार मुद्रा की सप्लाई में जरूरत से ज्यादा बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।

मूल्य वृद्धि और रुपये के मूल्य में गिरावट के परिणामस्वरूप पेंशन पाने वाले व्यक्तियों को लाभ

4144. **श्री समर गुह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असाधारण मूल्य वृद्धि और रुपये के वास्तविक मूल्य में गिरावट के कारण केन्द्रीय सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन के मूल्य में काफी गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पेंशन पाने वाले व्यक्तियों को कोई विशेष लाभ देने का है ;

(ग) क्या सरकार को इस वर्ष पेंशन पाने वाले व्यक्तियों से अनेक ज्ञापन मिले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा पेंशन पाने वालों के लाभार्थ किस प्रकार का तथा कितना लाभ देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) मूल्य वृद्धि के लिए केन्द्रीय सरकारी पेंशन भोगियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से, 1 जनवरी 1973 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों तथा 1 जनवरी 1973 को अथवा उसके पश्चात् सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में भी, अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) के बारह महीने के अवधि में प्रत्येक 16 अंकों की वृद्धि के लिए, न्यूनतम 5 रु० प्रतिमाह तथा अधिकतम 25 रु० प्रतिमाह के अधीन रहते हुए, उनकी पेंशन के 5 प्रतिशत की दर से राहत प्रदान करने के संबंध में पहले ही आदेश जारी किये जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत 3 किस्तों की अदायगी के लिए पहले ही आदेश जारी किये जा चुके हैं। 1 जनवरी 1973 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ राहत प्रदान करने के संबंध में भी अलग से आदेश जारी किए गये हैं।

भारत सरकार टकसालों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

4145. **श्री डी० के० पंडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की तीन टकसालों (हैदराबाद, बम्बई और कलकत्ता) के कर्मचारियों को उनके सामान्य काम के घण्टों (37½ घण्टे से 48 घण्टे तक) के पश्चात् आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद 1 जून, 1961 के बाद समयोपरि भत्ता नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या राजस्व तथा व्यय राज्य मंत्री ने सिल्वर रिफाइनरी वर्कमेंस यूनियन और कलकत्ता टकसाल के कर्मचारियों को श्रम, विधि और वित्त मंत्रालयों से संयुक्त परामर्श करने तथा तीनों टकसालों के सभी कर्मचारियों को समान भुगतान करने के बारे में आश्वासन दिया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) भारत सरकार की टकसालों में काम के साप्ताहिक निर्धारित घण्टे केवल 37½ हैं। तीनों टकसालो के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक दोनों तरह के कर्मचारियों को एक सप्ताह में 37½ घण्टों और 48 घण्टों के बीच किये गये काम के लिए

प्रति घण्टे के वेतन से हिसाब से समयोपरि भत्ता दिया जाता है। पहली जनवरी 1969 से टकसालों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता छोड़कर, वेतन और सभी भत्तों के आधार पर आंका गया यह समयोपरि भत्ता दिया जाता है। पहली जनवरी 1969 से पहले केवल वेतन के आधार पर प्रति घण्ट के वेतन की दर से समयोपरि भत्ता दिया जाता था। पहली जनवरी 1969 से पहले की अवधि के लिये समयोपरि भत्ते का हिसाब लगाने के लिए वेतन के साथ भत्तों को जोड़ने का सवाल उठाया गया है। यह मामला आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की डिवीजन बच के विचाराधीन है। लेकिन पहली जून 1961 से सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक काम करने पर तीनों टकसालों के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता समेत वेतन और सभी भत्तों के आधार पर आंकी गयी समय दर के दुगने के हिसाब से समयोपरि भत्ता दिया जाता है।

(ग) सिल्वर रिफाइनरी के कर्मचारी संघ तथा कलकत्ता टकसाल के कर्मचारी संघ को सूचित कर दिया गया है कि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखा जायगा और उसके बाद इस मामले पर विधि मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय की राय ली जायगी। यह मामला विचाराधीन है।

वित्त मंत्रालय में समितियां

4146. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में गठित कितनी समितियां 1 जनवरी, 1971 से 1 अगस्त, 1974 तक कार्य कर रही थीं ;

(ख) प्रत्येक समिति के सदस्यों और प्रधान का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक किस तारीख को गठित की गई ; और

(ग) क्या उक्त समितियों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं और क्या उन्हें सभा पटल पर रखा जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना का एक विवरण-पत्र संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8363/74**]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have given a notice of privilege motion. Smugglers have come in the Capital.

Mr. Speaker : You wait. Shri Vajpayee has given notice of an Adjournment motion about (1) Beating of pressmen by the policemen in front of the residence of the Adviser to the Governor; (2) Assault of the press photographer in Surat by the smugglers in the presence of policemen; (3) Arrest of cloth merchant in Ahmedabad on framed charges for teasing the daughter of the police officer. This cannot be admitted as an Adjournment motion. It is a case of multiplicity of facts and a matter of normal course of law and order. So far as the first matter is concerned. I can ask the Home Minister to make a statement.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : As Gujarat is at present under President's Rule, the Central Government is responsible for law and order there. The matter is also connected with freedom of press. This is a case where pressmen are being beaten up and false cases are being framed against them. If this matter is not allowed to be raised here then what is the other alternative ?

Mr. Speaker : The matters mentioned in the notice are so different that they can not be clubbed together.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to confine myself to the first case alone. What happened on 8th August is a very serious matter. A correspondent of the 'Times of India' who used to write articles against the police during the agitation of Nav-Nirman Samiti, has been falsely implicated in a case by the police. When the pressmen went to a police station to file a report the police officer refused to admit the same. The same night they went to the residence of the Governor's Adviser to meet him and there the police beat up 25 pressmen. The Editor of 'Janma Bhumi' received many injuries and is admitted in a hospital. Now the pressmen of Gujarat are asking for a judicial inquiry into the whole case. Their demand has not so far been acceded to and now the policemen are taking revenge. The matter has been raised in the House many times but the Home Minister has not made any statement.

Mr. Speaker : In this case I would ask the Home Minister to make a statement.

दिल्ली में तस्करों की उपस्थिति के बारें में
RE.PRESENCE OF SMUGGLERS IN DELHI

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have received the information that after the disclosure of the names of leading smugglers by the Minister of State, Shri Ganesh, some of them have come to the Capital and are approaching Ministers, Officers and Members of Parliament. This is very improper. If they are smugglers they should be immediately arrested and should not be allowed to spread curruption here. The Home Minister and Finance Minister should come forward with a statement in this regard.

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है ।

Shri Prabodh Chandra (Gurdaspur) : Sir, I have also given the notice of privilege motion.

Mr. Speaker : I have not received it.

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : When I went to my house yesterday, I came to know that a telephone call has come from Haji Mastan but later on it was found that the call was made by Haji Manir.

Mr. Speaker : Why you hear the telephone call of Haji Mastan. You say that my telephone is being taped but on the contrary you complain that Haji Mastan was talking to the Prime Minister on the phone.

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : मैंने कृष्णा जल विवाद के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है जिसे कृपया ग्रहीत कर लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यूथ कांग्रेस द्वारा जानबूझ कर हस्तक्षेप करने के बारे में मुझे श्री उत्पल दत्त से एक तार प्राप्त हुआ है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में एक वक्तव्य आ रहा है ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय की और से निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नियति (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इस्पात तार रस्सियों का नियति (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 अगस्त 1974 में अधिसूचित संख्या सा० आ० 1990 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी वेगयी। खिए संख्या एल० टी० 8346/74]**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकर तथा अवरोधक व्यपारिक व्यवहार आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 21(3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्स डनलप इंडिया लिमिटेड के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 8-1-1973 का केन्द्रीय सरकार का आदेश और मैसर्स डनलप इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता को विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के दिनांक 9-5-1973 के पत्र की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 21(3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्स अटोमोबाइल प्रोडक्टस आफ इंडिया लिमिटेड और मैसर्स बजाज ओटो लिमिटेड के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 30-11-1972 का कन्द्रीय सरकार का आदेश और दिनांक 1-1-1973 का शुद्धिपत्र।

(तीन) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 21(3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्स हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 31-7-1973 का केन्द्रीय सरकार का आदेश।

[ग्रंथालय म रखी गई। देखिये संख्यां एल० टी० 8347/74]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दयान): कल मुझे युवा कांग्रेस और छात्र परिषद के लोगों द्वारा जान बूझ कर हस्तक्षेप करने के बारे में सुविख्यात नाटककार श्री उत्पल दत्त से एक तार प्त हुआ है...

अध्यक्ष महोदय : यह उस बारे में नहीं है। मैं मद संख्या 3 पर हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : क्या मैं यह तार आप को सौप दूं।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। आप अचानक खड़े नही हो सकते। इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी:: यह एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के प्रतिवेदनों के बारे में है। कुछ मामलों में दो वर्ष से अधिक विलम्ब हुआ है और इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : You have passed strictures many times and had given your ruling last time that it will not be tolerated.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय बतायें कि यह विलम्ब क्यों हुआ है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : मैं इसे देखूंगा। इस समय मैं यही कह सकता हूं कि सरकार को इस मामले में निर्णय करना है जिसके बाद ये सभा पटल पर रखे जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को इस बारे में मुझे बताना होगा।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 22 अगस्त, 1974 के सरकारी *संकल्प संख्या 10 (1) तार/74 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जिसमें एल्यूमिनियम उद्योग की प्रगति की समीक्षा सम्बन्धी टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन (1974) की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8348/74]**

(2) (एक) टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत टैक्सटाइल समिति (दूसरा संशोधन) नियम 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 244 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8349/74]

(3) (एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(क) सां० आ० 205, जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 जनवरी, 1974 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 9 जून, 1956 की अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 1317 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(ख) सां० आ० 206 जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 जनवरी, 1974 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की दिनांक 21 जून 1963 की अधिसूचना संख्या 3(1)/63 कंट्रोल में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8350/74]

(4) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय पटसन निगम लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8351/74]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने मद संख्या 4(4) के बारे में एक नोटिस दिया है। यह जांचे हुए लेखे वर्ष 1972-73 के लिये भारतीय पटसन निगम की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में है। वस्तुतः क्या हो रहा है और इसका कार्य क्या है, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं। यहां तक कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने भी पटसन निगम के कार्यकरण की आलोचना की है। इस प्रतिवेदन को विलम्ब से प्रस्तुत करने के बारे में कोई कारण नहीं बताया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महा लेखापरीक्षक को इनके लेखे कब मिले थे?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को प्रत्येक बार मेरी अनुमति के बिना नहीं खड़ा होना चाहिए।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं पत्रों की जांच करूंगा और तथ्यों का पता लगा कर आपके समक्ष रखूंगा।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमान, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा 27 अगस्त, 1974 की अपनी बैठक में कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक 1974 से जो लोक सभा द्वारा 21 अगस्त 1974 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(दो) कि राज्य सभा ने 28 अगस्त, 1974 की अपनी बैठक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार संविधान (34वां संशोधन) विधेयक 1974 जो लोक सभा द्वारा 26 अगस्त, 1974 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के पास कर दिया है।

(तीन) कि राज्य सभा ने 27 अगस्त, 1974 की अपनी बैठक में बोनस संदाय (संशोधन विधेयक 1974 पास कर दिया है।

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक

PAYMENT OF BONUS (AMENDMENTS) BILL

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

महासचिव : श्रीमान, मैं बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1974 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखता हूं।

नियम समिति
RULES COMMITTEE

कार्यवाही-सारांश

श्री सेझियान (कुम्बकोणन) : मैं नियत समिति की 21 अगस्त 1974 को हुई बैठक का कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

बिहार पुलिस द्वारा श्री ईश्वर चौधरी, संसद सदस्य, को हथकड़ी लगाये जाने की कथित घटना

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्री ईश्वर चौधरी, संसद सदस्य, को 5 अगस्त, 1974 को पटना में किसी न्यायालय में ले जाते समय हथकड़ी लगाये जाने की कथित घटना के बारे में "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित एक समाचार की ओर 6 अगस्त, 1974 को सदन का ध्यान दिलाया गया था । 14 अगस्त, 1974 को यह मामला फिर सदन में उठाया गया । इस सिलसिले में राज्य सरकार द्वारा बताए गए तथ्य इस प्रकार है ।

2. श्री चौधरी को 63 अन्य सत्याग्रहियों के साथ धरना देने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में 10 जून, 1974 को बिहार विधान सभा के पास गिरफ्तार किया गया था और उन्हें पटना की फुलवाडी शरीफ जेल में हिरासत में रखा गया । इस संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143, 188 और 341 तथा दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 7 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया ।

3. 17 जून, 1974 को सत्याग्रहियों ने जेल के भीतर और बाहर भ्रष्टाचार दूर करने के अपने उद्देश्य की घोषणा करते हुए जेल में एक के बाद एक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी ।

4. श्री चौधरी ने जेल के प्राधिकारियों को इस आशय की एक याचिका दी कि कुछ कैदियों ने सत्याग्रहियों के साथ मुठभेड़ करने की धमकी दी थी । जेल के प्राधिकारियों के अनुसार, अन्य कैदी सत्याग्रहियों से इसलिए नाराज थे कि वे (सत्याग्रही) गेट के पास भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और उन्होंने इसे कैदियों को मिलने के लिए आए हुए व्यक्तियों के लिए अभद्र भाषा का कथित प्रयोग किया था । 2 जुलाई 1974 को दो सत्याग्रहियों में किसी बात पर हाथापाई हो गई जिसने बड़ी मुठभेड़ का रूप धारण कर लिया और उसमें दूसरे कैदी और जेल कर्मचारी भी शामिल हो गए । एक सत्याग्रही को जिसका नाम अश्विनी कुमार चौबे था, जलने के अलावा खरोंच भी आई । इस संबंध में, श्री चौबे के बयान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147/307/323 के अधीन जेलर और कुछ वार्डरों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है और उसकी तफतीश की जा रही है । घटना में तथा कथित शामिल संबंधित जेल कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है ।

5. श्री चौधरी ने जेल महानिरीक्षक को यह रिपोर्ट दी थी कि उक्त घटना से दो तीन घंटे पहले सहायक जेलर ने उनके पेट में कुछ घुंसे मारे थे । इस आरोप की जांच की जा रही है । श्री चौधरी ने जेल महानिरीक्षक को यह भी बतलाया था कि वार्डरों के तथाकथित हमले के समय वे अपने वार्ड के अन्दर चल गए थे तथा इस घटना में उन्हें कोई चोट नहीं आई ।

6. 5 अगस्त, 1974 को जब कैदियों को न्यायालय में ले जाने के लिए बाहर लाया गया, तब संरक्षक दल द्वारा अन्य सत्याग्रहियों के साथ साथ श्री ईश्वर चौधरी को भी हथकडी लगाई गई थी । यह गलती इसलिए हुई क्योंकि रक्षक दल को यह पता नहीं था कि श्री चौधरी संसद सदस्य है । जेल के दरवाजे पर जाकर ही इस गलती का पता चला और तभी स्थानापन्न जेलर ने संरक्षक दल श्री चौधरी की हथकडिया फौरन खोल देने के लिए कहा । तथापि, अन्य सत्याग्रही भी हथकडियों में होने के वजह से श्री चौधरी ने भी स्वयं हथकडियों में ही रहने पर जोर दिया ।

7. राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि श्री ईश्वर चौधरी को 8 अगस्त, 1974 को हिरासत से मुक्त कर दिया गया ।

8. 21 फरवरी, 1968 को भारत सरकार ने संसद सदस्यों को सम्मन भेजने तथा उन्हें गिरफ्तार करने से संबंधित मामलों के बारे में सभी राज्य सरकारों को विस्तृत अनुदेश जारी किए थे। अन्य बातों के साथ-साथ इन अनुदेशों में उस सामान्य नियम का भी उल्लेख है कि आमतौर पर कैदियों को हथकडियां न लगाई जाये और हथकडियों का इस्तेमाल उन मामलों तक ही सीमित रखा जाए जिनकी बारे में यह विश्वास करने के उचित कारण मौजूद हो कि कैदी हिंसा पर उतारू हो सकता है अथवा भागने का प्रयत्न कर सकता है अथवा जहां इस तरह के अन्य कारण हों। इस बात पर जोर दिया गया कि संसद सदस्यों के मामले में इस नियम का विशेष रुप में पालन किया जाए। सभी राज्य सरकारों को जारी किए गए 4 फरवरी, 1974 के एक अन्य परिपत्र में भी इन अनुदेशों का उल्लेख किया गया। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की पूर्ण है कि इस मामले में अनुदेशो का अनुपालन करने में यह गलती हुई। इस विषय में पहले से ही जारी किए गए सभी स्थाई अनुदेशों की ओर एक बार फिर सभी राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है और उन्हें यह सलाह दी गई है कि किसी भी हालत में ऐसी गलतियां न की जाएं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह पुलिस द्वारा दमन है । यह वक्तव्य असत्यता और मनघड़त बातों से भरा है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : From what the Minister has stated two things are clear. The hon'ble Minister has confirmed that Shri Ishwar Chaudhary was handcuffed. It is difficult to believe that this happened because the policemen did not know the identity of Shri Chaudhary. They deliberately handcuffed Shri Chaudhary in order to insult him. The Home Minister should have apologised to the House.

Apart from Shri Chaudhary's personal question there is also the wider question as to why satyagrahis be handcuffed or why should even an ordinary citizen, if he has not indulged in any violence, if he is not going to run away, should be handcuffed and insulted. In regard to M. Ps and M. L. As the Government of India's circular is not being followed. The whole matter should be referred to the Privileges Committee.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : The officer who has done this should be immediately suspended and action should be taken against him. Today this has happened with Shri Choudary, tomorrow it can happen with other Members.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह ऐसा मामला है जिसे मैंने पहले 5 अगस्त को उठाया था। उसके बाद मैंने इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिये चार पत्र लिखे है परन्तु गृह मंत्री ने इस बारे में कोई कार्य वाही नहीं की है। हम यह स्पष्ट आश्वासन चाहते है कि क्या इस घटना से संबंधित व्यक्तियों को मुअतिल किया गया है अथवा नहीं। उन्हें तुरन्त मुअतिल करके जांच की जानी चाहिये।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है और हम सब इससे सहमत है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजने योग्य है और हम उसका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभा में इस बात पर आम सहमति है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है जिसे किसी दल के साथ सम्बन्ध नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे विशेषाधिकार समिति को भेज रहा हूं।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : संसद सदस्यों को ही नहीं 'देशव्रती के सम्पादक तथा आंध्र के कुछ पत्रकारों को भी हथकडी डाल कर न्यायालय के समक्ष ले जाया गया। सरकार ने एक आदेश जारी करके कहा है कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही हथकडिया डाली जाएं। इन परिस्थितियों में इस को रोका जाना चाहिये। मुझे आशा है कि आप अपने विचार व्यक्त करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक संसद सदस्यों का संबंध है मैंने अपने विचार प्रकट किए है। मुझे आशा है कि विशेषाधिकार समिति इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करेगी जिससे इस मामले में ही नहीं भविष्य के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित हो सके। जहां तक अन्य व्यक्तियों को हथकडियां डालने की बात है मुझे आशा है कि सरकार आपके विचारों की ओर ध्यान देगी। सत्याग्रहियों सार्वजनिक जीवन में अच्छा स्थान रखने वालों, डाक्टरों, पत्रकारों, लेखकों आदि के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं यह विचार गृह मंत्री को प्रेषित करूंग।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मुझे सभा को 2 सितम्बर 1974 से आरंभ होने वाली सप्ताह के लिए निम्नलिखित सरकारी कार्य की सूचना देनी है।

1. शनिवार, 31 अगस्त 1974 की कार्य सूची की किसी शेष मद पर विचार।
2. ब्याज-कर विधेयक 1974 पर विचार तथा पास करना।
3. गुजरात में राष्ट्रपति शासन जारी रखने संबंधी संकल्प पर चर्चा।
4. अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक 1972 पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार तथा पास करना।

5. निम्नलिखित विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्तावों पर विचार करना :

(क) दिल्ली विक्रय कर विधेयक 1973 ।

(ख) सीमा शुल्क टेरिफ विधेयक 1974 ।

मुझे यह भी घोषणा करनी है कि सरकार का विचार सोमवार 2 सितम्बर, 1974 को संविधान (संशोधन) विधेयक, 1974 (पुर:स्थापित) करने तथा उसे मंगलवार, 3 सितम्बर, 1974 को सभा के समक्ष विचार तथा पास करने के लिए रखने का है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : तामिलनाडु सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग के सचिव ने एक परिपत्र जारी करके सभी कम्पनियों को कहा है कि 80% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाएं । इस परिपत्र के अनुसार स्थानीय व्यक्ति भी वह है जिन की मातृभाषा तामिल है । महाराष्ट्र में शिवसेना ने जब इस प्रकार की बात की तो हमने उसकी निन्दा की थी। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि जब भी किसी नये प्रतिष्ठान की स्थापना अथवा विस्तार आदि के लिए आवेदन दिया जाए तो उसके साथ विवरण में रोजगार संभावनाओं के बारे में यह विवरण बनाया जाये यह एक बहुत ही गंभीर मामला है । यदि इस नीति का अनुसरण किया गया तो यह एकता की भावना के विरुद्ध होगी। अत: इस मामले को अगले सप्ताह के कार्य में चर्चा के लिए सम्मिलित किया जाये।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : अगले सप्ताह गुजरात में राष्ट्रपति शासन जारी रखने संबंधी आख्यापन पर चर्चा होनी है। उससे पूर्व गृह मंत्री अहमदाबाद में गत तीन दिनों में हुई हिंसा के बारे में वक्तव्य दें। पुलिस के द्वारा वहां पर बहुत ज्यादती की जा रही है ।

शिक्षा मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी करके कहा है कि किसी भी देश का कोई भी विद्वान अथवा विदेश में रहने वाला कोई भारतीय भी यदि भारत में होने वाले किसी सम्मेलन आदि में भाग लेने के लिए भारत आना चाहे तो उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी ।

यह बहुत ही आपत्ति जनक व अलोकतंत्रिय है । मेरा अनुरोध है कि शिक्षा मंत्री इस परिपत्र को वापस ले और सभी में एक वक्तव्य दें हमारा स्वन्तत्र समाज है अत: सरकार को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । देश के बुद्धिजीवी इस प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे ।

Shri Janeshwar Misra (Allahabad) : Conferences of Students and youth of the whole country are being held and deciding to start agitations against corruption. Price rise and unemployment. It appears that there is going to great agitation in the country. The Home Minister should be asked to give a statement and some time should be earmarked for discussion.

Prime Minister is likely to go to Punjab tomarrow. Leaders of opposition are being arrested there. Schools and Colleges are closed. There should be a statement about this also.

Shri Hukumchand Kachwai (Morena) : The Report of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner has not been discussed in the House for many days. There is a recommendation in the Report that there should be a Cell in the Ministry of Home Affairs to look after the interests of Harijans. I request that Home Minister should be asked to give a statement in this regard. There is a pending Amendment Bill when that is likely to come up. It should also be clarified.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कार्य मन्त्रणा समिति ने तथा आपने श्री कपूर आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर श्री ललीत नारायण मिश्र को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव को लेना स्वीकार किया था। परन्तु खेद की बात है कि अगले सप्ताह की कार्यवाही में उसे सम्मिलित नहीं किया गया है (**अन्तर्बाधाएं**) अगले सप्ताह इस पर चर्चा होनी चाहिये।

वाणिज्य मंत्री द्वारा सूचना छिपाने एवं भूतपर्व विदेश व्यापार मंत्री के विरुद्ध आरोपों पर भी अगले सप्ताह चर्चा होनी चाहिये। इन दोनों प्रस्तावों पर यदि चर्चा न हुई तो यह संसदीय लोकतंत्र का अन्त होगा। मंत्री के विरुद्ध गंभीर भ्रष्टाचार के स्पष्ट आरोप है। इस स्थिति को सहन नहीं किया जा सकता।

श्री शामनन्दन मिश्रा (बेगुसराय) : माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि चुनाव आयोग के कार्यकरण संबंधी मेरे प्रस्ताव पर चर्चा कब होगी। सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये।

मंत्री महोदय ने बताया है कि संविधान संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा और उसे अगले दिन पारित किया जायेगा। मेरा अनुराध है कि इस पर चर्चा के लिए बहुत कम समय दिया जायेगा। यह एक बहुत ही जटिल प्रकृति का विधेयक है। अतः इस पर सरकार व विपक्ष के बीच विचार विमर्श होना चाहिए। यह शीघ्रता अनुचित है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The statement made by the Finance Minister on 22nd August shows that discrimination is being noted out to the employees of different offices of the Comptroller and Auditor General. There should be a short discussion on this subject.

Constitution Amendment Bill is likely to come up on Monday but its copies have not so far been supplied to us. We will not allow rules to be waived in this particular case.

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : The plight of Chhamb Refugees is very pitiable. The Government has completely neglected them. The problem of their rehabilitation has not been solved. Their patience is exhausted. They have come to Delhi and are sitting on Dharna. The Government should explain its position and give some time during the next week for discussion on the matter.

Shri Jagannath Misra (Madhubani) : I want to draw Governments attention towards pitiable condition of weavers of the country. These are about 35 lakhs hand looms and about 81 lakh weavers in the country. Most of these live in villages. The Government had set up Sivaraman Committee to study their condition. The report has been submitted. It should be discussed in the House.

14 District of North Bihar have been severely affected by floods. These floods have caused unprecedented losses. About 1 crore population of 130 blocks have been affected. Flood and draught situation in the country has not been fully discussed in the House. I request that North Bihar floods should be separately discussed in the House.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को गलत ढंग से तैयार करने के कारण श्रमिक वर्ग को करोडों रुपयों की हानि हो रही है। मंत्री महोदय को इस बारे में व्यापक वक्तव्य देना चाहिये। इस पर चर्चा के लिए, संभव हो, समय दिया जाये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : 18-19 thousand Refugees of Chhamb area have not been properly rehabilitated. Some of them are in pitiable condition. They became refugees in 1947. They became refugees for second time during 1965 and third time in 1971. The Government should prepare a scheme to rehabilitate them and find some time in the next week to discuss it.

None of my motions relating to Emergency, Maruti nor relating to D. K. Barua and L. N. Mishra has been included in the business for the next weeks. Atleast one should be taken up during the next week.

Meeting of the House should be held on Sunday also and inconclusive debato about flood situation should be concluded.

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : श्री जहीरुद्दिन फारूखी ने दिल्ली से एक पुस्तक 'औरंगजेब एन्ड हिज टाइम्स' शीर्षक से प्रकाशित की है । यह पुस्तक बहुत ही आपत्तिजनक और अपमानजनक है और विश्व भर में सिख समुदाय की भावनाओं पर आक्रमण किया है। लेखक व प्रकाशक ने सिख गुरु, गुरु गोविन्द सिंह को औरंगजेब व उस समय के अन्य मुसलमान शासकों का सेवक और दास कहा है यह ऐतिहासिक रूप से गलत बात है । इस-पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये और प्रकाशक के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : कार्य मन्त्रणा समिति ने नियम 193 तथा अन्य के अधीन चर्चाओं के बारे में संसदीय मंत्री ने कोई संकेत नहीं दिया है । इनमें कई मामले जसे काल पात्र आदि पिछले सत्रों से निलम्बित है । इस पर आगे चर्चा के लिए इस सत्र में समय दिया जाना चाहिये । संविधान संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए नियमों का निलम्बन नही होना चाहिये ।

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda) : 15 thousand workers are employed at Pong Dam. Previously they had worked at Bhakra Dam. 3,000 employees are being retrenched in this month. The Central Government had assured them that they would be employed at their Dam. They can also be employed at some other Central Project, such as Salal Mahi Project. The Government should consider their plight and give a statement in this regard during the next week.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : रेल मंत्री एवं वित्त मंत्री को उन हजारों रेल कर्मचारीओं ने लेखापरीक्षा कार्यालय के कर्मचारियों, डाक-तार विभाग के कर्मचारियों, आयकर विभाग के कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य देने चाहिये जिन्हें मई 1974 की हडताल में सम्मिलित होने के कारण अभी भी बहाल नहीं किया गया है । यह एक गंभीर मामला है ।

कानपुर में हमेशा ही क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ करते हैं। परन्तु इस बार कानपुर के साथ अन्याय किया गया है । इस बार मद्रास एवं बंगलोर में मैच रखे गये है। परंतु कानपुर को वंचित करके ऐसा किया जा रहा है । कानपुर में भी मैच का आयोजन होना चाहिये ।

Shri Namavatar Shastri (Patna) : Meghalaya is a border area and C. I. A. has infiltrated here in the garb of M. R. A. This matter was previously raised and it was demanded that the Home Minister should give a statement in this regard.

We had inconclusive debate about flood situation in the country on 24th August. Now in the business for the next week it has not been indicated whether that matter would be further discussed or not. I would request that inconclusive debate should be completed. Hon. Minister should tell us if it would be taken up or not.

Smt. Roza Deshpande (Bombay-Central) : Sugar Mill owners owe 23 crore rupees to sugar cane growers. There has been severe floods in Bihar and Uttar Pradesh. People have lost purchasing power. The Government should adopt a definite policy that credit squeeze policy would not be changed unless sugar cane growers have not been paid all their dues. There should be discussion on Bhargava Commistion Report about Sugar Industry Nationalization. So long as Sugar Industry is not Nationalized Sugar Cane growers and workers are not going to be benefitted. Hon. Food Minister should give a statement in this regard.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Recently world Population Conference was held at Bucharest. The reports received from there indicate that population and spreading poverty are both interconnected problems. As the Health Minister had participated in the said Conference, I would request him to give a statement in the House about the discussion at the Conference.

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मंत्रीमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को हमेशा चर्चा के लिए प्राथमिकता दी जाती है । इस प्रकार मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य के आचरण के बारे में कोई प्रस्ताव हो तो उसे भी प्राथमिकता दी जाती है । श्री ज्योतिर्मय बसू ने कपूर कमीशन के प्रतिवदन के आधार पर श्री ललित नारायण मिश्र के विरुद्ध एक प्रस्ताव की सूचना दे रखी है । उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

इसी प्रकार श्री अटल बिहारी बाजपेयी का प्रस्ताव भी काफी महत्वपूर्ण है, यह केवल मात्र संसद सदस्य की प्रतिष्ठा से ही नहीं प्रशासन के कार्यकारण से भी संबंधित है । इन दोनों मामलों पर इसी सत्र में ही चर्चा होनी चाहिये ।

संविधान संशोधन विधेयक के बारे में सरकार द्वारा बहुत शीघ्रता बरती जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : पश्चिम बंगाल में बडी गम्भीर स्थिति है, वहां पर रेल यात्रा करना खतरे से खाली नहीं। इस सम्बन्ध में वयोवृद्ध क्रान्तिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रधान मंत्री को तार भेजा है, सरकार को इस स्थिति पर एक वक्तव्य देना चाहिये।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : गत सप्ताह बहुत बेचानी पैदा कर देने वाला समाचार मिला था कि यू० एस० हाउस कमेटी ने डियागो गार्शिया में हवाई तथा नौसैनिक अड्डे स्थापित करने के लिये लाखो डालर मंजूर किये है । अमरीका के राष्ट्रपति ने इसका खुले आम समर्थन किया है। हिन्द महासागर के आसपास के देशों को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। इस स्थिति पर चर्चा करने के लिये समय निर्धारित किया जाना चाहिये । उत्तरी बिहारी में मधुबनी, दरभंगा, और सीतामढी का सड़क और रेल से शेष देश का सम्बन्ध टूट गया है अतः इसके बारे में चल रही चर्चा सोमवार तक समाप्त हो जानी चाहिये ताकि सरकार का सहायता के बारे में दृष्टिकोण की जानकारी मिल सके ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : हमने पहले बैंकिंग आयोग के प्रतिवेदन पर वित्त मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर पर चर्चा समाप्त करनी है । तत्पश्चात श्री मिश्र द्वारा उठाई गई निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा भी करना है । इसी प्रकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक क बारे में उठाई गई चर्चा को भी लेना है और असमाप्त कपसूल चर्चा को पूरा करने के लिय भी सरकार वचनबद्ध है । बाढ पर चर्चा को भी समाप्त करना है । नियम 184 के अधीन भी कई मामले है जिनको ग्रहण करना है। हम इन सब मामलों पर विचार कर रहे है और कार्य मंत्रणा समिति की आगामी बठक में इन पर चर्चा की जायेगी और यथा सम्भव कार्यसूची में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री बसू ने जिसका नोटिस दिया था वह अविश्वास प्रस्ताव नहीं था। परन्तु यह नोटिस मंत्रिपरिषद के एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है । अतः इसको भी अविश्वास प्रस्ताव का ही दर्जा दिया जाना चाहिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, it would be better if a discussion is allowed on this matter otherwise this question is bound to be raised every now and then (*Interruptions*). Hon'ble Minister should have re-indicated his stand.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मंत्री महोदय को इस प्रकाशित प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिये स्वयं सहमत हो जाना चाहिय था ।

श्री के० रघुरामैया : यदि वह अविश्वास प्रस्ताव वही है तो इस प्रकार के अन्य प्रस्ताव भी है जिनके लिये समय निकालना है । हमें यह देखना है कि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय कौनसा है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : बात यह है कि क्या यह अविश्वास प्रस्ताव है या उसका रूप है । मेरे विचार में यह प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से भी अधिक महत्वपूर्ण है क्यों कि इसमें एक माननीय सदस्य की सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि शासक दल में कोई निहित स्वार्थ है जो मंत्री महोदय के लिये खतरा बनाये रखना चाहते है, यदि मंत्री महोदय के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं है तो प्रधान मंत्री को सभा के समक्ष यह बात कहनी चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : On a point of order, Sir. It is under rule 190. The hon'ble Minister has just now stated that it is question of finding out time. It has been observed that Constitution Amendment Bill was not in the Agenda but it is being taken up. Why ? The motion by Shri Jotirmoy Basu was published in Bulletin Part II as well as in the news papers. Does it mean that it will be admitted only if the Prime Minister's Secretariat accept it ? You should use your own discretion and fix this matter for the next week.

अध्यक्ष महोदय : आप सबको यह विदित है कि जग नियम 193 अथवा 184 के अधीन प्रस्ताव लाये जाते है तो उन्हें कार्य यंत्रणा समिति के समक्ष रखा जाता है और मैं उनकी सलाह पर ही चलता हूं ।

Shri Madhu Limaye : I had submitted a Motion against the Prime Minister and the Deputy Prime Minister which was not placed before Business Advisory Committee. There is a precedent.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यह शक्ति मुझे देना चाहते है तो इन सभी प्रस्तावो को कायमंत्रणा समिति के सामने रखने की कोई आवश्यकता नही है । जब हम न यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि कायमंत्रणा समिति के साथ सभी विषय पर परामर्श किया जायेगा तो हमें उसका अनुसरण करना चाहिये । कल यदि सरकार कोई प्रस्ताव पुरःस्थापित करें और आप उसे न चाहें तो क्या स्थिति होगी ? इसलिये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई जायेगी और उसी में इस सम्बन्ध में निर्णय किया जा सकता है ।

लोक वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) विधेयक

FINANCIAL INSTITUTIONS LAWS (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति

श्री बी० एम० कुरील (रामसनेहीघाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति से श्रीमती रोजा विद्याश्वर देशपाण्डे द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री के० एम० मधुकर को नियुक्त करती है"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय

[अध्यक्ष महोदय]

यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति से श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री के० एम० मधुकर को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबंध ग्रहण) संशोधन विधेयक—जारी

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF INDIAN IRON AND STEEL COMPANY (TAKING OVER OF MANAGEMENT) AMENDMENT ORDINANCE AND INDIAN IRON AND STEEL COMPANY (TAKING OVER OF MANAGEMENT) AMENDMENT BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री मधु लिमये द्वारा 29 अगस्त, 1974 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 जून, 1974 को प्रख्यापित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 4) का निरनुमोदन करती है।"

और श्री के० डी० मालवीय द्वारा 29 अगस्त, 1974 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :

"कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाय।"

श्री भोगेन्द्र झा अपना भाषण जारी रखें।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Sir, the method of extending the period of taking over the management of I.I.S.C.O. from time to time would create certain other problems.

It would adversely affect the production of the company and increase the prices. It is a matter of concern that the hon. Minister is going to extend the period of take over of the management of this company.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

at this stage it has become necessary for Government to nationalise this company so that the earlier owners and management of the said company are not given any opportunity to stop production.

In this context, I would like to know from the Hon. Minister the reasons for which the Bharat Barrel, which is facing closure for the last four years, has not been taken over by Government.

I would also like to suggest that the representatives of the labour should be included in the proposed Board of Management for the I.I.S.C.O. I reiterate my demand that the said company should be nationalised immediately and the officers having no interest in the improvement of the said company should the removed from the management of I.I.S.C.O. Government should seek the co-operation of the labour also.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : The hon. Minister has full knowledge regarding the problems of labour and the functioning of the Trade Unions. He is also aware of the fact that large capital has been invested in the Public Sector Industries. Therefore, he should prepare a package programme in consultations with the Trade Unions so that incidents of strikes and lock outs could be avoided for the next five years. It would certainly go a long way increasing the production in the country.

I would also like to suggest that labour participation should be allowed in all the Public sector Industries to inculcate healthy feelings among the labour and their leaders so that any loss to these industries would amount to their own loss. The scheme of labour participation should also be introduced in Private Sector Industries also, so that our country could sucessfully tide over the difficult period of economic crisis and scarcity.

I would also like to suggest that the accountability for production and distribution of steel should be fixed on the General Managers of the Steel Units. According to the present arrangements, Government have got a J. P. C. in Calcutta while steel is produced in Bhilai. This method is defective and leads to several corrupt practices. I have got no objection to the extension of period sought by Government.

Shri R. V. Bade (Khargone) : Sir, going through clause 3 of the Indian Iron and Steel Company Bill I am afraid Government are not interested in Nationalising the said Company. Perhaps, they want to give it back to the owners of the said Company after ten years. In these circumstances the shareholders and the employees of the said company are feeling uncertain about their future. The hon. Minister should clarify the position and let the House know whether they will nationalise the company?

Government have not specified clearly the composition of the Board of Management. According to Government the number of wholetime members will be specified later on. They have also said that the Chairman and the Board of Management will hold office at the pleasure of the Government. It is entirely ambiguous. It shows that Government will do everything arbitrarily.

The distribution policy of steel is very defective. Certain cooperative societies deposited money with Government for steel three years ago. The Hon. Minister has said that the money so deposited will be returned to the concerned persons. Is it justified on the part of the Government to return the money to the co-operative societies in this manner ?

We pointed out earlier also that steel worth Rs. 3 crores was sold to Apdem Company for Rs. one crore only in the name of iron scrap. But Government have not taken any action in this matter.

Government should also tell the performance of the company during the period of take over. Is it running at a loss or earning some profit since it has been taken over ?

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिये कि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है। आप इस विधेयक का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं ?

श्री आर० वी० बडे : सचिव और मंत्री की नीतियों में अन्तर है। मैं इस विधेयक को विरोध नही करता किन्तु मेरा कहना यह है कि यदि सरकार इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है तो तुरंत करे।

श्री चपलेन्द्र भट्टाचार्य (गिरिडीह) : मंत्री महोदय की सफलता इस बात में है कि आगामी महीनों में इस कम्पनी की उत्पादन क्षमता के उपयोग में वृद्धि होती है कि नहीं ? गत 30 या 36 महीनों में इसकी उत्पादन क्षमता के उपयोग में कमी हुई है।

जहाँ तक श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है मेरे विचार से श्रमिकों को प्रतिनिधित्व प्रत्येक स्तर पर दिया जाना चाहिये तथा उनके सुझावों पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिये। इस्पात की कतरनों की बिक्री के बारे में मेरा सुझाव है कि इसकी बिक्री टेंडर मांग कर करनी चाहिये तथा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इस्पात की कतरनों की बिक्री करनी चाहिय।

जहाँ तक ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले श्रमिकों का सम्बन्ध है, मेरे विचार से यह समस्या बहुत जटिल है। यदि सरकार ठेका-श्रमीक पद्धति को समाप्त करना चाहती है तो उसे तुरंत 13,000 से 14,000 श्रमिकों को काम देना पड़ेगा। मेरे विचार से इस बारे में सरकार साल डेढ़साल तक इस प्रणाली को चलने दे तथा इस बीच संयंत्रों के उत्पादन में वृद्धि का प्रयत्न करे तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न करे जिसमें इन श्रमिकों को रोजगार दिया जा सके।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है तथा मैं इसी बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। सरकार ने इस कंपनी के प्रबन्ध ग्रहण के बारे में व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाया। मूल विधेयक में इसके प्रबन्ध को दो वर्ष के लिये अपने अधिकार में लिया गया था। यह कम्पनी से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह स्पष्ट दिखाई देना चाहिये था कि केवल दो वर्ष की अवधि में इस कम्पनी के कार्यकरण में कोई सुधार नहीं किया जा सकता। अतः सरकार ने इस सम्बन्ध में अदूरदर्शिता का परिचय दिया है। इस बार सरकार प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को तीन वर्ष के लिये बढ़ाना चाहती है। किन्तु मेरे विचार से तीन वर्षों में भी सरकार इसकी प्रशासनीक समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहेगी।

इस विधेयक के अनुसार सरकार कम्पनी के प्रबन्ध को पुनर्गठित करना चाहती है तथा प्रबन्धक-मण्डल को प्रभावकारी बनाना चाहती है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो तथा उपभोक्ताओं और श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके। किन्तु इस विधेयक के माध्यम से प्रबन्ध से सम्बन्धित उन पहलुओं में कोई हेर-फेर नहीं किया जा सकता जिनके बारे में मूल विधान में कोई संशोधन नहीं किया गया।

मुझे आशा है कि वाद-विवाद का उत्तर देते समय मंत्री महोदय स्पष्ट राय देंगे कि प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य चुनते समय श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखा जायेगा और समूचे इस्पात संयंत्र के बेहतर प्रशासनिक ढांचे के निर्माण के लिये विशेषज्ञों के हितों का भी ध्यान रखा जायेगा।

यहां विधयक के एक पहलु के बारे में उल्लेख करना आवश्यक है। प्रशासन सुधार आयोग ने प्रबंध की समस्याओं का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया है और सुझाव दिया है कि प्रबन्ध बोर्ड का ढ़ाचा चाहे कैसा भी हो, यदि उपयुक्त कार्मिक नीति नहीं बनाई जाती हो जिन उद्देश्यों को

लेकर ये परिवर्तन किये जा रहे हैं वे प्राप्त नहीं होंगे । अत: उचित कार्मिक नीति बनाने की ओर ध्यान दिया जाये । देश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में आई० ए० एस० अधिकारियों को उद्योग चलाने के लिये रखा जाता है । आवश्यकता इस बात की है कि हमें आई० ए० एस० अधिकारियों के पुराने ढांचे पर ही भरोसा न करके विशेषज्ञों के ज्ञान और क्षमता पर बल देना चाहिए जो कुशलता-पूर्वक उद्योग चलाना जानते हैं ।

वितरण की समस्या का काफी उल्लेख किया गया है । यदि वितरण व्यवस्था करने के लिये योग्य व्यक्ति नहीं लगाए जायेंगे तो वांछित परिणाम नहीं निकलेंगे । उदाहरणार्थ, बम्बई और महा-राष्ट्र में इस्पात का चालीस प्रतिशत कोटा काले बाजार में बेचा जाता है । इसमें काफी कदाचार हो रहा है । इस स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए । यदि इस्पात जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया जाये तो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण किया जा सकता है । एक समय आयेगा जब हमें इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर जाकर इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना होगा ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : विधेयक के सम्बन्ध में उठाई गई बातों पर बोलने से पूर्व मैं बर्नपूर इस्पात संयंत्र की संक्षिप्त पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा । बर्नपूर स्थित इस्पात संयंत्र ने 1922 में उत्पादन आरंभ किया । शुरू में इसकी 300 हजार टन क्षमता थी जो 1953 तक रही और उसके बाद इसकी निर्धारित क्षमता 500 हजार टन तक बढ़ी । उसके बाद इसने लगभग 800 हजार टन इस्पात का उत्पादन किया । उस समय कम्पनी का सर्वोत्तम रिकार्ड था; मशीनें नई थीं । बादमें इसमें अनेक बुराईयां आ गई । बाद में उत्पादन में तेजी से गिरावट आई और 10 लाख टन निर्धारित क्षमता की तुलना में उत्पादन कम होकर 1963-64 में लगभग 600 हजार टन रह गया । बिक्री-योग्य इस्पात का उत्पादन अप्रैल, 1972 में 34500 टन था जो जून में कम होकर 23,000 टन रह गया जो सबसे कम था ।

अत: यह उचित समझा गया कि इसके उत्पादन में और गिरावट न आने देने के लिये इसके प्रबन्ध को सरकारी नियंत्रण में ले लिया जाना चाहिए । एक अध्यादेश के माध्यम से इस कम्पनी के प्रबन्ध को 14 जुलाई, 1972 को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया ।

सरकार ने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये इस कम्पनी में सुधार करने के लिये कार्यक्रमबद्ध पूंजी-निवेश किया । "इस्को" के इंजीनियरिंग एन्ड डेवेलपमेंट डिवीजन ने 1971 के अन्त में योजना तैयार की । उस समय वह योजना अनुमानत: लगभग 21 करोड़ रुपये की लागत की थी । सितम्बर, 1972 में तैयार किये गए पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार, 45.90 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान था । लागत में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कुछ संशोधन के बाद 43 करोड़ रुपये की लागत की मंजूरी दी गई ।

ऐसी आशा की जाती है कि यह इस्पात संयंत्र "प्लांट रिहेबिलिटेशन प्रोग्रैम" की क्रियान्विति के बाद 1976-77 तक अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त कर सकेगा ।

श्री लिमये ने यह प्रश्न उठाया है कि इस्पात उद्योग जैसे आधारभूत उद्योग में सुधार करने के लिये हम थोड़ी-थोड़ी कार्यवाही क्यों करते हैं । जब 1972 में हमने इस कम्पनी के प्रबन्ध को नियंत्रण में लिया था तब वह एक दण्डात्मक कार्यवाही थी । उस समय इस उद्योग का राष्ट्रीय-करण की नीति सम्बन्धी कोई दृष्टिकोण नहीं था ।

Shri Madhu Limaye : Do they intend to return the management after improving the plant ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने वचन दिया था कि कम्पनी के प्रबन्ध को वापिस करने का इरादा है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : हम स्पष्ट उत्तर चाहते हैं कि क्या सरकार इसमें सुधार करके इसे पुराने गैर-सरकारी प्रबन्धकों को वापिस देंगी।

Shri K. D. Malaviya : It will not be wise to return this company to the old owners after improving its conditions.

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा दो-तीन वर्ष के लिये ही क्यों किया गया है ?

Shri K. D. Malaviya : I do not know exactly as to what factors were responsible for its take over two years back but the period of ten years is given after looking into all the aspects.

"इस्को" के प्रबन्ध को सरकारी नियंत्रण में लिये जाने से पूर्व वहां जो "स्क्रैप" तैयार होता था उसे बातचीत से तय किये गये सौदों के जरिये बेचा जाता था, जो बहुत ही असंतोषजनक था परंतु इसे नियंत्रण में लिये जाने के बाद सार्वजनिक नीलामी की प्रणाली लागू की गई। मेरी राय में सार्वजनिक थोक नीलामी की प्रणाली को वांछनीय और उचित नहीं समझा जाना चाहिए।

गत एक वर्ष के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक प्रचार के साथ नीलामी की गई और उसमें काफी अधिक मूल्य मिला...

श्री मधु लिमये : किससे अधिक ?

श्री के० डी० मालवीय : दो वर्ष पहले के मूल्य की तुलना में वह मूल्य अधिक था...

प्रो० मधु दण्डवते : हमें एक बात पर संरक्षण दीजिए। मंत्री महोदय ने कहा है कि दो वर्ष पहले के मूल्यों की तुलना में वह मूल्य अधिक था। क्या उस समय नीलामी होती थी ? मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

श्री मधु लिमये : उन्हें उन सौदों की जांच करनी चाहिए।

श्री के० डी० मालवीय : बातचीत से तय किये गए सौदों के बारे में मैंने केवल 'नीलामी' शब्द का प्रयोग किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को भाषण के अन्त में प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायगी। मंत्री महोदय को बोलने दिया जाये।

श्री के० डी० मालवीय : इन सार्वजनिक नीलामियों के बीच 'इस्को' ने पहले के मूल्यों को आधार मानते हुए बातचीत से तय किये गए मूल्यों पर कुछ व्यक्तियों को "स्क्रैप" बचा। यह प्रणाली वांछनीय नहीं थी, इसलिये इसे समाप्त कर दिया गया। यह निर्णय किया गया कि

पिघलने वाले उपलब्ध "स्क्रैप" को पहले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को देने की पेशकश की जायेगी। हम नीलामी की प्रथा को हतोत्साहित करना चाहते हैं। इसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनके अपने प्रयोग के लिये देने का उद्देश्य है...

श्री सोमनाथ चटर्जी : किस दर पर? दर कौन निर्धारित करता है?

श्री के० डी० मालवीय : वहां के सम्बद्ध व्यक्ति दरें निर्धारित करते हैं।

इस्पात के "स्क्रैप" की उठाईगिरी के साथ-साथ इस्पात से बनी वस्तुओं की चोरी की शिकायतों का भी उल्लेख किया गया है।

अब एक 'स्क्रैप' यार्ड बनाया गया है और इससे भविष्य में चोरी रोकी जा सकेगी। इस स्टाकयार्ड में "स्क्रैप" को किस्मवार अलग कर लिया जायेगा ताकि उससे अधिक मूल्य मिल सके।

ठेके के श्रमिकों की भर्ती की प्रणाली एक बिगड़ी हुई प्रणाली थी और वह इतनी खराब प्रथा भी नहीं थी क्योंकि 50 प्रतिशत रिक्त स्थान विद्यमान कर्मचारियों के बच्चों के लिये आरक्षित थे।

प्रबन्ध को सरकारी नियंत्रण में लिये जाने के बाद भर्ती की प्रणाली को युक्ति संगत बनाया गया है। यह निर्णय किया गया है कि नई भर्ती रोजगार कार्यालयों के सहयोग से की जायेगी। यह सुनिश्चित करने के लिये कि भर्ती नीति स्वस्थ और उचित हो, सलाहकार व्यवस्था निकसित की जा रही है।

प्रो० मधु दण्डवते : ठेके के श्रमिकों का क्या होगा?

श्री के० डी० मालवीय : हम इसके पक्ष में तो नहीं है परंतु श्रमिकों की संयुक्त वार्ता समिती इस बात पर सहमत हुई है कि कुछ मामलों में ठेका श्रमिक प्रणाली को धीरे-धीरे हटाया जा सकता है।

श्री रे की सेवाएं स्वत: समाप्त हो गई थी। श्री भय्या की अध्यक्षता में नया छोटा न्यूक्लियस प्रबन्ध बोर्ड बनाया गया है। जब हम टाटा या किसी अन्य संस्था से किसी कुशल अधिकारी को नियुक्त करते हैं तो आपत्ति उठाई जाती है।

नयी व्यवस्था के अन्तर्गत श्री भय्या को नियुक्त किया गया। हमें अभी सूची पूरी करनी है। हमें प्रबन्ध बोर्ड के लिये 9 व्यक्तियों की नहीं, 7 व्यक्तियों की आवश्यकता है। अब तक 6 व्यक्ति नियुक्त किये जा चुके हैं। वे सामान्य ढंग से काम कर रहे हैं और सम्बद्ध सौहार्दपूर्ण हैं।

अन्तर्संघीय प्रतिद्वन्द्विता के बारे में कल काफी कुछ कहा गया है। विशिष्ट चुनाव के बारे में अधिक कठिनाई है। श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

एक सुझाव दिया गया है कि बिक्री, वितरण और उत्पादन की सभी समस्याओं को एक साथ समेकित किया जाना चाहिए। यह व्यावहारिक समाधान नही है। वितरण व्यवस्था को संगठित किया गया है और इसमें और सुधार किया जायेगा। श्री दंडवते ने कहा कि 40 प्रतिशत इस्पात काले बाजार में बेचा जाता है। मुझे इसकी जानकारी नही है। हमारी बराबर यही इच्छा रहती

[श्री के० डी० मालवीय]

है कि वितरण प्रणाली में सुधार हो। इस्पात प्राथमिकता समिति है। इस पर इस्पात मंत्रालय का पूर्ण नियंत्रण नही है। विभिन्न आर्थिक मंत्रालयों के सचिव साथ बैठकर प्राथमिकताओं का आवंटन करते हैं। इस प्रकार लगभग 80 प्रतिशत इस्पात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जाता है। परन्तु कभी कभी ऐसा नहीं होता है। अतः हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए।

कोयले तथा इस्पात अर्थात दोनों विभागों के सचिव अनुभवी हैं जो हर मामले को व्यापारिक दृष्टि से देखते हैं। अतः मैं न तो किसी की प्रशंसा कर रहा हूं और न ही किसी की बुराई। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि हम एक नई प्रणाली अपना रहे हैं।

मंत्रालय के कार्य को सुचारुरूप से चलाने के हित में किये गये परिवर्तनों की आलोचना नहीं की जानी चाहिये। माननीय सदस्य के सामने यदि कोई विशेष प्रश्न है तो वे मुझे से पूछताछ कर सकतें हैं।

कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये हमारे पास निश्चित नीति है। उनका चयन एक चयन समिति करती है और बाद में हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि स्थानिय व्यक्तियों को रोज़गार दिया जाये। हम उन्हें रोज़गार के मामले में प्राथमिकता देते हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Minister has not given any clear assurance that this company after it restore its health, will not be returned back to old management. In regard to abolition of contract system, Government should have come out with a time-bound phased programme.

It is not correct to say that larger income from the acution of scrap accrued due to rise in its prices. In fact there had been a lot of bungling in the matter of sale of scrap. I drew the attention of the Prime Minister towards it. How can the Minister feel disturbed if there is bungling in the old scrap deal (*Interruptions*) Thorough investigations should be made into the earlier scrap deals and guilty and dishonest persons should not be allowed to escape the provisions of law otherwise even great companies will became sick on account of such wrong policies of Government.

As pointed out, Government is making all out efforts to increase the production and keep a watch on the distribution ofsteel. Is it also not the duty of the steel Ministry to control the end use of steel ? I have alleged that Maruti Limited sells the steel in the blackmarket.

Shri K. D. Malaviya : 900 tons of steel was given to the Maruti Limited during the current year. We have been giving priorities to all the private indusries.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कह चुके हैं कि प्रबन्ध को पुराने प्रबन्धक बोर्ड को वापिस करने का कोई इरादा नहीं है। इस स्थिति में अवधि बढ़ाने का क्या रहस्य है, मैं यह नहीं समझ सका। मंत्री इस्पात वितरण के बारे सब कुछ कह चुके हैं। मेरे विचार में इस चर्चा को छोड़ देना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : I touched three issues about this subject which were relevant. In addition I want to emphasise the importance of having some sort of control over the end use and give priorities to the projects which aims at increasing agricultural production.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 जून, 1974 को प्रख्यापित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 4) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 3, खंड 4, खंड 5, खंड 6, खंड 7 से 11, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 3, खंड 4, खंड 5, खंड 6, खंड 7 से 11, खंड 1 अधिनियम सूत्र प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए

Clause 3, Clause 4, Clause 5, Clause 6, Clauses 7 to 11, Clause 1, the Enacting Formula, The Preamble and the Title were added to the Bill.

श्री के० डी० मालवीय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक को पारित किया जाये "

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I want to say a few words about Board of Management. There are many persons in the Board of Management who are not enjoying a good reputation. This is not proper, Minister should look into it.

The Government is committed to do away with the system of contract labour. Many corrupt practices are rampant with this system and the labour is being exploited. Government should see that this system is abolished.

It is the declared policy of the Government to nationalise those undertakings whose management has been taken over because they are being mismanaged. Government should see that this company is nationalised as early as possible.

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : कल मैंने पूछा था कि प्रबन्ध प्रणाली को परिवर्तित करना क्यों जरुरी था ? पहले सलाहकार बोर्ड के सदस्य कौन कौन थे ? आप कहते है कि 43 करोड़ रूपये लागत का पुनर्वास कार्यक्रम अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है । अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिये एक दीर्घकालीन समेकित विकास कार्यक्रम कैसे हो सकता है ? स्टील आथोरिटी आफ इंडिया और इस्को के बीच आपसी सम्बन्ध कैसे होंगे । आप प्रशासन को क्या क्या शक्तियां देंगे ? इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को सुव्यवस्थित करने तथा इससे लाभ प्राप्त करने के लिये क्या कार्यक्रम है ? क्या आप ने इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को सुव्यवस्थित ढ़ंग से चलाने के लिये कोई दीर्घकालीन योजना बनाई है ? कृपया इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दें ?

श्री के० डी० मालवीय : इस सरकारी क्षेत्र के एकक को सुचारूरुप से चलाने की ओर हम पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं ताकि यह अपने पांवों पर खड़ा हो सके । इसे अपने हाथ में लेने का अभी समय नहीं आया है ।

स्टील आथोरिटी आफ इंडिया एक होल्डिंग कम्पनी है । इसका उद्देश्य तालमेल लाना, दीर्घकालीन योजना बनाना, मंत्रालय के साथ सम्पर्क स्थापित करना आदि आदि है । इसकी ओर से कोई हस्ताक्षेप नहीं होता ।

सरकार यथासम्भव सुधार लाने का प्रयास करेगी । मेरे विचार में सभी इस्पात कारखानों को अपना कार्य करने के लिये पूरे पूरे अधिकार मिलने चाहिये । हम उन्हें अधिक से अधिक अधिकार दे रहे हैं । कभी कभी उनकी गलतियों का हमें इस सदन में भी स्पष्टीकरण करना पड़ता है ।

Both Government and Management representatives have agreed to abolish the contract labour at the earliest but it will take sometime.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was Adopted.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1974-75
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1974-75

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हैं । यदि माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं, उपस्थित हैं तो वे अपने कटौती प्रस्ताव पेश कर सकते हैं ।

खाद्य, वित्त, औद्योगिक विकास, रक्षा और पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
8	39	**श्री पी० जी० मावलंकर**	समाज के कमजोर वर्गों के लाखों लोगों के लाभ के लिये कुशल, न्यायपूर्ण और सुगठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कायम रखने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाए ।
,,	40	,,	उपभोग की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिये अधिक अन्न उपजाने में कृषकों की सहायता करने में असफलता ।	,,
38	41	,,	राष्ट्र को इसके वर्तमान भारी आर्थिक संकट और वित्तीय कठिनाइयों से उबारने में असफलता ।	,,
,,	42	,,	सभी आवश्यक तथा अन्य वस्तुओं के निरन्तर बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में असफलता ।	,,
,,	43	,,	अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर कारगर तथा कुशल ढंग से नियन्त्रण करने में असफलता।	,,
,,	44	,,	समस्त देश में बढ़ रही तस्करी से दृढ़तापूर्वक निबटने में असफलता ।	,,
,,	45	,,	बढ़ते हुए मूल्यों और वस्तुओं की कमी से निश्चित मजूरी और आय वाले लोगों की रक्षा करने में असफलता ।	,,
,,	46	,,	सरकारी व्यय में पर्याप्त मित-व्ययता करने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
38	47	(श्री पी0 जी0 मावलंकर)	देश के सूखे से प्रभावित सभी क्षेत्रों के लिये बडे पैमाने पर तुरन्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
,,	48	,,	प्रशासन में अपव्यय कम करने और नौकरशाही रुकावटें दूर करने में असफलता ।	,,
,,	49	,,	आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक विकास की दर को बढ़ाने में असफलता ।	,,
,,	50	,,	अर्थव्यवस्था में काले धन के प्रभुत्व को रोकने में असफलता ।	,,
58	51	,,	कच्चे माल तथा उपभोक्ता वस्तुओं की सभी प्रकार की कृत्रिम कमी को दूर करने में असफलता ।	,,
,,	52	,,	राष्ट्र के सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लिये सभी व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासों में कार्यकुशलता, ईमानदारी, नेकनीयती और परिश्रम को बढ़ावा देने तथा ठोंस प्रोत्साहन देने में असफलता ।	,,
65	53	,,	छोटी और बड़ी नदियों में बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिये दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपाय करने में असफलता ।	,,
8	63	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार की बाढ़ पीड़ित जनता के लिये 25 हजार टन खाद्यान्न का विशेष कोटा देने में असफलता ।	,,
,,	64	,,	गल्ला चोरों, मुनाफाखोरों, जखीरेबाजों के विरुद्ध 'मिसा' के अन्तर्गत कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
,,	65	,,	बिहार को एक लाख टन खाद्यान्न प्रति मास देने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
8	66	(श्री रामावतार शास्त्री)	खाद्यान्नों के मूल्यों में कमी करने तथा उनके उचित वितरण के लिये राजकीय व्यापार की प्रथा लागू करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाए ।
19	67	,,	सेना में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों की भर्ती करने में असफलता ।	,,
,,	68	,,	दानापुर छावनी बोर्ड के अन्तर्गत सड़कों की दयनीय स्थिति ।	,,
,,	69	,,	बिहार रेजिमेंट में अल्पसंख्यकों की भर्ती करने में विफलता ।	,,
38	70	,,	काले धन को निकालने में विफलता ।	,,
,,	71	,,	100 रुपये के नोटों को रद्द करने में विफलता ।	,,
76	72	,,	पटना में गंगा नदी पर बनने वाले सड़क पुल के लिये पूरी राशि देने में विफलता ।	,,

श्री नूरुल हूडा (कछार) : सरकार ने अनुपूरक अनुदानों की मांगें इसलिए पेश की हैं क्योंकि सरकार ने यह संकेत पहले ही दे दिया था कि वह कराधान में वृद्धि करके संसाधनों को बढ़ाना चाहती है । फरवरी के बजट में ऐसी मदों पर कर लगाया गया जिससे आम जनता प्रभावित हुई। इस बार भी वित्त मंत्री ने सदन में बताया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगले अवसर पर चर्चा जारी रखें ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

45 वां प्रतिवेदन

श्री अमर नाथ चावला (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 45वें प्रतिवदन से, जो 28 अगस्त, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 45वें प्रतिवेदन से, जो 28 अगस्त, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

कृषि श्रमिकों संबंधी संकल्प

RESOLUTION RE : AGRICULTURAL LABOUR

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री गदाधर साहा द्वारा 2 अगस्त, 1974 को पेश किए गये संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे । इस संकल्प पर चर्चा के लिए चार घंटे रखे गए थे । 2 घंटे 5 मिनट तक चर्चा पहले ही की जा चुकी है । शेष चर्चा आज की जाएगी श्री नाथूराम अहिरवार अपना भाषण जारी रखें ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मुझे भी अपना संकल्प पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं माननीय सदस्य के अनुरोध का समर्थन करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मुझे श्री मिश्र के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : लगता है इस बारे में सबकी एक राय है । मैं माननीय सदस्य को संकल्प पेश करने का अवसर दूंगा ।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : I was submitting the other day that agricultural labour of rural areas get employment only during Kharif and Rabi season. Rest of the time they are out of job and run to cities in search of job.

State Governments and the Central Government have decided to distribute land among landless labour. But actual position is that poor people do not get land and even if they get they are forced by the powerful persons of the village to leave the possession. In U. P. land is distributed through Panchayats. But powerful landlords have domination over Panchayats. So, what happens, land is distributed only on papers. There landlords have hands and gloves with the Tahsildars also. My suggestion is that the work of land distribution should be handed over to state Authorities or this work should be entrusted to People's Committees.

Mechanised farming has rendered landless labour unemployed. What steps are being taken to provide job to such labour. They should be employed in crash programmes and other repairing works of roads and ponds. Central Government should issue instructions to State Governments that they should distribute land among Harijans.

In 1968, 150 acres of fallow land was distributed to 18 families. But this land was mutated in the name of affluent farmers. Government should take steps in this regard so that above-mentioned families may get their land back. 70 percent people of the total population are living below the poverty line. Government should give serious thought towards this grave situation and chalkout a plan for the welfare of the poor section of the society. With these words, I support the motion.

Shri Vishwanath Pratap Singh (Phulpur) : It is a matter of a shame that a farmer who produces foodgrains for the entire population of India is living in a miserable position. Although considerable progress have been made in various fields after India attained freedom, yet the benefits have not reached our weaker sections of the society. No doubt, arrangements have been made to provide water, power, means of communications and vehicular transport to the rural areas but landless labour is too poor to make use of these facilities.

Central Government have allotted considerable funds for the welfare of the weaker and the downtrodden sections of the society. But unfortunately these funds do not reach those far whom they are allocated. We should do collective efforts to streamline the administrative structure. We should realise the fact that today there is awakening in the weaker sections of the Society. It is proper time for us to pass the Bill.

सभापति महोदय : श्री मिश्र के संकल्प के लिए भी समय रखा जाना है । मेरे पास दस सदस्यों की सूची है । इसलिए हो सकता है कि समय के अभाव में सभी सदस्यों को बोलने का अवसर न मिले । फिर भी मैं प्रयत्न करुंगा कि अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर मिल सके ।

***श्री जे० माता गौंडर** (नीलगिरी) : मैं श्री गदाधर साहा द्वारा पेश किए गए संकल्प का हार्दिक समर्थन करता हूं । संसदीय कार्य मंत्री ने इस सकल्प को स्वीकार करने का संकेत भी दिया है । इससे संकल्प की महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है ।

वर्ष 1970-71 में कृषि उत्पादन 10.842 करोड़ टन था जो वर्ष 1971-72 में कम होकर 10.517 करोड़ टन रह गया । वर्ष 1972-73 में यह और कम होकर 9.520 करोड़ टन हो गया । वर्षा न होने के कारण उत्पादन में आने वाली कमी के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । वास्तविकता तो यह है कि खेती करने वाले मजदूरों को मूल सुविधाएं नहीं दी गई जिसके कारण उन्होंने दिल लगाकर काम नहीं किया ।

हांलाकि 'भूमि सुधार' का प्रचार गत 27 वर्षों से किया जा रहा है, फिर भी राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित 88 भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को केवल गत सप्ताह ही सदन द्वारा पारित किया गया है । केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत अधिक विलम्ब करने के कारण राज्य सरकारें प्रभावी ढंग से भूमि सुधार करने में असमर्थ रहीं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए मकान बनाने के बारे में 15 राज्य सरकारों ने निर्माण और आवास मंत्रालयों को प्रस्ताव भेजे थे । परन्तु इनकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की । देश में इस समय 11 करोड़ भूमिहीन श्रमिक है । आश्चर्य है कि ऐसी विकराल समस्या की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही । तमिलनाडु में द्रमुक सरकार ने उन प्लाटों पर स्वामित्व का अधिकार दे दिया है जिस पर भूमिहीन श्रमिकों ने अपने मकान बना रखे हैं । अन्य राज्य सरकारों को भी इस उदाहरण को अपनाना चाहिए ताकि भूमिहीन श्रमिकों के आवास की समस्या हल की जा सके ।

भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन के समय अतिरिक्त भूमि को पूरी तरह नहीं बांटा गया । केरल में 46,595 एकड़ भूमि उपलब्ध थी जबकि केवल 1970 एकड़ भूमि वितरित की गई । इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में 58,000 एकड़ भूमि में से केवल 4,751 एकड़

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री जे० माता गौडर]

भूमि वितरित की गई । तमिलनाडु में 15,431 एकड़ भूमि में से 6,063 एकड़ भूमि का वितरण किया गया । सरकार को भूमिहीन श्रमिकों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन के लिए गम्भीरता से कार्यवाही करे ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : बड़े बड़े विद्वान अर्थशास्त्रियों ने शोधग्रन्थ लिखे हैं, प्रत्येक व्यक्ति निर्धनों के भाग्य पर चिन्तित है । खेतिहर श्रमिक देश में निर्धनतम वर्ग है । हमें यह देखना चाहिये कि उनकी इस प्रकार की स्थिति का क्या कारण है तथा इस स्थिति को दूर करने के लिये हमें सुझाव देने चाहियें ।

बेरोज़गारी दूर करने के लिये वर्ष 1971 में एक द्रुत कार्यक्रम बनाया गया था । कुछ सड़कें बनाई गयी, परन्तु वे अधूरी पड़ी हैं । बहुत सी सड़के बाढ़ और वर्षा में बह गई हैं । मुद्रास्फिति के संकट का बहाना करके इस कार्यक्रम को छोड़ दिया गया है । बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी निर्धनों को कोई लाभ नहीं हुआ है ।

खेतिहर श्रमिक एक असंगठित वर्ग है । कारखानों की तरह उनका कोई मज़दूर संगठन नहीं है । इनकी कोई राजनैतिक शक्ति नहीं है । उसी कारण उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती---उनके बारे में कोई चिन्ता नहीं की जाती । अतः सभी राजनैतिक दलों द्वारा इन श्रमिकों को संघटित किया जाना चाहिये ।

देश में सभी और दुधकी बहुत कमी है । सत्ताधारी दल को इन श्रमिकों को दूध देने वाले पशु उपलब्ध कराने के लिये 500 से 1,000 रुपये तक ऋण की व्यवस्था करनी चाहिये । खाद्य तेलों की बहुत कमी है । समाज का एक वर्ग ऐसा है जो इसकी व्यवस्था कर सकता है । सरकार द्वारा इस वर्ग को सुविधायें दी जानी चाहियें ।

केन्द्रीय सरकार ने भूमि वितरण के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं । राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कानून बनाये हैं और वे उन्हें क्रियान्वित भी कर रहे हैं, परन्तु नोकरशाही की भूमिसुधार योजना के साथ कोई सहानुभूति नहीं है । परिणाम यह है कि केन्द्रीय निदेश के उपरान्त भी ये लोग क्रियान्वयन में योजना का अनुचित लाभ उठा रहे हैं । भूमि वितरण कार्य तहसीलदार अथवा कानूनगो के कमरों में नहीं अपितु स्थान विशेष पर ही किया जाना चाहिये । भूमिवितरण के बारे में पूरे गांव को पहले ही अवगत कराया जाना चाहिये ताकि गांव के सब लोक उस स्थान पर एकत्र हो सकें और लोगों को अनुचित लाभ उठाने से रोक सके । गांवों में लोगों को रोज़गार भी दिया जाना चाहिये । मेरा सुझाव यह है कि घरेलु उद्योगों, पशुपालन, भूमिवितरण तथा ऋणसुविधाओं के बारे में ठोस योजनायें बनायी जानी चाहियें । केवल तभी इस दलितवर्ग का उद्धार हो सकता है ।

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : The member of agricultural labourers and small farmers is very large. They are not less than 50 crores, out of total population of 60 crores. Unless the problems of such a large section of the population are solved how can we say that we have removed poverty from the country. They are leading a miserable life. Their daily needs are not within their reach.

The landless labourers are not getting equal wages at all places in the country, those who reside near the cities are getting higher wages while those away from the cities are getting lower wages. The wages of this section of the labourers should be fixed and all the state Governments should be asked to enforce those wages.

The Planning Commission has not given a serious thought to the conditions of the poorer ections of people during the four Plans. Our planning should start from the poor sections of the society. That will also help in getting peoples help in the implementation of the Plans.

The small farmers development Package programme should be extended and enforced in more and more districts where small farmess are in large numbers. Secondly, the Government shoul l encourage the setting up of job-oriented industries or small scale industries.

ThePlanning Commission has not encouraged the setting up of industries in rural areas It is wrong. It is absolutely necessary to have more and more small scale industries in villages so that employment opportunities in rural areas increase.

Shrimati Sahodra Bai Rai (Sagar) : There has been no improvement in the condition of agricultural labourers during the last 25 years. Poor Harijans and Adivasis have no means to make proper use of the land if it is given to them. The Government should provide all necessary facilities to them so that they may properly cultivate their lands.

The poor landless workers find it difficult to keep land in their possession, if it is given to them. Big farmers, who have enough money, try to grab the land in the possession of the poor labourers. Necessary protection should be given to poor landless Harijans so that their land is not grabbed.

There are a large number of women among landless workers. They should get adequate wages. Their minimum daily wage should be Rs. 4. A male worker may be given Rs. a day.

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : The Government of India is responsible for this sad plight of agricultural labourers. The Government did not think about the people residing in villages. They have been busy with urban development. This is because they have neglected 70 per cent people living in villages. Fifty per cent people out of the 70 per cent rural population are landless and unemployed. This state of affairs in villages attracts the villagers to cities and it is for th s reason that the cities are overcrowded today.

There is a great need for increasing the employment opportunities in rural areas If landless workers are employed, their lot may be ameliorated. The Government should undertake a programme for construction of roads in rural areas in a highway. Villages should be electrified and the cottage industries should be developed there.

There are vast tracts of land near railway tracks. This land is not being utilized. Such land should be given to the landless. This will go a long way in increasing our agricultural production. Land ceiling laws should be implemented properly. The Government should ensure that the landlaws are strictly enforced by the states.

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal) : Sir, the unemployment and poverty is increasing with a galloping speed. Two-third of the people out of the 1 crore unemployed are living in villages. The number of semi-employed is even larger, than the unemployed. Agricultural workers are the worst affected in these days of soaring prices.

The National Commission on agriculture has made certain recommendations in regard to need based minimum wage. The State Government should fix need-based minimum wage for agricultural workers.

The Number of agricultural labourers is increasing. The land is in the possession of vested interests. This is a very sorry state of affairs.

The system of bonded labour is still privalent in certain areas. This system should be abolished completely.

[Shri Paripoonranand Painuli]

The Government has fixed minimum prices of foodgrains. No doubt this is beneficial for farmers but it has added to the difficulties of agricultural workers. They have to get foodgrains at higher prices.

There are various laws for giving protection to Adivasis but still they are suffering. In Maharashtra, in a village called Dhulia, there are 40 per cent Adivasis out of the total population of the village. Landlords, capitalists and contractors have usurped their lands. The Government and all of us should by over level best to protect the interests of Adivasis and landless labourers.

Land ceiling laws should be enforced honestly. Committees should be set up at district levels to get back the land usurped by certain persons in a wrong manner. All the states should enact legislation on the lines of Kerala Agricultural Workers Act. Land Army should be formed in all the states on the pattern of land Army in Karnataka. The scheme for marginal farmers and landless labour should be modified and made applicable in backward areas. Landless labourers, Harijans and Adivasis should be given preference in the matter of jobs in Khadi Commission. Crash programme should be reintroduced after removing its shortcomings and agricultural workers should be given preference for employment under that programme.

सभापति महोदय : म अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर देना चाहता हूं।

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : मेरा नाम क्यों नही पुकारा जा रहा है ?

सभापति महोदय : मैं अधिकाधिक सदस्यों को अवसर देना चाहता हूं। परन्तु सभा ने तीसरा संकल्प लेने का भी निणय किया है। अत: मेरे पास मंत्री महोदय को बुलाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। मंत्री महोदय को 5 बजे बुलाऊंगा तब तक मैं अधिकाधिक सदस्यों को अवसर देना चाहता हूं।

Shri Darbara Singh : Sir, seventy per cent people of the country are living in village and they depend on agriculture for their livelihood. Agriculture is not receiving adequate attention. Allocations for agriculture in annual plans are decreasing from year to year. This goes against the interests of the agricultural and landless labour. Rs. 2500 to 3000 crores are being provided for the town city of Bombay but nothing is being done to set up industries in villages. Why do they not set up small scale industries in rural areas so that the villagers may have an assured income.

The number of landless workers is very large. Distribution of surplus land amongst the landless and agricultural labour will not solve the problems of this sections. The condition of landless labour can be improved only if small scale industries are set up in rural areas. Cottage industries should be set up in villages in a big way so that landless workers may get jobs there and they may have means to earn their livelihood.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : This proposal does not contain any such thing that the Government might have objection to accept it.

The industrial workers are organized but the agricultural workers have been the victims of pressure for centuries and they have been victims of maladministration from 27 years. The poor landless Harijans deserve special concessions so that they may rise.

We should adopt the principle of one man one job. It would go in a long way in ameliorating the lot of landless workers. If crop insurance is introduced for small farmer their lot would also improve a great deal.

The question of land is badly linked with mismanagement. The ceiling Acts that have been passed are ineffective. A discussion should be held on the issue of landless Harijans. The entire land is with the people who do not cultivate it. The land should be taken away from the Ministers, Members and others who do not cultivate it.

The small farmers have to face a lot of difficulties regarding fertilizers, seeds, power etc. These should be removed.

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : इस विशेष संकल्प का सिद्धान्त सराहनीय है और इसपर सरकार को ध्यान देना चाहिए किन्तु जब अपार जनशक्ति उपलब्ध है तब उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता ? जनशक्ति को किस प्रकार उपयोग में लाया जाये इस पर योजना आयोग को विचार करना चाहिए । भूमिहीन कृषि श्रमिक 70 प्रतिशत हैं । बेरोजगार लोग निराश न हों--यह सुनिश्चित करने के लिये योजना आयोग को ध्यान देना चाहिए । बहुत से लोगों ने बेरोजगारी की समस्या पर सुझाव दिये हैं । गैर-निपुण श्रमिकों को उत्पादन में लगाया जाना चाहिए । प्रत्येक राज्य में रोजगार प्रदान करने का कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए । योजना आयोग औद्योगिक संस्थानों के उपयोग में असमर्थ रहा है ? क्या कारण है कि हमारे बहुत से प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग नहीं हो पाया है ?

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : क्या आप मुझे समय देंगे ?

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकती ।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : मैं कुछ समस्याएं रखना चाहती थी । यह बहुत अनुचित बात है ।

इसके पश्चात् सदस्य महोदया सभा से उठकर चली गईं ।

The Hon. Member then left the House.

श्री के० लक्कप्पा : योजना आयोग को विभिन्न राज्यों से यह पता लगाना चाहिए कि क्या वह विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं या नहीं ? उन्हें उनकी क्रियान्विति का प्रयत्न करना चाहिए । मेरा सुझाव है कि निपुण और गैर-निपुण व्यक्तियों को समाजवादी कार्यक्रमों में लगाया जाये । योजना आयोग को इस बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तभी हम समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं ।

Shri Muchi Raj Sauni (Dehradun) : Agricultural workers are the backbone of a country's economy. They produce the foodgrains needed by the people. The Planning Commission says that there is no necessity of small-scale industries in the villages. With the industrializations, the industries have concentrated in the cities. The artisans should be absorbed in the villages. Our plans are capitalistic and city-oriented. These have been prepared in air-conditioned rooms. They are ignorant of the conditions of the poor people in the villages.

It would have been better if the Planning Minister would have brought forward a comprehensive Bill. He may please bring forward such a legislation in the next session.

श्री ए० क० एम० इसहाक (बसिरहाट) : आधुनिक कहे जाने वाले शहरी लोगों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया जाता रहा है । आपको आश्चर्य होगा कि भूमि की उच्चतम सीमा के नियम, नगरों में निर्धारित एवं क्रियान्वित किये गये हैं परन्तु गांवों में ऐसा कुछ नहीं किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सेवाओं की सुरक्षा प्राप्त नहीं

[श्री ए० के० एम० इसहाक]

हैं । औद्योगिक उत्पादों तथा शहरों में उत्पादित वस्तुओं पर तो कोई शुल्क नहीं लगाया जाता किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुछ भी पैदा किया जाता है उसपर शुल्क आदि लगा दिए जाते हैं । शहरों में एक व्यक्ति को दो किलोग्राम राशन मिल रहा है जबकि गांव वालों को 500-600 ग्राम तक ही राशन मिल पाता है । उत्पादक तो भुखमरी का सामना कर रहे हैं जबकि शहरों में रहने वाले ये आधुनिक लोग भरपेट भोजन कर रहे हैं ।

गरीब ग्रामीण लोगों की दशा में सुधार करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगभग 26,000 करोड़ रुपयों का निवेश किया गया है। इन सरकारी उपक्रमों से निश्चित रूप से ब्याज की दर से कम दर ली जानी चाहिए । उस धन से एक निधि तयार की जानी चाहिए और उस निधि से उन ग्रामीण लोगों की सहायता की जानी चाहिए जिन्हें एक वर्ष में चार या पांच महीने से अधिक काम नहीं मिलता । यह राशि उन ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधारने तथा उन्हें बेरोजगारी के बदले पेंशन देने के लिये उपयोग में लायी जानी चाहिए ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : संकल्प में यह सुझाव दिया गया है कि ग्रामीण लोगों के लिये पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा किये जाने चाहिए । यहां प्रश्न यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये अवसर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पन्न किए जायें । किसी विधेयक से रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं किये जा सकते । इस संकल्प द्वारा सरकार से सिफारिशें की गई हैं जिन्हें मैं पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ स्वीकार करता हूं । मेरा सदन से निवेदन है कि इस संकल्प को सर्व सम्मति से पारित करें ।

दूसरे, यह कहा गया है कि दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम वेतन नियत किया जाये तथा उसे ठीक प्रकार से लागू किया जाये । हमने पहले ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पास किया हुआ है । अतएव नया अधिनियम पास करने की आवश्यकता नहीं है । प्रश्न यह है कि उक्त अधिनियम को कैसे लागू किया जा रहा है । अगला सुझाव यह है कि खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की उनको गारंटी दी जाये । इसमें बड़े पैमाने पर वितरण का प्रश्न आता है और उन वस्तुओं को उचित दरों पर उपलब्ध करने की बात भी है । संकल्प द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से अधिनियम की क्रियान्विति की मांग की गई है ।

Shri H. C. Kachwai (Morena) : The period of 27 years is not less.

श्री मोहन धारिया : यह बात नहीं है कि सरकार ने इस बारे में प्रयत्न नहीं किये ह । चौथी योजना में भी छोटे किसानों एवं माध्यमिक किसानों के लिए विकास अभिकरणों आदि की स्थापना की गई है । बहुत से कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं । यह ठीक है कि कृषि मजदूर मूल्य वृद्धि से सबसे अधिक पीड़ित हैं ।

हमें इस बारे में विचार करना है कि बेरोज़गार लोगों के लिए रोजगार के अवसर किस प्रकार पैदा किये जायें और जिनके पास कम रोज़गार है उनको किस प्रकार पूरा रोजगार दिया जाये । यह संकल्प देश के समूचे आर्थिक ढ़ांचे विशेषकर ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र के बारे में है । हमें कृषि के विकास पर तथा कृषि पर आधारित उद्योगों के लगाये जाने पर अधिक जोर देना चाहिये । यह कहा गया है कि चौथी योजना में कृषि के लिए कम धनराशि निर्धारित की गई थी । हमें यह याद रखना चाहिए कि कृषि के साथ साथ हमें लोहा, सीमेंट, बिजली तथा उर्वरक आदि की भी आवश्यकता है । यदि हम उर्वरक उद्योग और बिजली उत्पादन पर जोर नहीं देते तो यह न केवल इन उद्योगों के साथ बल्कि कृषि के साथ भी अन्याय होगा । अतः हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है । यह कहना ठीक नहीं है कि इस वर्ष योजना में

कृषि संबंधी नियतन में कटौती का कर दी गई है । इस में कुछ सन्देह नहीं। कहीं कहीं कुछ कटौती करने का प्रस्ताव है परन्तु मैंने कल ही सभा को आश्वासन दिया था कि कृषि संबंधी नियतन में कटौती नहीं की जायेगी ।

मैं महसूस करता हूं कि यदि हमें लाखों लोगों को रोजगार देना है तो हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उपेक्षा नहीं कर सकते । हमें कुटीर एवं लघुउद्योगों को प्राथमिकता देनी होगी ।

योजना आयोग केवल योजना बनाने का ही कार्य करता है । क्रियान्विति का कार्य उसका नहीं है । हमने अब सभी राज्य सरकारों को योजना संबंधी निकाय बनाने को कहा है । इसके लिए हमने दो तिहाई व्यय केन्द्रीय निधि से देने का भी प्रस्ताव किया है । योजना के मामले में सम्बन्धित राज्यों के संसद सदस्यों को भी सम्बद्ध करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि राज्यस्तर पर भी पक्ष योजना निकाय बनाये जायें । पांचवीं योजना में हमने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे जिलास्तर पर भी योजनाएं बनायें । देश में आदिवासी तथा जनजाति खण्डों के लिए भी उप-योजनाएं बनाने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है । अब हमने योजना की सम्पूर्ण प्रक्रिया में लोगों को सम्बद्ध करने की नीति बनाई है ।

मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि हमें अन्य देशों से सहायता प्राप्त करने के बजाये देश के साधनों का ही लाभ उठाना चाहिए और विकास करना चाहिए चाहे उसके लिए कितना भी बलिदान क्यों न करना पड़े । यदि हम आज ऋण लेते हैं तो उसका बोझ आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा । हमें ऐसा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, इन सब बातों को देखते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो जाता है ।

श्री विरद सिंह राव : आप शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में क्या करने जा रहे हैं ताकि दोनों क्षेत्रों में समाजवाद के समान लाभ हो ।

श्री मोहन धारिया : सरकार की ओर से शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारण करने के बारे में पहले ही आश्वासन दिया जा चुका है ।

माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों का मैं स्वागत करता हूं । समय के अभाव के कारण उन सभी का उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं है । सरकार इस बारे में जागरुक है कि यदि समाज के कमजोर वर्गों को उचित राहत नहीं दी जाती है तो लोकतंत्र तथा संसदीय संस्थाएं खतरे में पड़ जायेगी । अतः मैं संकल्प का स्वागत करता हूं । मैं श्री डागा के संशोधन को स्वीकार करता हूं । मैं प्रस्तावक से अनुरोध करूंगा कि वह श्री डागा के संशोधन को स्वीकार कर ले और सभा में मेरा अनुरोध है कि वह इस संकल्प को सर्वसम्मति से पास करें । उस संकल्प का सामाजिक पहल भी है और मैं उसे स्वीकार करता हूं ।

***श्री गदाधर साहा** (बीरभूम) : जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और इसका समर्थन किया है मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूं । इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है । परन्तु यह खेद की बात है कि सरकार ने भूमिहीन बेरोजगार इन उपेक्षित लोगों की कठिनाइयों को दूर करने की कानूनी जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया है । हालांकि सरकार ने नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया है । अतः जब तक केन्द्र और राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी रहेंगी, भूमि सुधार कानून प्रभावी

* बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised, translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

[श्री गदाधर साहा]

ढ़ंग से लागू नहीं हो सकते । इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी इस बात से सहमत थे कि सरकार इन वर्गों को न्यूनतम आवश्यकताएं जुटाने में असफल रही है । केन्द्रीय सरकार ने भूमि सुधारों के नाम पर मध्यवर्ती काश्तकारी अधिकारों अथवा विनियमों को ही समाप्त किया है परन्तु बड़े बड़े जमींदारों की भूमि को नहीं छेड़ा गया है । सरकार पुराने जमींदारी ढ़ांचों को समाप्त करने में असफल रही है । राज्य सरकारों ने कुछ मामुली भूमि सुधार कानून बनाये हैं परन्तु उनको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है । वास्तव में ऐसा करने के लिए उनके पास उचित व्यवस्था ही नहीं है । जमींदारों के पास बागान, धार्मिक तथा शैक्षिक न्यासों तथा फार्मों के नाम पर अभी भी बहुत अधिक भूमि है । सरकारी कानूनों से वास्तव रूप में काश्त करने वालों को कोई लाभ नहीं हुआ है ।

मैं समझता हूं कि सरकार को उन सभी जमींदारों से जो सीधे रूप से खेती से सम्बद्ध नहीं है भूमि ले लेनी चाहिए और उस भूमि को भूमिहीन काश्तकारों में बांट देना चाहिए । सरकार ऐसा करने में असफल रही है । मैं ने प्रभावी भूमि सुधार कानून बनाने के लिए जो सुझाव दिये थे सरकार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है ।

सरकार ने अभी खेती की कुल भूमि की एक प्रतिशत भूमि को ही फालतू भूमि घोषित किया है । इसका अर्थ यह हुआ कि 99 प्रतिशत भूमि अभी भी जमींदारों के पास है । इस प्रकार सरकार अबतक कुल दस लाख हैक्टर भूमि ही प्राप्त करने में सफल हुई है । उसमें से सरकार ने भूमिहीनों को अबतक 0.5 मिलियन हैक्टर भूमिहीन लोगों को दी है । इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए गम्भीर नहीं है ।

फालतू भूमि के वितरण भ्रष्टाचार व्याप्त है । भूमि से आबंटन के लिए भू-समिति द्वारा पूरी जांच पड़ताल नहीं की जाती । दूसरी ओर मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार 'शेयर क्रापर' को पूरा संरक्षण नहीं देती । इस बात में सबूत दे सकता हूं ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए । आपका संकल्प स्वीकार किया जा चुका है ।

श्री गदाधर साहा : यदि सरकार मेरे द्वारा सुझाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर राज्य सरकारों को कानून बनाने के लिए कहे तो इन वर्गों की कठिनाइयों को किसी हद तक कम किया जा सकता है । इससे कृषि उत्पादन में जो स्थिरता आयी है वह भी समाप्त हो जायेगी । मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि संशोधन को वापस ले लिया जाये और मेरे संकल्प को स्वीकार किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संकल्प, —भाग (ग) में, 'at subsidised rates be guaranteed' ['राजसहायता प्राप्त दरों पर सुनिश्चित की जाये'] के स्थान पर 'at reasonable rate be made available' ['उचित दरों पर सप्लाई की जाये'] प्रतिस्थापित किया जाये ।"

(संख्या 1)

"कि संकल्प,—भाग (घ) में 'and genuine' ['तथा प्रभावी'] शब्द निकाल दिये जायें ।"

(संख्या 2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा चिन्ता व्यक्त करती है कि भूमिहीन कृषि श्रमिक तथा गरीब किसान जो ग्रामीण आबादी का 70 प्रतिशत है कारगर तथा यथार्थ भूमि सुधारों के न होने, रोजगार के अवसरों की कमी, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असामान्य वृद्धि तथा अन्य सामाजिक और आर्थिक अन्याय के कारण भारी कठिनाई में है और शिफारिश करती है कि—

(क) उनके लिए काम की शर्तें नियमित करके रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया किये जायें;

(ख) उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक उचित न्यूनतम मजूरी दर निर्धारित की जाये तथा उसे कारगर ढंग से क्रियान्वित किया जायें;

(ग) उन्हें उचित दरों पर खाद्य तथा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जाये; और

(घ) देश भर में अविलम्ब कारगर भूमि सुधार किये जायें ।"

संकल्प, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

The resolution, as amended, was adopted.

सरकार की वेतन स्थिरीकरण नीति का निरनुमोदन करने संबंधी संकल्प

RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF GOVERNMENT WAGE FREEZE POLICY

सभापति महोदय : सभा ने श्री श्यामनन्दन मिश्र को तीसरा संकल्प पेश करने के लिये अवसर देने का निर्णय लिया था । श्री पंडा के दूसरे संकल्प के लिए भी एक घण्टे का समय रखा गया है । अतः हमें अधिक समय तक बैठना होगा ।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा सरकार की वेतन स्थिरीकरण नीति के नये पहलुओं का निरनुमोदन करती है जोकि श्रमजीवी वर्ग के विरोध में है और आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम निर्वाह मजदूरी तथा जीवनयापन सूचकांक में वृद्धि के पूर्ण निष्प्रभावीकरण और स्वतंत्र सामुहिक सौदेबाजी द्वारा मजदूरी निर्धा रण के सुस्थापित तथा सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत है तथा सरकार से आग्रह करती है कि श्रमिकों के हित में तथा कार्मिक संघों से परामर्श करके इस नीति में परिवर्तन किया जाये ।"

[**श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए**
SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*]

सरकार की श्रम सम्बन्धी नीति में अनेक नई बातें उत्पन्न हुई हैं । सरकार ने अध्यादेश जारी करके मजूरी फ्रीज कर दी और फिर विधेयक द्वारा ऐसा किया गया । वास्तव में मजूरी में कटौती कर दी गई है जबकि मूल्य बढ़ रहे हैं । गेहूं तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 38 प्रतिशत

[श्री डी० के० पंडा]

वृद्धि हुई है । सरकार ने कुछ वस्तुओं में मूल्य नियंत्रण हटा लिया है । इससे भी मूल्यों में वृद्धि हुई है । मुद्रास्फीति को रोकने के नाम पर 'वेज फ्रीज विधेयक' यहां पर पास किया गया है । इससे पता लगता है कि सरकार की श्रम सम्बन्धी नीति किस ओर जा रही है । इसके पीछे वही गुप्त रिपोर्ट है जिसका उल्लेख श्रम मंत्री ने 26-7-74 को राज्य सभा में किया था । 'वेज फ्रीज' चक्रवर्ती आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है । साम्यवादी दल के सदस्यों ने यह मांग की थी कि इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाये । इसका सारा पाठ प्रकाशित हो चुका है । अतः इसे अब गुप्त नहीं समझा जाना चाहिए और मैं मांग करता हूं कि इसे सभापटल पर रखा जाये । 8-8-1974 को माननीय मंत्री ने कहा था कि इस रिपोर्ट पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है तथा निर्णय लिये जा रहे हैं । एक निर्णय 'मजूरी सेल' बताने का है । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह प्रतिवेदन अब गुप्त नहीं रहा है । अतः इसे सभापटल पर रखा जाना चाहिए । इस वेज फ्रीज विधेयक द्वारा आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के सिद्धान्त को समाप्त कर दिया गया है । मूल्य सूचकांक में जो वृद्धि होती है उसे निम्नस्तर पर महंगाई भत्ते द्वारा शत प्रतिशत निष्प्रभावी किया जाना चाहिए । निम्नस्तर पर मजूरी कम होती जा रही है । सरकार ने अब निर्धनता रेखा भी निर्धारित कर दी है । निर्धनता रेखायें अपर मजूरी में यदि कोई वृद्धि क्रमबद्ध ढ़ंग से ही दी जायेगी । यह बात 1957 में हुए भारतीय श्रम मामलों में स्वीकृत सिद्धान्तों के विरुद्ध है । इस बारे में पृष्ठ में विस्तार से उल्लेख किया गया है । सरकार अब न्यूनतम मजूरी को निर्धनता रेखा पर नियत करना चाहती है जबकि औद्योगिक मजदूर अपने उपायों से इस समय इससे कुछ अधिक प्राप्त कर रहे हैं । सरकार अपनी वर्तमान नीति में मजूरी में कटौती कर रही है ।

सरकार अब मजूरी बोर्ड पद्धति को लागू करने जा रही है हालांकि इसे सभी केन्द्रीय कार्मिक संघों द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है । इस प्रकार कर्मचारियों की सौदेबाजी की शक्ति को समाप्त किया जा रहा है । 'वेज फ्रीज' के सिद्धान्त का सभा में उपस्थित सभी सदस्यों तथा सभी कार्मिक संघों द्वारा विरोध किया जाना चाहिए । मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जहांतक मकान, खाना और शिक्षा की न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रश्न है न्यूनतम मजूरी को निर्धनता रेखा पर निर्धारित करने से देश के कार्मिक वर्ग को बहुत अधिक हानि होगी । यदि ऐसा हुआ तो देश को गम्भीर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ।

57 वें भारतीय श्रम सम्मेलन में इस वात को स्वीकार किया गया था कि न्यूनतम मजूरी आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। परन्तु सरकार की वर्तमान नीति से इसका उल्लंघन होते जा रहा है ।

अनेक बार ऐसी घोषनाएं की गई हैं कि सरकार आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के सिद्धान्त को क्रियान्वित करेगी परन्तु इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है । जब वेतन आयोग मजूरी निर्धारित करने वाला था तो सरकार ने उसपर दबाव डाला ताकि वह आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के सिद्धान्त को न अपनाये ।

तथापि इन बातों के बावजूद लोहा, इस्पात, सीमेंट आदि उद्योगों में हमारे श्रमिक कर्मचारी अपनी कुछ मांगें स्वीकार कराने तथा अपनी मजूरी को आवश्यकता पर आधारित मंजूरी के कुछ निकट लाने में सफल हुए हैं । वर्ष 1957 में आवश्यकता पर आधारित मजूरी देने की विचार-धारा बनी थी ।

Mr. Chairman : Mr. Pande, certain amendments are also to be moved on the Resolution and the Chief Whip of the Government has just now told me that they have no objections in extending the time of the House by one hour. Now, if you speak for more time, then I would have to take the concurrence of the House for taking the time. There are four other names also.

श्री डी० के० पंडा : हर प्रस्तावक को आधा घण्टा मिलता है और मैं भी अपना आधा घण्टा लूंगा । आप सभा का समय 8 बजे तक बढ़ा दीजिये परन्तु मैं अपने समय से वंचित नहीं होना चाहता ।

Mr. Chairman : You have already taken 15 minutes and there are still four members who want to speak. Then amendments are also to be moved. You would appreciate that other members should also express their opinion on your Resolution.

श्रीमती पार्वती कृष्णन : यह संकल्प अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों को समाचार पत्रों द्वारा तथा अन्य प्रकार से यह बताया जाता रहा है कि सरकार नये मजूरी ढ़ांचे के बारे में विचार कर रही है । अतः यह एक गम्भीर मामला है और सरकार ने इसे कभी भी सभा के समक्ष नहीं रखा है । आप भी समय में कटौती कर रहे हैं । क्या श्रमिक वर्ग को संवित करने की यही नीति है? यदि समय कम है तो आप सभा का आज समय बढ़ा दें ।

Mr. Chairman : For that I would have to seek the concurrence of the House.

श्री डी० के० पंडा : दूसरे अध्यादेश का अभिप्राय वेतन पर रोक लगाना (वेज फ्रीज) करना था । पहले अध्यादेश के द्वारा तो कंपनियों द्वारा लाभों के वितरण पर रोक लगाना परन्तु दूसरा अध्यादेश श्रमिकों व कर्मचारियों के विरुद्ध था जिसका वास्तविक अर्थ वेतन में कटौती करना ही है । इस विधेयक के फलस्वरूप कर्मचारी वर्ग अपने जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक वस्तुओं से भी वंचित हो जायेंगे । कहने को उनकी मजूरी का एक भाग जमा करने का उद्देश्य है परन्तु वस्तुतः मुद्रास्फीति के कारण उसका सरण ही होगा, मूल्य ह्रास होगा ।

इस प्रकार श्रमिकों को एक तो यह हानि हुई कि वे इस समय अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदने से वंचित र तथा दूसरे, उनकी जमा राशि का मूल्य ह्रास होता रहेगा । इस तरह श्रमिक वर्ग पर दो ओर से आक्रमण हुआ ।

'इकोनोमिक टाइम्स' के अनुसार मज़दूरों की मजूरी में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति नहीं होती है और न ही उनकी मजूरी में कमी करने या रोक लगाने से मुद्रास्फीती घट सकती है । मुद्रास्फीति के मूल कारण तो कुछ और ही हैं । यही विचार अनेक अर्थशास्त्रीयों ने व्यक्त किये हैं । फिर सरकार उन्हीं लोगों को क्यों आघात पहुंचाती है जो देश में सम्पत्ति पैदा करते हैं, देश में विभिन्न वस्तुओ का उत्पादन करते हैं और जो स्वयं बेचारे मुद्रास्फीति और मंहगाई का शिकार हैं ।

आज की स्थिति के लिये उत्तरदायी तत्वों में लाभ कमाने में वृद्धि, काले धन का प्रसार, किसानों से सीधे वसूली करने के संदर्भ में सरकार की प्रभावहीन नीति और कृषि तथा उद्योगों के संबंध में सरकार की दोषपूर्ण नीति आदि शामिल हैं । सरकार धनिक वर्ग को करों के बोझ से बचाए रख रही है जिनकी ओर आज कर की 833 करोड़ की राशि बकाया है जबकि श्रमिक और कर्मचारी वर्ग जिससे केवल 450 करोड़ रुपय की आय होगी उन्हें दबाया जा रहा है । क्या सरकार एकाधिकारियों, जमाखोरों तथा कर चुराने वालों की ओर बकाया 2000 करोड़ रुपये की राशि को वसूल करने के लिए कुछ कर रही है? इसी प्रकार बिजली की 146 करोड़ रुपये की धनराशि को वसूल करने के लिये भी प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं । जोकि कुलाकों तथा जमींदारों की ओर बकाया है । 400 करोड़ रुपये सहकारी संस्थाओं की ओर ऋण के रूप में बकाया हैं, इस राशि को भी वसूल किया जा सकता है परन्तु सरकार तो इन एकाधिकारियों तथा

[श्री डी० के० पंडा]

जमाखोरों के दिलों की सदा रक्षा ही करती आई है और इसके विपरीत श्रमिक वर्ग जैसे हाल ही में रेलवे कर्मचारियों आदि पर तो अत्याचार ही करती है। सरकार अपने इस नीति को छोड़ें। रेलवे कर्मचारियों पर हर प्रकार के अन्याय और अत्याचार किये जा रहे हैं। राष्ट्रपति की सलाह के बावजूद भी उन लोगों को भी शिकार बनाया जा रहा है जिन्होंने हिंसात्मक या तोड़ फोड़ की गतिविधियों मे भाग नहीं लिया।

आय तथा मूल्य संबंधी सरकार की नीति एक मज़ाक ही तो है। एक महान अर्थशास्त्री ने कहा है :—

"मजूरी की बढोत्तरी को एक सीमातक रोकने रखने के लिये आवश्यक है कि बेरोजगारी को उस उस सीमा तक बनाये रखा जाये जब तक वह काबू से बाहर न हो जाये।"

महान अर्थशास्त्रियों के ये विचार अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।

मेरा विचार है यह तथाकथित अंतरिक प्रतिवेदन सभापटल पर रखा जाना चाहिये और सरकार इस प्रतिवेदन की उन सभी सिफारिशों को अस्वीकार कर दे जो कि एक श्रमिक वर्ग के हितों के विरुद्ध हैं। करों की बकाया राशि की वसूली की जाये तथा कालेधन को बाहर निकालने के लिये बड़े नोट समाप्त किय जाये। वेतन में रोक के आदेश को वापस लिया जाये तथा चीनी, वनस्पति, कपड़ा तथा रूई जैसे आवश्यक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाये ताकि मुनाफाखोर लोगों का शोषण न कर सके, थोक खाद्यान्न व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लिया जाये और उसका वितरण सरकारी दुकानों तथा गांवों में लोकप्रिय समितियों के नियंत्रणाधीन किया जाये। उत्पादक किसान को लाभ-प्रद मूल्य दिये जाये। बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा सट्टेबाजी के लिय ऋण दिया जाना बन्द किया जाये। राज्य सरकार गैर-विकासीय ऋण भी देना बन्द कर दें।

उड़ीसा में चीनी उद्योग कर्मचारियों के लिये 1969 की मजूरी बोर्ड की सिफारिशें भी अभी तक लागू नहीं की गई हैं। कोयला खान तथा लौह अयस्क कर्मचारी अभी तक कांट्रेक्ट लेबर ही बने हुए हैं। सभी 75,000 विद्युत कर्मचारियों के बारे में भी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें तुरन्त पूरी तरह लागू की जायें।

सभापति महोदय : श्री मूलचन्द डागा ने एक संशोधन पेश किया था परन्तु वह यहां नहीं हैं। सभा सात बजे के बाद नहीं बैठ सकेगी। अतः शेष चार वक्ता 5-5 मिनट से अधिक न बोलें।

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : Shri Panda's Resolution does speak of the interest of the working class. Government's wage freeze policy is totally against the interest of our working class and therefor the Labour Ministry should recommend to the Finance Ministry to withdraw this order. On the other hand they should rectify their distribution system and take effective steps against monopolits and profiteers. However I oppose Shri Panda's suggestion about the take over of certain industries. Such a step should be taken only when the traders start making undue profits. In Delhi the non-ration card holders are facing great difficulty in purchasing ration from the market.

The opposition to the compulsory Deposit Scheme is mere due to the fact that the Government did consult the representatives of the workers before imposing this scheme. Today the prices are touching new heights everyday and the workers are not able to make both ends meet within this meagre wages. This situation gives rise to certain evil thoughts also so as to earn more money anyhow. Corruption has by now reached the definition of a bitter reality and unavoidable routine. So please withdraw your wage freeze order since it is wrong to assume that it would help in bringing down prices. On the other hand you should demonetise big currency notes to dig out black money. Increase in the wages and dearness allowance should continue. Your assessment of increase in prices should be done every month instead of quarterly.

श्री नूरुल हूडा (कछार) : श्री पण्डा द्वारा पेश किया संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा हाल ही में जारी किये गये अन्य देशों का विरोध न केवल समुचे विपक्ष ने किया बल्कि सत्तारूढ़ दल के भी कुछ सदस्यों ने भी यह स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त परिलब्धियों वधेयक तथा अनिवार्य जमा योजना को मुद्रास्फीति को रोकने के उद्देश्य सेनिरर्थक बताया है। उक्त विधेयक श्रमिक तथा कर्मचारी वर्ग के हितों के सर्वथा विरुद्ध हैं।

कुछ दिन पहले श्री ज्योतिर्मय बसु ने प्रो० चक्रवर्ती द्वारा दिया गया एक प्रतिवेदन पेश किया था जिसे सरकार ने अभी तक सभापटल पर पेश नहीं किया। इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि श्रमिकों को ऐसा वेतन नहीं दिया जाय जो गरीबी के स्तर से भी नीचे कर हो। प्रो० चक्रवर्ती के अनुसार अक्तूबर 1972 के मूल्यों के अनुसार, गरीबी का स्तर 40 रुपये प्रति मास है तथा पांच रुपयों के परिवार वाले एक श्रमिक को 200 रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिये। इस प्रकार वर्ष 1974 में इस परिवार के मुखिया को कम से कम 240 रुपये प्रतिमास मिलने चाहिये। यह बात स्पष्ट रूप से इस प्रतिवेदन में कही गई है और श्रमिक वर्ग के हितों में यह एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। इस में लाभों के स्थितीकरण अथवा नियंत्रण जैसी कोई बात नहीं है। सभा जानती है कि आज भी देश में कम से कम 100 बड़े परिवार अर्थात एकाधिकारी ऐसे हैं जो देश की जनता को अंधाधुन्द लूटे जा रहे है और करोड़ों रुपये का मुनाफा कमा रहे है। सरकार ने इनपर प्रतिबंध लगाने के लिये कोई अध्यादेश जारी नहीं किया है।

सरकार, तथा प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी भी प्राय: बेरोजगार युवकों के लिये आंसू बहाते हैं। आज देश में बेरोजगार की सरकारी संख्या लगभग 80 लाख है जबकि वास्तविक संख्या तो करीब चार या पांच करोड़ है। सरकार कृषि श्रमिकों तथा देश के गरीब किसानों की सहानुभूति में आंसू लुढ़काती है परन्तु उनका जीवन स्तर उठाने या बेरोज़गार युवकों को रोज़गार देने की बजाय सरकार उलटे श्रमिक वर्ग का वेतन स्थिर करके उन पर और कुल्हाड़ा चला रही है।

आज की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए हम मांग करते हैं कि सरकार अपनी नीतियां बदले। श्रमिकों के वेतन में कटौती करने में मुद्रास्फिति नहीं रुकेगी। देश में मुद्रास्फीति तो सरकार की गलत नीतियों तथा एकाधिकारियों, जमींदारों को संरक्षण देने में बढ़ रही है। अब श्रमिक वर्ग ने अपना संघर्ष आरंभ कर दिया है। परसों ही देश भर के लगभग 2000 प्रतिनिधि दिल्ली में जमा हुए थे और उन्होंने सरकार की वेतन स्थिरीकरण की नीति का विरोध किया था।

मैं श्री डी० के० पण्डा के संकल्प का समर्थन करता हूं और सरकार से अपनी नीतियों को बदलने की मांग करता हूं। अन्यथा सरकार को श्रमिकों तथा कर्मचारियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा जैसा कि गत मई मास में हुआ था। 17 लाख रेल कर्मचारियों जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का संघर्ष सरकार देख चुकी है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह अपनी ये गलत नीतियां छोड़ दे तथा प्रो० चक्रवर्ती और उनके विशेषज्ञ साथियों के प्रतिवेदन को स्वीकार कर ले। अन्यथा सरकार को गंभीरता असफलता का सामना करना पड़ेगा।

Shrimati Roza Deshpande (Bombay-Central) : I rise to support the Resolution moved by Shri D. K. Panda. It envisages a simple demand of minimum need based living wages for the working class, and full neutralisation of dearness. You gave dearness allowance since the prices had gone up. Your method of calculating actual rise in prices is also not justified and as such the workers do not get the D. A. which should be actually due to them. If you fully neutralise the dearness, there would be no need to grant D. A. On

[Shrimati Roza Deshpande]

working class does not want lunuries. They crave for getting only as much is necessary to make both ends meet. Therefore, you should provide them with minimum need bases wage or the national minimum wage. But you don't pay any heed to this demand. Then we had demanded the abolishment of those 75 monopoly houses which are the real source of blackmoney by making super profits. Also you do not agree to demonstrations. And thus the inflation goes on.

Today many in our country are facing unemployment and also starvation. A person in Bombay was found eating earth hideously. If that can be case in a big city like Bombay, What can't be expected elsewhere ?

Therefore, every labourer and worker in the country should get National Minimum wage. But it is a curse that you do not agree to it and in addition to that you are launching your attack on them from many sides. You do not catch hold of profiteers and black marketing like Hazi Mastan and others who are openly indulging in smugging and hoarding and thus compel the poor people of the country to starve. You can crush the poor working class only because they completely in your hands and eyes.

Finally, and therefore, I would appeal to the Minister to not only accept this Resolution but also implement it expeditiouly. Let me know the Government that they can succeed unless they enlist the whole hearted support of their working class.

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : इस संकल्प के अन्त में कहा गया है कि सरकार श्रमिक संगठनों का सलाह के साथ श्रमिकों के हितों में अपनी नीति में परिवर्तन करे । यह मजूरी के स्थिरीकरण के बारे में विचार किया गया है मैं इसके बारे में कुछ न कहकर यह अवश्य कहना चाहूंगी कि कालाबाजार करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है । वर्ष 1971 में प्रधान मंत्री ने वेतन के स्थिरीकरण के बारे में श्रमिक संगठनों से बातचीत की थी और सर्वसम्मति से यह तय किया गया था कि इस समूचे प्रश्न पर श्रमिक संगठनों के साथ मिल बैठकर गहराई से विचार किया जाय । आज प्रश्न वेतन ढ़ांच, वेतन-नीति, महंगाई में वृद्धि तथा काला बाजार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का ही नहीं है । आज श्रमिक वर्ग बुरी तरह त्रस्त है हालांकि हमारा श्रमिक वर्ग ही देश की आज तक की प्रगति में अपना योगदान देता रहा है । परन्तु, आज इसी वर्ग की सर्वथा उपेक्षा की जा रही है । देश में श्रमिक संबंधों को बनाये रखने का दायित्व हमारे श्रम मंत्री का है, अत: वह श्रमिक संगठनों तथा उनके प्रतिनिधियों से (वेज पालिसी) मजूरी संबंधी नीति आदि प्रश्नों पर विचार कीजिये न कि कुछ विद्वानों तथा उनके द्वारा दिये गये आंकड़ों के आधार पर कुछ निश्चय कर लीजिये । हमारा योजना आयोग तो देश का एक अनियोजित संगठन है । सरकार को चाहिये कि वह वर्ष 1971 में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये उक्त आश्वासन का सम्मान करे तथा इस संबंध केवल श्रमिकों और इनके प्रतिनिधियों से सलाह-मशविरा करें तथा एक न्यायोचित वेतन-ढ़ांचा तैयार करे । आज हमारे इस कल्याणकारी देश में भी एक ही प्रकार के काम के लिये विभिन्न वेतन हैं । हम वतन-स्थिरीकरण का दृढ़ता से मुकाबला करेंगे । यह कदम श्रमिक वर्ग के ऊपर एक प्रबल आक्रमण है और हम अपने श्रमिक वर्ग को न्याय दिलाने के लिये प्रत्येक लोकतांत्रिक उपाय तथा संघर्ष करेंग परन्तु श्रम मंत्री महोदय को भी तो श्रमिक संगठनों के साथ मिल बैठकर वेतन ढ़ांचे तथा मजूरी नीति पर विचार करके ही कोई निश्चय करना चाहिये । मैं उनसे पूछती हूं कि वह ऐसा क्यों नहीं कर रहे है ?

Shri Satpal Kapur (Patiala) : I agree by large with the views expressed here in respect of need based minimum wage. No where in the world over you would find a wage freeze but no price-freeze. But the Resolution under discussion is not a comprehensive one.

It has got many defects and need to be removed. Wage freeze policy cannot be successful until there a price-freeze also. Besides it is also time that in addition to that of Government the trade unions too have got certain responsibilities which they should invariably carry out. I have also got more sympathi with the working class and my contribution than you have but I do condemn political exploitation of the situation. Take Railway strike for example. It was quite untimely and a call therefore was meant only to meet political ends That should have not been there. Let us have a concensus about need base pay and responsibilites both. Let the trade unions and political parties cooperate with the Government in preparing a foul proof wage policy.

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : सभापति महोदय, श्री डी० के० पण्डा के संकल्प में कहा गया है :—

"यह सभा सरकार की वेतन स्थिरीकरण नीति के नये पहलु ओं का निरनुमोदन करती है जो कि श्रम जीवी वर्ग के विरोध में है और आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम निर्वाह मजदूरी तथा जीवन मापन सूचकांक में वृध्दि के पूर्ण निष्प्रभावीकरण और स्वतंत्र सामूहिक सौदेबाजी द्वारा मजदूरी निर्धारण के सुस्थापित नया सर्वमात्र सिद्धान्तों के विपरित है तथा सरकार से आग्रह करती है की श्रमिकों के हित केवल कार्मिक संघों से परामर्श करके इस नीति में परिवर्तन किया जाय । "

बार बार इस बात को कहा गया है कि सरकार ने श्रमिकों के वेतन का स्थिरीकरण किया है और सरकार श्रमिक-विरोधी कार्यवाही कर रही है । सरकार ने ऐसी कोई नीति घोषित या लागू नहीं की है जो कि वेतन स्थिरीकरण अथवा श्रमिक विरोधी संज्ञा के अन्तर्गत लाई जाये । सरकार ने तो 6 जुलाई, 1974 को अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अध्यादेश, 1974 तथा कंपनी लाभांशोपर अस्थायी प्रतिबंध) अध्यादेश 1974 तथा 17 जुलाई को अनिवार्य जमा (आयकर दाता) अध्यादेश लागू किये हैं ।

श्री डी० के० पण्डा अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अध्यादेश, 1974 की आलोचना की है जो कि वस्तुत: वेतन का स्थिरीकरण नहीं है और न ही इसके फलस्वरूप भविष्य में वेतन में वृद्धि या उसके पुनरीक्षण पर रोक आदि की बात होगी । इस अध्यादेश का अभिप्राय अतिरिक्त परिलब्धियों के अंश को एक विशष निधि में जमा करानी है जिस पर 2 1/2 प्रतिशत अतिरिक्त साधारण ब्याज भी मिलेगा । इतनी अधिक ब्याज-दर पहले कभी नही दी गई थी, फिर भी इस प्रकार रुपये की संचालन-गति कम होने से उसके मूल्य में वृद्धि होगी और क्रय शक्ति बढ़ेगी फिर इस अध्यादेश में बहुत ही कम आय वालों के लिये अनिवार्य बचत का प्रावधान नहीं है ।

जिन श्रमिकों की आय बहुत कम है हम उनपर किसी प्रकार का कोई कर या रोक नही लगाने जा रहे । हम उनको अपनी आय का अधिकांश भाग बैंक में जमा करवाने के लिये विवश भी नहीं कर रहे । लाभांश की 12 प्रतिशत तक सिमित करने सम्बन्धी आध्यादेश का स्वागत किया जाना चाहिये । इन तीन अध्यादेशों को जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह है हमारे देश को मुद्रास्फीति की गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । मुद्रास्फीति के कारण आवश्यक वस्तुओं की मांग बढ़ गई है जब कि उपलब्धता कम है, देश में मुद्रा उपलब्धि असाधारण रूप से बढ़ जाने के कारण यह असंतुलन पैदा हो गया है । घाटे की अर्थव्यवस्था, मजूरी में वृद्धि और अवैध साधनों से लेखा–वाह धन की सप्लाई, जो कर अपवंचन का परिणाम है, मुद्रा उपलब्धि के प्रसार के कारण हैं । वित्त मंत्री ने 25 जुलाई, 1974 को इसी आशय का वक्तव्य दिया था और समुच्चय स्थिति पर प्रकाश डाला था । प्रधान मंत्री ने भी अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर देते हुए इन कारणों का उल्लेख किया था । मेरा अभिप्राय यह है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करते जा रहे जिससे श्रमजीवी वर्ग के हितों को हानि पहुंचति हो । हम मजुरी पर कोई रोक लगाने से पूर्व मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के लिये प्रयत्न कर रहे है । जहां तक आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी निश्चित करने का सम्बन्ध है, मैं बताना चाहूंगा कि आजकल संगठित क्षेत्र में द्विपक्षीय

[श्री बाल गोविंद वर्मा]

वार्ता के माध्यम से मामले तय किये जाते है अत : आवश्यकता पर आधारित मजूरी के मामले पर भी वे सम्बन्धित उद्योग की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विचार कर सकते हैं। उद्योग की भूगतान क्षमता को ध्यान में रखना होगा । हम उनकी मार्ग में कोई बाधा नहीं डालते बल्की हम सम्बन्धित पक्षों के लिये बातचीत करने की व्यवस्था करते हैं।

मजूरी नीति सम्बन्धि समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन मिल गया है और सरकार उस पर विचार कर रही है। हम किसी बात को छिपा नही रहे है। विचाराधीन होने के कारण उसको सभा के समक्ष नहीं रखा जा रहा है। यदि उड़ीसा में चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्वित नहीं किया गया तो यह बात उड़ीसा के मुख्य मंत्री को बतायी जानी चाहिये। यदि माननीय सदस्य उनके उत्तर से संतुष्ट न हो तो वह हमें लिख सकते हैं। और हम फिर राज्य सरकार से बातचीत करेंगे। हमारा विचार यह है कि मजूरी बोर्ड की सभी सिफारशें क्रियान्वित की जानी चाहिये। अत : मजूरी में वृद्धि करने पर कोई रोक नही लगाई गई है। मुझे आशा है कि मेरे उल्लिखित स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य इस संकल्प को वापस ले लेंगे।

श्री डी० के० पंडा (भजनगर) : यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि श्रमिकों को अधिक परिश्रम करने के लिये कहा जा रहा है जबकि उनकी मजूरी कम मिलेगी। मैं चाहता हूं कि इस नीति को बदला जाये। सरकार जमाखोरी, एकाधिकारवादियों और चोर बज़ारी करनेवालों के आगे झुक रही है। वर्ष 1971 में मजूरी नीति तथा मजूरी के पुनरिक्षण को पुन : व्यवस्थित किये जाने का निर्णय किया गया था। इस सम्बन्ध में प्राप्त अन्तरिम प्रतिवेदन को रद्द कर देना चाहिये क्योंकि 1967 के भारतीय श्रम सम्मेलन के पहले ही आधार बना दिया गया है। सरकार को मजूरी पर रोक सम्बन्धि नीति को बदलना चाहिये। मजूरी पर रोक लगाने से मुद्रास्थिति पर रोक नहीं लगाई जा सकती और इससे न उत्पादन बढ़ सकता है और न मूल्य कम हो सकते है। इससे केवल श्रमिकों के लिये कठिनाईयां पैदा होंगी। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे संकल्प को स्वीकार कर लें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा सरकार की वेतन स्थिरीकरण नीति के नये पहलुओं का निरनुमोदन करती है जोकि श्रमजीवी वर्ग के विरुद्ध है और आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम निर्वाह मजदूरी तथा जीवनयापन सूचकांक में वृध्दि के पूर्ण निष्प्रभावीकरण और स्वतंत्र सामूहिक सौदेबाजी द्वारा मजदूरी निर्धारण के सुस्थापित तथा सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत है तथा सरकार से आग्रह करती है कि श्रमिकों के हित में तथा कार्मिक संघों से परामर्श करके इस निती में परिवर्तन किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived.

देश में बढती हुई फासिस्टवादी प्रवत्तियों के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE : GROWING FACIST TREND IN THE COUNTRY

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : इस सभा की राय है कि सरकार देश में फासिस्टवाद के बढ़ाने की परिस्थितियां पैदा कर रही हैं और इस लिए सकल्प करती है कि इस खतरनाक प्रवृत्तिको रोकने के लिए सिफारिशें करने की एक संसदिय समिति गठित कि जाये।"

सभापति महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रखे।

तत्पश्चात लोक सभा शनिवार, 31 अगस्त, 1974/9 भाद्रपद, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, the 31st August, 1974/ Bhadra 9, 1896 (Saka)

भा० स० मु० ना०—वि० 4—32 लोक सभा/74—4-12-74—490.

P.L.S. 48 XLIII. 30.74(N)
490

© 1974 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक-422006 द्वारा मुद्रित

© 1974 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND
CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED
BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK-422006